खण्ड-167, अंक-5
शुक्रवार, 19 फाल्गुन, शक संवत् 1877
(9 मार्च, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 167 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ९ मार्च १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२९३)

अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री

जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
शारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेंदुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री

महावीर प्रसाद श्रीवास्तव,श्री
महाबीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद मंजुरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन ,श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री

शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ९ मार्च, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

पर्वतीय प्रदेश में भयंकर अन्न-कष्ट

१--श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को विदित है कि पर्वतीय प्रदेश में भयंकर अन्नकष्ट का स्थानीय जनता को अनुभव हो रहा है ?

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)--जी हां, खाद्यान्नों के मूल्यों में साधारणतया मंहगाई आ जाने तथा पर्वतीय प्रदेशों में फसल खराब होने के कारण उन स्थानों में, जहां यातायात की कठिनाइयां हैं, अन्न की कमी हो गई है ।

२--श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट**--यदि हां, तो क्या सरकार इस परिस्थिति के निवारणार्थ अन्नाभाव ग्रसित इलाकों को शीघ्रातिशीघ्र अन्न भेजने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--उक्त क्षेत्रों में सस्ता अनाज भेजने के विषय में आवश्यक आदेश जारी हो गये हैं ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या मंत्री महोदय कृपया बतायेंगे कि किन-किन स्थानों में ये गल्ला वितरण केंद्र खोले गये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--अल्मोड़ा में--रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ । गढ़वाल में--डुगड्डा, लैंसडाउन, सतपुली, अमौथा, पौढ़ी, कर्णप्रयाग, चमौली, सांकर । टेहरी गढ़वाल में--नरेन्द्रनगर, टेहरी, चम्बा, मलदियाना, देवप्रयाग, कीर्तिनगर ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---क्या मंत्री महोदय कृपया बतलायेंगे कि जिला अल्मोड़ा में कितना गल्ला अब तक भेजा गया, और कब भेजा गया ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---उसके आदेश तो अभी गये हैं जब जिलाधीश आदि ने हमको लिखा।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---क्या मंत्री महोदय को विदित है कि इस वर्ष पर्वतीय प्रदेश में जिन जगहों का आपने जिक्र किया, २५ रुपये मन भी गल्ला नहीं मिल रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह पर्वतीय प्रदेश के क्षेत्रों के लिये कोई नयी बात नहीं है, जो ऐसे क्षेत्र हैं जो सड़क से हटकर बसे हुये हैं, वहां अधिक मूल्य पर गल्ला बिकता है।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट---क्या मंत्री महोदय बता सकेंगे कि कब तक यह गल्ला पहुंच जायगा, क्योंकि स्थिति वहां पर चिन्ताजनक है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस प्रकार के आदेश देने के पूर्व ही आर० एफ० सी० को आदेश दिया गया था कि वह प्रबन्ध करा दें और उन्होंने जाब्ते का आदेश प्राप्त करके इन क्षेत्रों में गल्ला भिजवाने का प्रबन्ध किया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो गेहूं वगैरा शीघ्र गोदामों में भेजे जायंगे, उनमें सरकार कितना किराया मोटर वगैरह का देगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सरकार १५ रुपया मन उन स्थानों को जिनका विवरण दिया गया था गेहूं भेजेगी और जितना भाड़ा पहुंचने में लगेगा वह बरदाश्त करेगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या माननीय मंत्री जी को यह भी मालूम है कि रानीखेत तहसील में रानीखेत के अलावा और दूर तक मोटर सड़कें गयी हैं ? क्या उन सड़कों पर सरकार गोदाम खोलने का विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं, इन स्थानों पर नहीं विचार कर रही है, केवल इस प्रकार के आदेश जारी किये गये हैं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज जो उन क्षेत्रों में हैं वह १५ रुपये मन में उन क्षेत्रों के लिये गल्ला ले लें और जो उन क्षेत्रों तक ले जाने में किराया इत्यादि व्यय करें वह उस गल्ले के ऊपर और चार्ज कर लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार वहां कौन-कौन से अन्न भेज रही है, और वह किस दाम पर वहां के आदमियों को दिया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---केंद्रीय सरकार का गेहूं है और कोई गल्ला नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्हें यह मालूम है कि पहाड़ी प्रदेश में अन्न का प्रायः कष्ट रहता है, तो उसके निवारणार्थ वह कोई ऐसी योजना पर विचार कर रहे हैं जिस से यह कष्ट दूर हो सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---पहाड़ी क्षेत्रों का हमें पूरा ख्याल था, लेकिन जब-जब यहां इस विभाग के संबंध में बजट भाषण होता था तो यहां माननीय सदस्य और अन्य सदस्य कहते थे कि नियंत्रण को हटाओ ; तो हमने नियंत्रण को हटा लिया। अब हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। अगर आप फिर से नियंत्रण जारी करने की बात करेंगे तो केंद्रीय सरकार से बातचीत करके फिर विचार किया जायगा। अब तो आपका आदेश पालन करके जो एक नयी व्यवस्था चल सकती थी वह चलाने का प्रयत्न किया गया।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मंत्री जी को ऐसी सूचनायें मिली हैं कि इस भयंकर अन्न संकट के कारण पर्वतीय प्रदेश में कुछ लोगों ने आत्महत्यायें की हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह बात बिलकुल गलत और बेबुनियाद है ।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री महोदय गल्ला वितरण केंद्र, गंगोलीहाट, लोहाघाट, बेरीनाग और मुंसियारी में, जो इंडो-टिबटन बार्डर पर हैं, खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वहां गोदाम बनाने की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिये खोलने के ऊपर विचार करने की तो अभी कोई नीति नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में हरिजन व पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

*१--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के स्कूलों में हरिजन एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को सन् ५२ से ५५ तक अलग-अलग वर्षों में कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई है?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)--वांछित सूचना संलग्न पत्र में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०८ पर)

*२--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ डिग्री कालेज के पिछड़ी जाति के छात्रों को सन् ५५ में कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की गई है ?

डाक्टर सीताराम--एक ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि केवल एक ही छात्र को छात्रवृति देने का क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--एक ही उसके योग्य पाया गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने लड़कों के छात्रवृत्ति के लिये सरकार के पास आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे?

डाक्टर सीताराम--आवेदन-पत्र के बारे में अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन एक विद्यार्थी ने वजीफा पाया और पिछड़ी जाति के लड़कों ने ७१२ रुपया किताबों के लिये पाया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष छात्रवृत्ति देने के लिये क्या योग्यता निर्धारित की गयी थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--उसकी योग्यता और उसकी मेरिट ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--क्या माननीय मंत्री जी इरशाद फरमायेंगे कि जिन लोगों को सहायता दी गयी है पिछड़ी जाति में, उनमें कोई तालिबइल्म लद्दाफ और बेहना बिरादरी का भी था ।

डाक्टर सीताराम--एक विद्यार्थी को वजीफा दिया गया जैसा कि प्रश्नोत्तर में बतलाया गया है, वह अन्सार जाति के विद्यार्थी को मिला है ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---क्या माननीय मंत्री जी मेहरबानी करके फरमायेंगे कि बावजूद इसके कि आपकी पिछड़ी जाति में उनका नाम लिखा हुआ है, इन चार वर्षों के अन्दर लद्दाफ और बेहना जाति के किसी फर्द को किसी किस्म की आर्थिक सहायता दी गयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसके लिये सूचना की जरूरत है । लेकिन मेरे ख्याल में जरूर दी गयी होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिस छात्र को छात्रवृत्ति दी गयी है उसने परीक्षा में कितने प्रतिशत नम्बर पाया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसमें इतनी छानबीन तो बड़ी मुश्किल है । १, २ का हो तो बतलाया जाय । प्रान्त में इतने लड़कों को दिया जाता है, उसमें उनकी योग्यता क्या थी और कितने नम्बर प्राप्त किये, यह सब बताना बड़ा मुश्किल है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि छात्रवृत्ति देने में सबसे बड़ा आधार यह माना जाता है कि जो सबसे ज्यादा विशिष्ट नम्बर परीक्षा में प्राप्त करेगा, उसको ही दी जायगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---कई आधारों में से एक आधार यह भी है ।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)---जिन्हें छात्रवृति दी गई है उनमें कितनी पिछड़ी जाति की स्त्रियां थीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---शायद इसमें से कोई नहीं थी ।

सहारनपुर के टैक्सटाइल मजदूरों द्वारा हड़ताल

*३---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या यह सही है कि दिसम्बर के द्वितीय व तृतीय सप्ताह में सहारनपुर के टैक्सटाइल मजदूरों ने हड़ताल कर दी ? अगर हां, तो क्यों और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्रम मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---जी हां ।

मिल मालिकों ने १५ नवम्बर, १९५५ को एक श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु के कारण उसकी दाह-क्रिया के लिये श्रमिकों को दो घंटे की छुट्टी दी थी, परन्तु श्रमिक पूरे दिन अनुपस्थित रहे तथा २९ नवम्बर, १९५५ को गुरु नानक जयन्ती के कारण श्रमिक बिना मिल मालिकों की आज्ञा के फिर अनुपस्थित रहे । इन दो दिनों की अनुपस्थिति के लिये मिल मालिकों ने श्रमिकों का ६ दिनों का वेतन काट लिया, इस बात से असन्तुष्ट हो कर श्रमिकों ने उक्त हड़ताल की । इस मामले में जांच की गई और दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया । मिल २ जनवरी से सुचारु रूप से काम कर रही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समझौता किस आधार पर हुआ और क्या शर्तें मानी गईं ?

आचार्य जुगलकिशोर---सिर्फ दो दिन की कटौती होगी ६ दिन की जगह पर और आगे के लिये दिवाली आदि त्योंहारों पर १ दिन की छुट्टी होगी बिना वेजेज के ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मिल मालिक समझौते की शर्तों का सरकार की सूचना के अनुसार पालन कर रहे हैं या नहीं ?

आचार्य जुगलकिशोर---मैं समझता हूं कि इसका पालन हो रहा होगा । मुझे ठीक तरह से तो नहीं मालूम है लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि इस समझौते के बारे में कानूनी शक्ल देने के लिये कन्सीलियेशन आफीसर के पास कागजात गये हुये हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इस सम्बन्ध में सरकार ठीक-ठीक सूचना प्राप्त करके कार्यवाही करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां ।

केशर शुगर वर्क्स लिमिटेड, बहड़ी के श्रमिकों का चरित्र सत्यापन

*४—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केशर शुगर वर्क्स लिमिटेड, बहेड़ी, जिला बरेली के लेबर यूनियन की ओर से उनकी सेवा में कोई आवेदन-पत्र आया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां ।

*५—श्री झारखंडेराय—यदि हां, तो श्रम मंत्री जी बतायेंगे कि उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या-क्या हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—यूनियन ने मिलमालिकों के पुलिस द्वारा श्रमिकों के चाल चलन की पुष्टि (verification of character) कराने की कार्यवाही का विरोध करते हुये यह भय प्रकट किया था कि वे इस चाल से श्रमिकों की नौकरी को हानि पहुंचाना चाहते हैं, तथा उक्त जांच को रोकने की प्रार्थना की ।

*६—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतायेगी कि उन मांगों के विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

आचार्य जुगलकिशोर—मामले की जांच कराई गई, लेकिन सरकार की ओर से किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई ।

श्री झारखंडेराय—क्या श्रम मंत्री बतलावेंगे कि यह कैरेक्टर वैरीफिकेशन की पद्धति नये रूप में चालू की गई है ? यदि हां, तो किस खास कारण से ?

आचार्य जुगलकिशोर—यह कोई नई पद्धति नहीं है । साधारणतया हक है, मिल-मालिकों के अधिकारियों को कि यदि वे जांच कराना चाहते हैं तो वे पुलिस द्वारा करा सकते हैं । यह जांच वाच एन्ड वार्ड और वेइन्ग स्टाफ के बारे में हुई क्योंकि वहां कुछ चोरियां हुई थीं और इसलिये उन्होंने जांच कराई ।

श्री झारखंडेराय—क्या इस सिस्टम के मातहत बहुत से मजदूर उस मिल से निकाल दिये गये हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर—यह तो मुझे मालूम नहीं कि निकाल दिये गये हैं, परन्तु अधिकारी को यह अधिकार है कि यदि उनके खिलाफ कोई शिकायत आवे, तो वह उन्हें निकाल सकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय श्रम मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में जांच किन अधिकारी द्वारा कराई गई और उनकी रिपोर्ट के किस अंश के अनुसार सरकार ने आगे बढ़ना उचित नहीं समझा ?

आचार्य जुगलकिशोर—जांच कराई गई और सिर्फ उन श्रमिकों के बारे में जो वेइन्ग डिपार्टमेन्ट और वाच एन्ड वार्ड में थे, यह देखते हुए कि उनको पूरा अधिकार था ऐसी जांच कराने का ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा कि मिल मालिकों को अधिकार है जांच कराने का, तो वह स्टैंडिंग आर्डर की किस धारा के अनुसार या यदि स्टैंडिंग आर्डर में नहीं है तो कानून की किस धारा के अनुसार मिल मालिक को यह अधिकार है ?

आचार्य जुगलकिशोर---मैं समझता हूं कि यह साधारण नियम है कि इस प्रकार की जांच अगर कोई अपने अधिकारी के बारे में कराना चाहे तो एक पुलिस के जरिये से ही हो सकता है और वह कराते हैं, लेकिन मैं इस वक्त यह नहीं बता सकता कि कौन सी धारा के अन्तर्गत यह काम किया गया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच किस आफीसर के द्वारा कराई गई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या उस स्टैन्डिंग आर्डर की धारा का उल्लेख किया है जिसके अनुसार मिल मालिक ने वेरीफिकेशन आफ कैरेक्टर कराया ?

आचार्य जुगलकिशोर---जांच पुलिस द्वारा कराई गई । यह तो किसी भी व्यापारी को या मिलमालिक को अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न ६ के सम्बन्ध में है कि मामले की जांच कराई गई, लेकिन सरकार की ओर से किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई ।

आचार्य जुगलकिशोर---मैं समझता हूं कि कंसीलियेशन आफीसर के द्वारा जांच कराई गई होगी और उन्होंने पुलिस के द्वारा पुछवाया होगा कि यह बात कहां तक सही है और कहां तक नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री अपने अनिश्चित उत्तर को देखते हुये, इस प्रश्न पर पूरा विचार करने की कृपा करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर---मैं नहीं जानता कि किस बात पर विचार करने की बात है ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वह क्या आधार है यानी करेक्टर वेरीफिकेशन किस आधार पर होता है जिससे यह जाना जा सकता है कि वह किस जगह पर काम कर रहा है ।

आचार्य जुगलकिशोर---आमतौर से पुलिस के पास रिपोर्ट रहती है । कोई अगर सजायाफता है तो उनके पास रिपोर्ट रहती है और अगर किसी के ऊपर शक है तो उसकी रिपोर्ट रहती है । अगर आवश्यकता पड़ती है तो अपनी रिपोर्ट वे भेज देते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार अपने लेबर कमिश्नर या डिप्टी लेबर कमिश्नर जैसे किसी प्रमुख अधिकारी को भेज कर इस प्रश्न पर स्टैन्डिंग आर्डर के दृष्टिकोण से पुनः जांच कराने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर---पुनः जांच कराने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, लेकिन यह मैं जरूर जांच करा लूंगा कि किस आधार पर यह जांच कराई गई ।

जमुना के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के विद्यार्थियों की फीस मुआफी की मांग

*७---**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जमुना नदी के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में किस-किस जिले में विद्यार्थियों की फीस मुआफ की गई है और कितनी-कितनी और यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---जमुना नदी के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में किसी भी जिले में विद्यार्थियों की फीस माफ नहीं की गई है । उन जिलों में बाढ़ बहुत भयंकर रूप में नहीं आई थी ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि भयंकर बाढ़ की परिभाषा उनके शब्दों में क्या है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जिसको भयंकर बाढ़ समझा है, वही उसकी परिभाषा है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जमुना के क्षेत्र में माल विभाग ने लगान में रेमीशन दिया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---मुझको मालूम नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या यह सही है कि इन क्षेत्रों में तकावी भी दी गयी थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह तो माल विभाग ही बतला सकता है, लेकिन इसकी इत्तला मुझको नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन इलाकों में बाढ़ आयी, वहां पर काफी नुकसान भी हुआ और जिन लोगों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन इलाके के, उन लोगों ने कुछ अर्जियां भी सरकार को दीं कि उनकी फीस माफ कर दी जाय ?

श्री हरगोविन्द सिंह---बाढ़ पीड़ित जिलों की अर्जियों को फ्लड डिपार्टमेंट डील करता है। मुझको तो केवल रुपया दे दिया गया था उनकी अर्जियां फ्लड डिपार्टमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आयी होंगी।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश की सरकार से जनता का संबंध, बाढ़ के कारण न रहने से, आस-पास की जनता को दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार ने हवाई जहाज से कई इलाकों में सहायता पहुंचाई ? क्या तब भी सरकार उस को भयंकर बाढ़ नहीं कहती ?

श्री हरगोविन्द सिंह---अखबारों में मैंने भी पढ़ा था।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उन्होंने यह किस जांच के आधार पर कहा कि यह भयंकर बाढ़ नहीं है और वह जांच किस आधार पर की गयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---मैंने उत्तर दिया कि जिन जिलों को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने घोषित किया कि यह बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है और उनमें यह कंसेशन दे दिया जाय, वहां हमने उसको तकसीम कर दिया।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को ज्ञात है कि जनवरी, ५६ के बजट में दुर्भिक्ष सहायता अनुदान सरकार ने स्वीकार किया है उसमें यह स्वीकार किया गया है कि १६ पश्चिमी और १६ पूर्वी जिलों में बाढ़ आयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---१६ पूर्वी जिलों की बात तो मालूम है, बाकी की बाबत नहीं मालूम।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या माननीय मंत्री जी गवर्नमेंट की ज्वाइंट रेसपांसीबिलिटी को समझते हुए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को यह सिफारिश करेंगे कि इन बच्चों की फीस भी माफ कर दी जाय ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसमें कोई ज्वाइंट रेस्पांसीबिलिटी की बात नहीं है। अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट यह समझे कि यह एरिया भी बाढ़ पीड़ित है और यही कंसेशन उसको भी दिये जाने चाहिये, तो उससे मैं पूर्णतः सहमत हूंगा।

श्री नेकराम शर्मा--क्या मंत्री जी को यह मालूम है कि माननीय माल मंत्री जी ने इसी सदन में यह घोषित किया था कि पश्चिमी जिलों में बाढ़ आयी और उनमें तकावी भी बांटी गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह---मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं उस पर विश्वास करता हूं कि ऐसा ही होगा ।

*६-९--**श्री रामचन्द्र विकल**---[६ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१०-१२---**श्री नरेंद्रसिंह विष्ट**---[१४ मार्च, १९५६ के लिये, प्रश्न ६३-६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

सुल्तानपुर जिले के विद्यार्थियों का परीक्षा में नकल करते पकड़ा जाना

*१३---**श्री रणंजयसिंह** (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गत वर्ष सुल्तानपुर जिला के कितने मान्यता प्राप्त विद्यालयों में परीक्षा के समय कितने परीक्षार्थी नकल आदि अनुचित कार्य करते पकड़े गये थे और कितने इस वर्ष ?

डाक्टर सीताराम---सन् १९५४ में २ विद्यालयों में ३ परीक्षार्थी, तथा सन् १९५५ में ३ विद्यालयों में १२ परीक्षार्थी पकड़े गये ।

जिला सुल्तानपुर में बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के शुल्क की माफी के फलस्वरूप शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

*१४---**श्री रणंजयसिंह** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिला की जिन शिक्षा संस्थाओं ने राजकीय निर्णयानुसार बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के शुल्क अगस्त से दिसम्बर, १९५५ तक के माफ किये हैं उन्हें इस अवधि के तज्जनित घाटे की पूर्ति के निमित्त कोई अनुदान अभी तक क्यों नहीं दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम---कुल घाटा, १,२०,००० रुपये का था जिसमें से ८३,२६० रुपया ४ आना का अनुदान दिया जा चुका है और शेष शीघ्र ही दे दी जायेगी ।

*१५---**श्री रणंजयसिंह** (अनुपस्थित)---क्या सरकार को यह ज्ञात है कि अधिकतर ऐसी संस्थाओं के अध्यापकों के वेतन धनाभाव के कारण गत चार मास से रुके पड़े हैं और उनमें असन्तोष फैल रहा है ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं । किसी भी संस्था के अध्यापकों का ४ मास का वेतन नहीं रुका है तथा ऐसा असन्तोष नहीं है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---क्या यह सही है कि यह प्रश्न उपस्थित करने के बाद उनको ग्रांट भेजी गयी थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---लेकिन उत्तर जो वहां से आया, उसके पहले तो जरूर ही दे दी गयी थी ।

*१६-१८---**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)---[१३ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

नोट---तारांकित प्रश्न १३-१५ श्री रामनारायण त्रिपाठी ने पूछे ।

जौनपुर जिले में बाढ़-पीड़ित विद्यार्थियों की फीस माफी के हेतु स्कूलों को सहायता

*१९—**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के छात्रों की फीस माफी में सहायता के हेतु जौनपुर जिले में किस-किस स्कूल को कितना-कितना अनुदान अब तक प्रदान किया गया है ?

डाक्टर सीताराम—सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४०९–४१० पर)

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि संलग्न सूची में जिन स्कूलों को बाढ़पीड़ित छात्रों के लिये शिक्षा शुल्क अनुदान से सहायता दी गई थी, उसका आधार क्या है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यही है कि जो बाढ़पीड़ित क्षेत्रों के लड़के हैं उनकी फीस माफ कर दी जाय, अगस्त से लेकर दिसम्बर तक ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या सरकार को इस बात का पता है कि इन स्कूलों में अब नवम्बर–दिसम्बर की फीस वसूल की जा रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मुझको पता नहीं है । लेकिन अगर कोई ऐसा स्कूल है जहां यह वसूल की जाती होगी, तो अगर माननीय सदस्य उसका रिपोर्ट करेंगे, तो उस पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या सरकार को इस बात का पता है कि मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल जैसे कुन्धुआ, महाराजगंज, बिलवार, बढ़ेरी और रमगढ़ा को कोई सहायता नहीं दी गई ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह तो मैं नहीं कह सकता कि क्यों नहीं दी गई, शायद यह कारण रहा हो कि वे बाढ़पीड़ित क्षेत्र के न रहे हों, लेकिन अगर रहे हैं तो उनको भी मिलनी चाहिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों के विद्यार्थियों की सहायता के लिये कितनी रकम दी गई ?

डाक्टर सीताराम—१७,५०,०१२ रु० ।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सहायता बाढ़पीड़ित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को जौनपुर जिले में दी जा रही है, वही अन्य जिले के क्षेत्रों को भी दी जा रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इस प्रकार से १६ जिले के बाढ़पीड़ितों को दी जा रही है ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या सरकार को पता है कि जौनपुर का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नवम्बर—दिसम्बर की फीस अपने स्कूलों में वसूल कर रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मुझको तो पता नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि जो मांग जौनपुर जिले के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों से आई हुई थी उस मांग के अनुसार सहायता नहीं दी गई है बल्कि चौथाई हिस्सा दी गई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं, इस सम्बन्ध में जो आदेश दिये गये थे वे बिल्कुल स्पष्ट थे कि चाहे जो भी रकम हो, वह गवर्नमेंट देगी और लड़कों से कोई फीस नहीं ली जायगी ।

संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक पद पर स्थायी नियुक्ति

*२०---**श्री दीनदयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक पद पर स्थायी नियुक्ति कब तक हो जायेगी ?

डाक्टर सीताराम---संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक के पद पर स्थायी नियुक्ति कर दी गई है ।

*२१---**श्री दीनदयालु शास्त्री** (अनुपस्थित)---क्या यह सच है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनेक बार इस पद पर स्थायी नियुक्ति के लिये भिन्न-भिन्न नामों की सिफारिश की है ? यदि हां, तो ये नाम कौन-कौन से हैं और उनके इस पद पर नियुक्त न होने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर सीताराम---इस सूचना का देना जनहित में नहीं है ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह स्थान कितने हैं और इन पर कितने लोगों की नियुक्ति की गयी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह स्थान तो एक ही है और एक ही पर नियुक्ति कर दी गयी ।

तहवीलदारों पर शाप्स ऐन्ड कमर्शियल ऐक्ट का लागू होना

*२२---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---क्या सरकार तारांकित प्रश्न संख्या ६२, दिनांक २६ अगस्त, १९५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या तहवीलदार लोगों पर Shops and Commercial Establishment Act लागू होता है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जो तहवीलदार बैंकों में काम करते हैं उन पर यह अधिनियम लागू होता है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार बतलायेगी कि बैंकों में काम करने वाले तहवीलदारों की श्रेणी के जो तहवीलदार तहसीलों में काम करते हैं, उन पर भी यही ऐक्ट लागू होता है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जो सरकारी खजानों में काम करने वाले हैं उन पर यह लागू नहीं होता, क्योंकि वे कमर्शियल ऐक्ट के अन्तर्गत नहीं आते ।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या यह सत्य है कि तहवीलदार यूनियन का एक डेपुटेशन अभी हाल में मंत्री जी से मिला था और उन्होंने कुछ डिमान्ड्स रक्खी थीं ?

नोट---तारांकित प्रश्न २०-२१ श्री जोरावर वर्मा ने पूछे ।

आचार्य जुगलकिशोर---मुझे इसकी याद नहीं आ रही है कि कोई डेपुटेशन मिला था ?

श्री तेजप्रताप सिंह--- क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि वित्त मंत्री जी से एक डेपुटेशन पिछले वर्ष अपनी डिमान्ड्स को लेकर आया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि उस पर कार्यवाही होगी ?

आचार्य जुगलकिशोर---जैसा बताया, मुझे याद नहीं है कि कोई डेपुटेशन मुझसे इस सिलसिले में मिला था।

अतारांकित प्रश्न

नवीन शिक्षा योजना के अन्तर्गत बैल खरीदने के लिये अनुदान

१---**श्री गुप्तारसिंह** (जिला रायबरेली)--- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नवीन शिक्षा योजना के अन्तर्गत कितने प्रसार अध्यापकों को कृषि-हेतु बैल प्रदान किये गये हैं ?

श्री हरगोबिन्द सिंह--- ८४६ पुनर्व्यवस्थित विद्यालयों के प्रबन्धकों को बैल जोड़ियां क्रय करने के निमित्त अनुदान दिया जा चुका है। यह अनुदान प्रसार अध्यापकों को नहीं दिया जाता।

२---**श्री गुप्तारसिंह**--- क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन बैलों के दाना तथा चारे का प्रबन्ध किस प्रकार होता है ?

श्री हरगोबिन्द सिंह---बैलों के दाने-चारे का प्रबन्ध सम्बन्धित विद्यालय के कृषि फार्मों से पैदा हुई उपज से किए जाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त अनुदान की शर्तों के अनुसार विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों को उन्हें दिए हुए बैलों के रखरखाव तथा दाने चारे के लिए उत्तरदायी बना दिया गया है।

जनरल मैनेजर, रोडवेज, लखनऊ के कार्यालय के सामने सत्याग्रह के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास दो कामरोको प्रस्ताव आये हैं। प्रथम यह है कि "लखनऊ स्थित जनरल मैनेजर, रोडवेज के आफिस के सामने गत १ मार्च से श्री बी० एल० जैसवाल, उनकी धर्मपत्नी और तीन माह के बच्चे द्वारा सत्याग्रह करने से विषम स्थिति पैदा हो गयी है और रोडवेज कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त होता जा रहा है, जो प्रान्त के लिए घातक है। अतः यह सदन इस परिस्थिति पर विचार करने के लिए अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

इसमें इसके साथ-साथ सत्याग्रह का ऐलान करने का एक छपा हुआ पर्चा भी माननीय सदस्य ने मेरे पास भेज दिया है। १ मार्च से तो सत्याग्रह हुआ और प्रश्न आज ९ मार्च है, आज आया है, तो माननीय सदस्य उसकी अर्जेंसी तो स्वयं ही नहीं समझते, इससे स्पष्ट ही है। दूसरी बात यह है कि ऐसा प्रश्न उपस्थित करने के लिए जब इस सम्बन्ध में अनुदान आने ही वाला है उस समय यह प्रश्न उठ सकता है, क्योंकि अर्जेंसी नहीं है तो उस वक्त माननीय सदस्य उसका जिक्र कर लें। इस समय मैं इसके लिए अनुमति नहीं देता हूं। तीसरी बात एक अजीब सी मालूम होती है कि एक तीन महीने का बच्चा सत्याग्रह कैसे करेगा, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। तो कुछ थोड़ी सी इसमें भी भूल मालूम होती है।

आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के पंचायत चुनाव में अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा प्रस्ताव है, "आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के पंचायत चुनाव में एस० डी० एम० आदि प्रमुख शासकीय अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप एवं पार्टी विशेष के उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए स्वयं कनवेसिंग करने के कारण लगभग डेढ़ लाख मतदाताओं में असंतोष फैलने से उत्पन्न गंभीर परिस्थिति पर विचार करने के लिए यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने मेरे पास कुछ तार और पत्र भी भेजे हैं। मैंने कल इस विषय पर कहा भी था कि यह प्रश्न कामरोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में नहीं आ सकता और इसमें केवल प्रशासकीय कार्यवाही ही है। अगर वहां के सरकारी नौकर इस तरह की बात करते हों, तो माननीय मुख्य मंत्री वगैरा को लिख दिया जाय और उनसे चाराजोई करायी जाय। लेकिन यह विषय काम-रोको प्रस्ताव या विवाद का नहीं है, इसलिये मैं इजाजत नहीं दूंगा।

सदन की कार्यवाही को समाचार-पत्रों में गलत ढंग से छापने पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक शिकायत श्री नागेश्वर द्विवेदी ने ६ मार्च को दी थी। मैं उसको आप के सामने पढ़ कर सुनाए देता हूं। अखबारों में जो यहां की कार्यवाही के बारे में विवरण छपता है और जो उसमें कुछ गलतियां कभी हो जाती हैं, उस सम्बन्ध में उन्होंने मेरा ध्यान दिलाया है। उनकी शिकायत यह है कि उसका नाम है 'द्विवेदी' लेकिन अखबार में छप गया है 'त्रिवेदी', इस तरह से उनका एक 'वेद' बढ़ा दिया गया है तो वह अब ३ वेद के जानकार हो गये हैं। मैं समझता हूं माननीय नागेश्वर जी शायद "नागेश्वर जी" के नाम से अधिक प्रसिद्ध होंगे और इसलिये ऐसी गलती हो गयी होगी।

दूसरी बात उन्होंने एक यह भी लिखी है कि एक रोज प्रश्न का उत्तर श्री कैलाशप्रकाश, उपमंत्री, स्वायत्त शासन विभाग दे रहे थे लेकिन स्वतन्त्र भारत में उनकी जगह लिख दिया गया कि स्वायत्त शासन उपमंत्री "श्री धर्मसिंह"। मेरे पास उन्होंने स्वतन्त्र भारत अखबार का वह अंक भी भेजा है, उसमें लिखा है कि "स्वायत्त मंत्री के सभासचिव श्री धर्मसिंह ने श्री नागेश्वर त्रिवेदी के प्रश्न के उत्तर में बताया कि ३९ दिसम्बर, १९५५ तक के सूचनानुसार .....।" इस तरह का इसमें छपा हुआ है।

इसमें उनको आपत्ति इसलिए है कि अभी बहुत से छात्र परीक्षा में बैठने वाले हैं, अगर उनमें से किसी से पूछा गया कि स्वायत्त शासन के मंत्री और उपमंत्री राज्य में कौन हैं या सभासचिव कौन है, तो वह जवाब में कहीं श्री धर्मसिंह का नाम न लिख जायं और इस तरह से वह फेल न हो जायं, इस तरह का खतरा उन्हें प्रतीत हुआ कि इससे पैदा हो सकता है। मैं समझता हूं इस विषय में कोई ज्यादा ध्यान आकर्षित कराने की या कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे विषयों के बारे में मैं कहना चाहता हूं अगर माननीय सदस्य बजाय मुझे लिखने के सम्बन्धित पत्रकारों को लिख दिया करें, तो मुझे आशा है कि वह ऐसी गलती को दूसरे रोज ही शायद अपने

[श्री अध्यक्ष]

अखबारों में दुरुस्त कर देंगे। यह कोई बड़े महत्व की बात नहीं है और अनजाने में ऐसी गलती हो सकती है और इसलिए यहां इस पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---अध्यक्ष महोदय, सूचना विभाग से यह सूचना मिलती है। वह भी ठीक सूचना दें।

श्री अध्यक्ष---मैंने अखबारों के बारे में यह कहा। सूचना विभाग के मंत्री जी कृपा करके ऐसे विषय में अपने अहलकारों को कह दें कि वे सजग रहें और ठीक से सूचना दिया करें।

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर वाद-विवाद के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष---लोक लेखा समिति के सम्बन्ध में उसका प्रतिवेदन सदन में उपस्थित किया जाता है। उसके ऊपर वादविवाद होने के सम्बन्ध में मैंने कहा था कि मैं अपना निर्णय किसी दिन दूंगा। मैंने इस सम्बन्ध में उस समिति के अध्यक्ष श्री मदन मोहन उपाध्याय जी से बातचीत की और माननीय वित्त मंत्री जी से भी बात की। कहीं-कहीं विधान सभाओं में यह प्रथा है कि उस पर वाद-विवाद होता है और कहीं कुछ सदनों में नहीं भी होता है। लोक सभा में यह रीति है कि वहां पर उस पर वादविवाद नहीं होता है और उसका मुख्य कारण यह है कि यह समिति इस सदन की एक ऐसी समिति समझी गयी है जो कि देखरेख करती है उस खर्च की, जो सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है और जिसकी आडिट रिपोर्ट समिति के विचारार्थ भेजी जाती है। ऐसी सदन की समिति के आवेदन के ऊपर वादविवाद होना उचित न होगा। क्योंकि अगर विवाद होता है तो बहुत सम्भव है कि जो राय समिति की हो वह शासन को पसन्द न हो, तो बहुमत के आधार के ऊपर सदन यह निर्णय दे उसे कोई सुझाव या निर्णय स्वीकृत नहीं है। तो सदन की एक ऐसी समिति के फैसले के ऊपर उसके निर्णय को उलट देने का मौका देना उचित न होगा। बल्कि यह उचित समझा जायगा कि वह समिति का प्रतिवेदन तो यहां आ जाय लेकिन उसके ऊपर क्या कार्यवाही की, इस के विषय में जो शासन के विभाग हैं वह कार्यवाही तत्काल शुरू कर दें यह मानकर कि यह सदन की ही एक तरह से आज्ञा है। उस पर अमल करना अगर सम्भव न हो तो उस समिति के पास ही अपना मत पेश करें और उसे मेमोरेंडम दें कि हम इस वजह से अमुक बात पर अमल नहीं कर सकते। अपने पहिले निर्णय में अगर कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो उस पर पुनर्विचार समिति बाद में कर सकती है और अपने दूसरे वर्ष के प्रतिवेदन में जो मेमोरेंडम दिया गया हो, उसको भी वह छाप सकती है। अब तक विभागों के अधिकारियों की यह राय थी और उनका यह ख्याल था कि जब तक समिति की रिपोर्ट पर सदन अपना निर्णय देकर उसे स्वीकृत नहीं देता तब तक रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से ढील पड़ जाती थी। लेकिन यह फैसला अब अध्यक्ष, समिति और वित्त मंत्री, इन दोनों की सलाह से ही मैंने किया है, और मैं भी इसी प्रथा को अधिक उचित समझता हूं। इसलिए यही प्रथा अब आइन्दा कायम होगी। प्रतिवेदन तो आयेगा और उस पर सब विभागों की ओर से कार्यवाही आरम्भ हो जायगी और दूसरे वर्ष के प्रतिवेदन में जो-जो पिछले वर्ष के प्रतिवेदन पर कार्यवाही हुई या नहीं हुई, उसका मेमोरेण्डम छप जायगा। मैं यह निर्णय देता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, उस दिन यह भी फसला हुआ कि रिपोर्ट पर तो कोई सदन में बहस नहीं होगी। लेकिन सरकार पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के फैसलों पर क्या करती है, अगर उस सम्बन्ध में सदन के किसी माननीय सदस्य को यह आपत्ति हो कि सरकार ने इस पर उचित कार्यवाही नहीं की है, उस पर अगर कोई माननीय सदस्य इस सदन में बहस करना चाहें तो उसे अधिकार होगा। यह भी निश्चय हुआ था जैसा कि मैं उस दिन समझा।

श्री अध्यक्ष---ठीक है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस बात की आपने मुझे याद दिलायी। यह उसका अन्तिम भाग है। यदि समिति की सिफारिशों को सरकार कार्यान्वित न करे तो इस विषय को प्रश्नोत्तर द्वारा या बजट पर वादविवाद के अवसर पर या और अन्य प्रकार से उठाया जा सकता है, यह बात तय हुई थी। यानी सदन के सदस्यों को यह मालूम होना चाहिए कि उस पर कार्यवाही हुई है या नहीं। इस बात को वह या तो प्रश्न के द्वारा उठायेंगे, या बजट के वक्त या प्रतिवेदन के साथ जब मेमोरेंडम छपेगा, तो उससे सदन के सदस्यों को जानकारी हो जायगी, तब उठावेंगे, परन्तु किसी विशेष प्रश्न को लेकर या उसे उठा कर ही विवाद हो सकता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी के श्री राज्यपाल के आचरण पर आक्षेपात्मक कथन के निस्सारण की मांग पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष---मैं एक बात और कह देना चाहता हूं। कल मैंने एक विषय पर आज निर्णय देने के लिए कहा था जो कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा यहां छेड़ा गया था कि कार्यवाही में से एक दिन का कुछ अंश काट दिया जाय, जो राज्यपाल से सम्बन्धित था। तो मैंने माननीय नेता विरोधी दल, सोशलिस्ट पार्टी और जिन्होंने भाषण दिया था उनको भी मौका दिया था और वित्त मंत्री जी से भी मैंने आज सबेरे बातें कीं। इन लोगों से मैंने बातें की थीं और आज भी की थीं। आज सुबह माननीय राजनारायण जी ने यह कहा था कि लोकसभा में भी एक दफा ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ था और वहां का जो निर्णय है उसे वे सामने पेश करेंगे। उसे वे ढूंढ़ रहे हैं। इसलिय मैंने यह निर्णय किया कि उन्हें अवकाश दूं। मैं समझता हूं कि यह उचित भी होगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण विषय है और इस तरह की चीजें कहीं मिलती भी नहीं हैं। नये ढंग का भी यह प्रश्न प्रतीत होता है जैसी कि परिस्थिति हमारे सदन में उत्पन्न हो गई है, इसलिये मैं काफी मौका विचार का देना चाहता हूं और अगर कोई निर्णय इस किस्म की बातों पर लोक सभा में हुआ है तो उसका भी ज्ञान मुझे फैसला देने के पहले हो जाना उचित समझता हूं। कल और परसों असेम्बली नहीं होगी और इस बीच में मैं भी प्रयत्न करूंगा उस फैसले को ढुढ़वा लूं, क्योंकि लोक सभा की बहुत सी छपी हुई कार्यवाहियां हमारे यहां आ गई हैं तो उन्हें भी मैं देख लूंगा और उसके बाद सोमवार को इसका निर्णय निश्चित तौर पर दूंगा। इससे अधिक समय अब नहीं बढ़ेगा।

लखनऊ आदि नगरों में कोयले की सप्लाई के संबंध में सूचना

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, परसों माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने कुछ सूचना कोयले के विषय में मुझसे मांगी थी और उस समय मैंने उन्हें यह बताया था कि हमारे विभागीय अधिकारी केन्द्रीय सरकार के कोयला कमिश्नर तथा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से इस सम्बन्ध में बातें कर रहे हैं। उन अधिकारियों ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से बातें की हैं तथा कोयला कमिश्नर से भी बातें की हैं। कोयला

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

कमिश्नर ने यह बताया था कि वैगन्स की कमी के कारण कोयला समय से कुछ स्थानों पर पहुंच नहीं रहा है। रेलवे बोर्ड का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया और प्रोडक्शन मिनिस्टर महोदय और सेक्रेटरी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया। अभी उन्होंने एक शार्ट अरेंजमेंट की पूर्ति के लिये ऐसे आदेश जारी कर दिये हैं कि ६० वैगन्स कोयला शीघ्र ही कानपुर में भेजा जाय। मुझे ऐसा बताया गया है कि इन वैगन्स की गाड़ी कल कोयले के स्थान से चल दी है और कदाचित वह आज कानपुर पहुंच चुकी होगी। इसके अलावा हमारी तरफ से यह निवेदन था कि इस प्रकार की दिक्कतें आइन्दा न होने पायें, इसलिये एक कांफ्रेंस विभागीय अधिकारियों की यानी प्रोडक्शन मिनिस्ट्री के अधिकारियों की तथा रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की तथा एम्प्लायर्स की बुलायी जाय जिससे कि वैगन्स के वितरण इत्यादि का विषय समय से पूर्व निर्धारित कर लिया जाय और आइन्दा इस तरह की दिक्कतें उत्पन्न न होने पायें। मैंने स्वयं प्रोडक्शन मिनिस्टर महोदय से निवेदन किया था और उन्होंने मेरे इस आग्रह और सुझाव को मान लिया है। कदाचित इस व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिये और दिक्कतों से बचने के लिये कोई कांफ्रेंस बुलाई जायगी, जिसमें इस प्रकार की दिक्कतों पर विचार करके ऐसे निर्णय लिये जा सकें कि भविष्य में ऐसी दिक्कत न पैदा हो। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और कोल कमिश्नर का यह कहना था कि कानपुर में जैसी हालत बतायी जाती है वहां है नहीं। उससे कहीं अधिक खराब हालत अहमदाबाद की है। बहरहाल इस विषय में मैं तो कोई उत्तर दे नहीं सकता था क्योंकि केन्द्रीय सरकार की तरफ से जब वितरण होता है तो उनके अधिकारी इस बात की जानकारी रखते हैं कि कोयला किस मिल के पास है और किस मात्रा में उस मिल ने खर्च किया है। जब कांफ्रेंस होगी तो हम ऐसा सुझाव भी उपस्थित करेंगे जिससे समय-समय पर हमें इस बात की जानकारी मिलती रहे कि किस मिल के पास किस हफ्ते में कितना कोयला है और किस मिल ने कितना कोयला एक हफ्ते या महीने के अन्दर खर्च किया है।

अनुदानों पर विचार के समय मंत्रियों के भाषण की व्यवस्था

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा एक निवेदन करना चाहता हूं। जैसे कल हुआ था कि कभी जो कटमोशन मूव करने वाले होते हैं उनके पहले ही मंत्रीगण बोलने लगते हैं और करीब ४५ मिनट या १ घंटा समय उसमें चला जाता है अनुदान पेश करते समय जब वह मूव करते हैं उसमें भी बहुत सा समय चला जाता है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ ऐसी व्यवस्था आप करें कि कटमोशन मूव करने वाले के बोल लेने पर अन्तिम भाषण माननीय मंत्री जी का हो या अगर वह बीच में कोई इंटरवीन करें तो जो सामान्य समय सबको मिलता है वह किसी उनके उपमंत्री या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को मिले। तो इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है, कि कोई ऐसी व्यवस्था आप कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह तो उचित होगा कि माननीय मंत्री जी कटमोशन मूव करने वाले के जवाब देने के बाद बोलें। पहली दफा तो प्रारम्भ वह करते ही हैं कि उनका प्रस्ताव है कि अनुदान स्वीकार किया जाय। तो दुबारा जो बोलने का तरीका है वह यही रहे तो ज्यादा अच्छा होगा कि कटमोशन जो पेश करने वाले हैं, वह जवाब दे लें उसके बाद वह दुबारा बोलें तो अधिक समय भी नहीं ले सकते और बीच में अगर बोलना है तो उनके उपमंत्री या सभासचिव बोल लें, यह तरीका ठीक होगा। इस तरह तीन दफा बोलने का उन्हें मौका नहीं आयेगा।

(नियोजन मंत्री के खड़े होने पर)

आपको कोई आपत्ति है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि मैंने कभी ऐसी धृष्टता नहीं की ?

श्री अध्यक्ष—यह आपके लिये नहीं कहा जा रहा है। लेकिन यह आज से पहले के अनुभव से आज के लिये कहा जा रहा है।

श्री राजनारायण—मैं एक निवेदन यह कर रहा था श्रीमन्, कि कल माननीय अधिष्ठाता महोदय यहां बैठे थे। तो उन्होंने कह दिया कि जब मंत्री जी खड़े हो जाते हैं तो उनको सर्वप्रथम स्थान अवश्य मिल जाता है, तो इसमें यदि वही व्यवस्था रह जायगी, तो मंत्री लोग खड़े होते रहेंगे और फिर दूसरे लोगों के लिये मुश्किल हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—तो जब मंत्री खड़े हों तब आप मुझ से कहें। श्री अधिष्ठाता जी के कल के फैसले को तो मैं काट नहीं सकता हूं। सिर्फ यह है कि जब मंत्री जी पुनश्च भविष्य में बोलने को खड़े हों, उस वक्त आप मुझसे राय ले लें।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव संबंधी सूचना पर सरकार द्वारा कार्यवाही करने की मांग

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—मेरे कामरोको प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो निर्णय आपने किया है उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन एक निवेदन मैं करना चाहता हूं कि जो तार मेरे पास आया था जिसके बारे में मैंने कामरोको प्रस्ताव रखा था, उस तार की कापी माननीय मुख्य मंत्री जी को भी आयी थी। इसमें लिखा हुआ है और उसके बाद यह तार आया, कल और चिट्ठी आयी। तो मैं समझता हूं कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी के पास तार आया था तो हमारे सूचना देने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार को स्वयं कार्यवाही करनी चाहिये। मुझको जानकारी श्रीमन्, यह है कि सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुयी। तो मैं यह चाहता था कि आप सरकार को आदेश दें कि इस तरह के तार जब आते हैं, ऐसे मामलों में तो सरकार को जल्दी से जल्दी कोई कार्यवाही करनी चाहिये। यही बात मुझे निवेदन करनी थी और मैं समझता हूं कि इसके लिये कोई उचित व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष—मैं तो समझता हूं कि यह सरकार का कर्त्तव्य है ऐसे मामले के ऊपर जबकि ऐसी चीज उनके सामने आ जाती है तो वह सरकार उसको देखे। लेकिन मेरे हिदायत देने के लिये ऐसी कोई प्रथा नहीं है कि मैं इसमें हिदायत दूं कि तुम अपना कर्त्तव्य करो। अपना कर्त्तव्य सरकार करे और मैं समझता हूं कि यह तो उनसे आशा ही की जाती है। अगर न करें तो आप अल्पसूचित प्रश्न कर दें, कि क्यों नहीं किया, उसको मैं उनके पास भेजवा दूंगा और इसके अलावा कोई और चीज करनी हो तो दफ्तर में आप मुझे रिक्वेस्ट करें, तो ज्यादा अच्छा होगा बजाय इसके कि आप सदन में उसे ही उठा कर तत्काल जानना चाहें। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि यदि कोई महत्व का विषय अध्यक्ष के सामने आ जाता है तो वह सरकार का ध्यान आकर्षित कर देता है। इस प्रकार ध्यान आकर्षित करने के लिये यह स्थान उपयुक्त नहीं है क्योंकि जब कोई महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आवे और किसी वजह से उसके किसी पहलू पर दृष्टि न पड़े तो खतरा भी पैदा हो सकता है, यदि उसे तत्काल प्रकाश में लाया जाता है। इसलिये ऐसी बातें जो हुआ करती है वह दफ्तर में हुआ करती हैं।

१९५६-५७ के आय-व्ययक के विभिन्न अनुदानों के लिये समय विभाजन

श्री अध्यक्ष--अनुदानों के सम्बन्ध में समय निर्धारण के सम्बन्ध में अपने सुझाव आप रख दीजिये ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--श्रीमन्, मेरा ऐसा विचार है कि अनुदान संख्या १९--चिकित्सा और अनुदान संख्या २०--जनस्वास्थ्य और अनुदान संख्या ५०--राज्य व्यापार की योजनायें ये तीनों ले लिये जायं ।

श्री अध्यक्ष--यह ४१ का अनुदान रह जाता है इस भी ले लिया जाय । १९, २० एक साथ ले लिया जाय और ४१, ५० एक साथ ले लिया जाय, कटमोशन लोग अलग-अलग से रख सकेंगे । क्या आपको इसमें कोई एतराज है ?

श्री जगन्नाथ मल्ल--ठीक है ।

श्री अध्यक्ष--तो सर्व सम्मति से यह निश्चय हुआ कि पौने चार तक १९--चिकित्सा और २०--जनस्वास्थ्य और पौने चार से ५ बजे तक ४१--योजना और एकीकरण तथा ५०--राज्यव्यापार की योजनाओं को, ले लिया जाय ।

१९५६-५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान--संख्या १९--लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०--लेखा शीर्षक ३९--जनस्वास्थ्य

*नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९--चिकित्सा (लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा) के अन्तर्गत, ३,७४,५५,००० रु० की मांग स्वीकार की जाय ।

मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०--जनस्वास्थ्य (लेखा शीर्षक ३९--जनस्वास्थ्य) के अन्तर्गत १,८९,८४, ३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

कदाचित् कई वर्षों में यह पहला ही अवसर है कि इन विभागों के अनुदानों में हम इस वर्ष एक बड़ा भारी परिवर्तन देख रहे हैं । यों तो प्रत्येक वर्ष किसी न किसी मात्रा में इन विभागों का अनुदान बढ़ाकर रखा जाता था परन्तु प्रदेश की कठिनाइयों को देखते हुये और आवश्यकताओं को देखते हुये हमारे बड़े प्रयास के बाद भी उस मात्रा में हम धन नहीं प्राप्त कर पाते थे जिस मात्रा में प्रदेश की आवश्यकतायें थीं । उत्तर प्रदेश, जहां तक बीमारियों का विषय रहा है, जहां तक स्वास्थ्य का विषय रहा है, ऐसा प्रदेश रहा है जिसे काफी गम्भीर परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है और उसका मुख्य कारण यह रहा है कि उत्तर प्रदेश नैपाल की सरहद से लगा हुआ है, वह नैपाल जो अभी अपने को विकसित नहीं कर पाया है और जहां कदाचित् बीमारियों इत्यादि के ऊपर वह इन्तजाम अभी नहीं हो पाया है जो किसी आधुनिक देश में बीमारियों के ऊपर रुकावट डालने के लिये होना चाहिये । साथ ही उत्तर प्रदेश उन प्रदेशों में रहा है जहां विभिन्न प्रदेशों से प्रत्येक वर्ष यात्री आते हैं और बीमारियों को ले जाते हैं क्योंकि इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रदेश में समय-समय पर बहुत से स्थानों पर बड़े-बड़े मेले हुआ करते हैं। इन कारणों से हमेशा उत्तर प्रदेश में बहुत सी छूत की बीमारियों के आने का डर रहता है, यानी कम्युनिकेबिल डिजीजेज के फैलने का डर रहता है। ताहम इन पिछले ४,६ वर्षों में जो कार्य इन कम्युनिकेबिल डिजीजेज के रोकने के लिये, इनके ऊपर प्रतिबन्ध लगाने के लिये हुआ है उससे हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि हमने काफी मात्रा में कम्युनिकेबिल डिजीजेज को रोका है, उनके फैलने पर प्रतिबन्ध लगाया है। माननीय सदस्यगण अच्छी तरह से जानते हैं कि यह प्रदेश मेलों के अवसर पर हमेशा शिकार हुआ करता था। कालरा या हैजे की बीमारियों का और कभी-कभी प्लेग की बीमारी का भी शिकार होता था। परन्तु ये हैजा और प्लेग की बीमारियां उत्तरोत्तर हमारे प्रदेश से घटती जा रही हैं और इसका यह नतीजा हुआ है कि जो हमारे प्रदेश का डेथ रेट वह देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में उत्तरोत्तर घटता रहा है। यदि जो प्रकाशित आंकड़े हमारे सामने हैं वे सही मान लिये जायं तो ऐसा बताया जाता है कि सन् ५४ तक हमारा डेथ रेट ९·८ था जबकि १९४६–४७ और ५० तक डेथ रेट करीब १५·६ था। और जब इन आंकड़ों का हम मुकाबिला करते हैं पंजाब से, बंगाल से या मद्रास से तो हमें पता चलता है कि हमने इस डेथ रेट के घटाने में जो प्रयास किया है उसमें अवश्य हमें सफलता मिली है। हमें बताया जाता है कि सन् ५४ ही के आंकड़ों के द्वारा कि वेस्ट बंगाल में डेथ रेट हजार पीछे करीब १२ था और पंजाब में १७.१२ था। यह आल इंडिया फीगर है, ४, ५ साल की। जो आंकड़े एकत्रित किये हैं उनके अनुपात में ऐसा बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में डेथ रेट उत्तरोत्तर घटता रहा और उसका मुख्य कारण यह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वे कार्य किये गये जिनसे कम्युनिकेबिल डिजीजेज अपने प्रदेश में बढ़ने न पाये, फैलने न पाय। माननीय सदस्यों को यह भली भांति ज्ञात है कि योजना आयोग ने जो सिद्धांत स्वास्थ्य की रक्षा के लिये और विकास के लिये अपनी योजना के तहत में रखें हैं उन्हीं पर विचार करके इस प्रदेश की सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की तहत में क्या-क्या कार्य करने हैं उनकी योजना बनायी है। केन्द्रीय आयोग ने जो पहला सिद्धान्त जन–स्वास्थ्य के विकास के लिये सुभीता प्रदान करने के लिये रखा है वह यह है कि अधिक संख्या में प्रदेश में संस्थायें रचे के अधिक साधन उन लोगों के लिये मोहैया किये जायं जो अभी तक उनको पा नहीं सके हैं, क्योंकि बहुत से स्थान उन स्थानों से दूर बसे हुये हैं और बहुत सी संस्थायें उन स्थानों से दूर बसी हुयी हैं जहां लोग रहते हैं और जहां स्वास्थ्य के सुभीते और साधनों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। उनका ध्येय यह है कि कम्युनिकेबिल डिजीजेज, छुआ–छूत की बीमारी जिन प्रदेशों में फैली हुयी है वह कम पड़े और साथ में ऐसी संस्थायें, अस्पताल, इत्यादि काफी संख्या में प्रदेश में रचे जायें जिनमें लोग सुभीते से जाकर अपना इलाज करा सकें। और जिसमें लोगों को उन संस्थाओं में जाने के लिये बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है और साथ ही उन संस्थाओं में काम करने के लिये ऐसी योजना बनायी जाय जिससे अधिक संख्या में पर्सनल तैयार हो जिसमें डाक्टर हों, नर्सेज हों, मिडवाइफ तैयार हों और हेल्थ विजिटर्स तैयार हों और यह भी व्यवस्था की जाय कि प्रदेश की जनसंख्या की आवश्यकताओं को देखते हुये और इन साधनों को देखते हुये यह इतनी मात्रा में न बढ़ जाय कि जो व्यवस्था हम रचें, वह ठीक तरह से संचालित न की जा सके। इन ध्येयों को सामने रख कर द्वितीय पंच वर्षीय योजना की हमने रचना की है। यद्यपि हमें इसकी रचना करते समय वह साधन उपलब्ध नहीं हो पाये जो हम काफी मात्रा में रखना चाहते थे।

माननीय सदस्यों को विदित है कि हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा रची थी उसमें स्वास्थ्य विभाग के कार्यों के लिये काफी महत्व दिया था और ७०।७५ करोड़ की यह योजना बनी थी और इसमें वह कार्य सम्मिलित नहीं थे जिनका सम्बन्ध लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के विभाग से है और जो एक तरह से इन कार्यों को सम्पादित करते हैं जिनसे इन्वायरेंटल हाईजीन की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य बनाने की व्यवस्था हो, यानी गंदी नाली

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

वगैरह का प्रबंध करने की व्यवस्था करें परन्तु जैसा कि माननीय सदस्यों को पता होगा कि यह योजना काट छांट कर केवल १९ करोड़ की ही रह गयी जिसमें इन्वायरेंटल हाईजीन के धन में से वह धनराशि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विभाग में इसको सम्पादन करने के लिये प्रदान की गयी है। यद्यपि पब्लिक हेल्थ के बजट में इसका वर्णन किया गया है और उसके आंकड़े भी सम्मिलित कर लिये गये हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना जैसा कि मैंने बतलाया इतनी मात्रा में नहीं रखी गयी थी जितनी कि हम रखना चाहते थे, ताहम उसकी जो धनराशि है, जो अनुदान था हम ४, ५ वर्ष में पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जहां तक स्वास्थ्य विभाग का सम्बन्ध है करीब ३ करोड़ ७० लाख रुपये की रकम उसके कार्यों के सम्पादन के लिये रखी गयी थी और १ करोड़ ७० लाख की रकम जनस्वास्थ्य के लिये रखी गयी थी, अलावा इसके विभिन्न योजना के लिये इस विभाग के लिये रखी गयी थी। हमने जैसा कि बतलाया कि इन योजनाओं को काफी मात्रा में पूरा किया और आज जो बजट है जो आपके सामने विचारार्थ उपस्थित कर रहे हैं वह करीब-करीब १९५०–५१ से दुगुना हो गया है और जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अंत होगा तो कदाचित् यह बजट प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त के बजट को देखते हुये करीब तिगुना हो जायगा और होना भी चाहिये। फिर भी जैसा कि मैंने कहा कि इससे हमारी समस्या सुलझ नहीं जायगी और हमारी आवश्यकतायें पूरी नहीं हो पायेंगी क्योंकि प्रदेश की जनसंख्या बहुत लम्बी-चौड़ी है और प्रत्येक वर्ष हम जनसंख्या में ७ लाख की वृद्धि कर देते हैं ताहम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन सवालों को ध्यान में रखते हुये जो केन्द्रीय आयोग ने हमारे समक्ष रखे हैं, हमने ऐसा प्रयास किया है कि अधिक मात्रा में अपने अस्पतालों के तहत में साधनों को मुहैया करके अधिक मात्रा में स्वास्थ्य विभाग के निर्माण कार्यों को करें। उन इमारतों का निर्माण अधिक मात्रा में करें, जो गिरी हुयी हैं या अस्पताल के लिये इमारतें बनी नहीं हैं।

यदि हम आंकड़ों में बह जायेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने ७ करोड़ २४ लाख रुपया इमारतों को बनाने के लिये रखा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ६ करोड़ ५८ लाख रुपया हमने इन तमाम डाक्टरों की नियुक्तियों के लिये, नर्सेज की नियुक्तियों के लिये, दाइयों की नियुक्तियों के लिये, हेल्थ विजिटर्स की और मिडवाइफ की नियुक्तियों के लिये, रखा है और ३ करोड़ २० लाख रुपया अस्पतालों में जो सज्जा इत्यादि के मातहत करना है, उसके लिये हमने रखा है। १ करोड़ ३३ लाख रुपया हमने दवाइयों की बढ़ोत्तरी के लिये रखा है और ६५ लाख रुपया हमने मरीजों के खाने की व्यवस्था में सुधार लाने के लिये और उसमें बढ़ोत्तरी के लिये रखा है।

अब तक प्रदेश में इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक करीब ४२३ एलोपैथिक अस्पताल और ५६७ आयुर्वेदिक और यूनानी अस्पताल खुल चुके होंगे, इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक। हमने इस वर्ष कई अस्पताल खोले, कई अस्पतालों का प्रान्तीयकरण किया। स्त्रियों के अस्पताल भी खोले, मरदों के अस्पताल भी खोले और उनकी संख्या और वर्षों को देखते हुये अधिक रही। करीब ३३ एलोपैथिक अस्पताल खुले, ७ स्त्रियों के और २० आयुर्वेद के अस्पताल खुले और इस प्रकार हमने इस वर्ष प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में कार्य काफी बढ़ाया, जो कार्य अन्य वर्षों में इतनी संख्या में हो नहीं पाया था।

अब जब हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना को रचने जा रहे हैं, हमारा यह प्रयास था कि जो घोषणा हम पहले कर चुके हैं कि प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में हम ५ मील के दायरे में एक अस्पताल बना दें और जिसे हमने १९५०–५१ में घोषित किया था, किन्हीं कारणों से हम पूरी न कर सके। उन कारणों का मैंने प्रारम्भ में ही वर्णन किया कि उस समय हमारी सारी धनराशि खाद्यान्न के उत्पादन की ओर खींच ली गयी थी इसलिये हम अपने कार्य को आगे नहीं बढ़ा सके। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम २५० एलोपैथिक अस्पताल, ६५ स्त्रियों के अस्पताल और ५०

आयुर्वेद के अस्पताल खोलने जा रहे हैं। और अलावा इन अस्पतालों के हम प्रदेश में करीब ५, ६ मेटरनिटी सेंटर्स और ११ सौ से ऊपर मेटरनिटी सेंटर्स स्वास्थ्य विभाग और नियोजन विभाग की तहत में अगले पांच वर्षों में इस प्रदेश में खोलने जा रहे हैं। अब तक प्रदेश में करीब १३ या साढ़े १३ हजार बेड्स अलावा टी०बी० और मेंटल केसेज के हैं। टी०बी० और मेन्टल केसेज के बेड्स की संख्या ढाई हजार है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ४,२०० बेड्स टी०बी० और मेन्टल के हम बढ़ाने जा रहे हैं। अगर हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा जो केन्द्रीय आयोग ने प्रकाशित की है, देखी होगी और उसका अध्ययन किया होगा, तो उससे हमें पता लगता है कि केन्द्रीय आयोग ने भी सारे देश में २४ फीसदी से अधिक बेड्स की रचना की व्यवस्था अपनी व्यवस्था में नहीं की है और अगर हम उसकी सिफारिशों को देखें तो हमें पता चलेगा कि उसकी सिफारिशों को हमने अपने यहां पूरी तरह कार्यान्वित करने की चेष्टा की है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि १३ हजार ५०० बेड़स है प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारे यहां करीब ९०० बेड्स १९५०-५१ के बाद बढ़ाये जा सके हैं, लेकिन अगले पांच वर्षों के अन्त में प्रदेश में करीब ४,२०० बैड्स और बढ़ने जा रहे हैं।

हम अब तक जितना व्यय दवाइयों के ऊपर करते थे, जितना इक्विपमेंट के ऊपर व्यय करते थे और जितना और साधनों पर व्यय करते थे, उन सब में व्यय के आंकड़ों को भी अगले द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने बढ़ाया है। करीब १३ लाख रुपया हम बेड्स पर व्यय करते थे, तीन चार वर्ष पहले और वह १३ लाख रुपया आज करीब २४ लाख रुपये तक पहुंच चुका है। २४ लाख रुपये तक पहुंच चुके हैं। इक्विपमेंट के लिये प्रत्येक वर्ष पहले २१ लाख रुपया व्यय करते थे। अब इस वर्ष करीब ३७, साढ़े ३७ लाख की हद तक हम पहुंच जायेंगे। अगले वर्ष जो हमने ३ करोड़ २० लाख रुपया इक्विपमेंट के लिये रखा है उसमें १० लाख रुपया दवाइयों के ऊपर और १५ लाख रुपया इक्विपमेंट इत्यादि के लिये व्यय करने जा रहे हैं। हमारा यह प्रयत्न इस बात को प्रकट करता है कि उत्तरोत्तर हमारा खयाल बेड्स की संख्या बढ़ाने की तरफ है और गांवों में उन सुविधाओं को देने की तरफ है जिन सुविधाओं से गांव वाले अभी तक वंचित रहे हैं। हमारा प्रयास इन सुविधाओं को प्रदान करने की तरफ बराबर है ताकि उन गांव के निवासियों को हम वे सुविधायें दे सकें जो उनको मिलनी चाहिये और जो उनका हक़ है और जिनके द्वारा हम अधिक मात्रा में उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। हमने जैसा कि अभी आपको बताया कि इस योजना के तहत में अस्पतालों के भवन की निर्माण योजना भी हमने बनायी है और उसके लिये काफी धनराशि हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रखी है। अगले वर्ष में भी अस्पतालों के भवन निर्माण के लिये काफी धनराशि करीब १ करोड ४० लाख रुपया हम अपनी अस्पतालों के भवन का निर्माण करने में व्यय करने जा रहे हैं, जिससे कानपुर का मेडिकल कालेज बनने वाला है। देश में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां की इमारतें बिलकुल खराब हो गयी हैं और जहां पर नये अस्पताल बनाने की आवश्यकता है। उन स्थानों में शाहजहांपुर, मुरादाबाद, इलाहाबाद, पौड़ी गढ़वाल, आजमगढ़ के स्थान हैं। इन अस्पतालों में हम नई इमारत अस्पताल की बनाने जा रहे हैं। अभी हमने प्रदेश में इधर ३, ४ वर्षों में ४,५ जगह बिल्कुल नये अस्पताल बनाये हैं। गोंडा का नया अस्पताल और फिरोजाबाद और रायबरेली का नया अस्पताल बनाया गया है। देवरिया में भी एक नया अस्पताल बनाया गया है। प्राइवेट चैरिटी की मदद से भी गाजियाबाद और खुर्जे में भी नये अस्पताल बनाये गये हैं। और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के तहत में भी बड़े-बड़े स्थानों पर अस्पताल बनाने की हमारी योजना है। हम इस वर्ष सहारनपुर में एक अस्पताल बनाने जा रहे हैं। पौड़ी-गढ़वाल में एक अस्पताल बना रहे हैं। बाराबंकी में एक अस्पताल जो एक वर्ष से बन रहा है कदाचित् वह अगले वर्ष तक बिलकुल बनकर

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

तैयार हो जायगा। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां हमें संस्थाओं को निर्माण करने की आवश्यकता थी वहां हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण करने का प्रयत्न किया है। साथ ही जिलों के अस्पतालों में कमिश्नरी के हेडक्वार्टर के स्थान में नये वार्ड्स की स्थापना करके नई इमारत बना कर बेड्स की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न किया है। हमारा ऐसा प्रयत्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रदेश के रहने वाले उन व्यक्तियों के लिये जो किसी स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की आवश्यकता समझते हैं, उनको महज लखनऊ या आगरा न जाना आना पड़े। जिले के अस्पतालों में ऐसा प्रबन्ध हो जाय और कमिश्नरी के हेडक्वार्टर पर ऐसा प्रबन्ध हो जाय कि वहां के प्रत्येक व्यक्ति को स्पेशलाइज ट्रीटमेंट मिल सके। यह दुख की बात थी कि यदि किसी मरीज को जो गोरखपुर या देवरिया में रहता है उसको बीमारी के लिये विशेषज्ञ से कन्सल्टेशन करने के वास्ते लखनऊ आना पड़ता था या आगरा जाना पड़ता था। क्योंकि उन स्थानों में ही मेडिकल कालेजों में विशेषज्ञ रहते हैं। उनके द्वारा ही वह इलाज कराते थे। जिले में उनके इलाज के लिये सुभीता नहीं थी। इसलिये इन विशेषज्ञों की नियुक्ति के विषय में उन केन्द्रों पर ऐसा प्रबन्ध किया गया है। इन २५ जिलों के अस्पतालों में जहाँ पर कमिश्नरी के हेडक्वाटर में अस्पताल हैं, वहां पर यह प्रबन्ध किया गया है कि वहां पर लोग आंख के इलाज के लिये, कान के इलाज के लिये, मेडिसिन के इलाज के लिये, सरजरी के इलाज के लिये, एनिस्थीसिया के सुभीते के लिये, ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि कुछ अस्पतालों में विशेषज्ञ नियुक्त किये जायं जिससे लोग उन विशेषज्ञों की सेवाओं से पूरा-पूरा लाभ उठा सकें। इसके लिये हमने मेडिसिन, सर्जरी और एनिस्थीसिया के लिये विशेषज्ञों का प्रबन्ध इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २५ और अस्पतालों में किया है ताकि निकटवर्ती जनता उनसे यह सहायता प्राप्त कर सके जो वह उनसे प्राप्त करना चाहती है और जिसको प्राप्त करने का उसे हक़ है।

हमने इसकी भी चेष्टा की है कि आंखों के इलाज के लिये, गुप्त रोगों के इलाज के लिये, दातों और औक्यूपेशनल थिरेपी इत्यादि के लिये अपने प्रदेश के १० अस्पतालों में इस प्रकार का प्रबन्ध करें ताकि प्रदेश की अधिक से अधिक जनता को हम लाभ पहुंचा सकें। हमारी अभिलाषा थी कि प्रत्येक जिले में हम इस प्रकार की सुविधा दें, लेकिन दुर्भाग्य-वश तथा धनराशि की कमी के कारण ही हमने इस कदम को उठाया है ताकि उनके निकट-वर्ती क्षेत्रों की जनता उससे लाभ उठा सके।

हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ऐसी योजना भी बनायी है कि प्रत्येक तहसील के हेडक्वार्टर पर आंखों के इलाज के कैम्पस लगाये जायं। आप लोगों को यह तो पता ही होगा कि जनता के लाभ के लिये, सीतापुर और अलीगढ़ के अस्पतालों की ओर से ऐसे कैम्पस प्रान्त के विभिन्न स्थानों में लगाये जा रहे हैं, सरकारी सहायता और जनता के सहयोग से। परन्तु वे भी उतनी मात्रा में इन कैम्पों की रचना नहीं कर पाये जितनी कि इस प्रान्त को आवश्यकता है क्योंकि देहाती क्षेत्रों में काफी तादाद में आंखों का रोग फैला हुआ है। हम में से हर एक इस बात को जानता है कि आंखों का रोग किसी भी व्यक्ति के लिये क्या मानी रखता है। यदि किसी की आंखों में प्रकाश न रहे, उसको धुंधला दिखने लगे तो उसको किस प्रकार की तकलीफ होती है। यह रोग देहातों में काफी मात्रा में फैला हुआ है और गरीब आदमी अपने उस प्रकाश से वंचित रहते हैं क्योंकि विशेषज्ञ उनके पास पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिये हमने इस कार्य की पूर्ति के लिये अलीगढ़ और सीता-पुर के अस्पतालों के अलावा हमने कानपुर की सोसाइटी को भी यह कार्य दे दिया है। आगरा और कानपुर के मैडीकल कालेजेज को भी यह कार्य दे दिया गया है। वहां के जो आंखों के अध्यक्ष हैं वह भी अपने अपने सीमित दायरे में कैम्पस की रचना करेंगे ताकि इस रोग से ग्रसित लोगों की सेवा हो सके।

जब हम ऐसा करने जा रहे हैं तो इस बात की आवश्यकता है कि हम अधिक संख्या में डाक्टर पैदा करें तथा अधिक संख्या में नर्सों की व्यवस्था की जाय। इसके लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक करोड़ रुपये की रकम इस कार्य के लिये रखी गयी है। उनकी शिक्षा के लिये रक्खी गयी है। नर्सेज, मिडवाइब्स, आदि की कमी की पूर्ति के लिये इस वर्ष ६ संस्थाओं के स्थापित करने की योजना की गयी है। उनके द्वारा नर्सेज और मिडवाइब्स की शिक्षा का प्रबंध किया जा रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ६ और संस्थायें खोलने वाले हैं जिससे अधिक संख्या में उनकी लिखा-पढ़ी की जा सके और जिससे सरकार अधिक संख्या में इस प्रकार की नर्सेज, मिडवाइब्स, सेनीटरी इंसपेक्टर्स अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। ऐसे आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं। हमें यदि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन योजनाओं को पूरा करना है तो हमें १,८०० मिडवाइब्ज, १,३०० नर्सेज, ७०० कम्पाउंडर्स, ४०७ हेल्थ विजिटर्स और ४०० सेनिटरी इंस्पेक्र्स की आवश्यकता पड़ेगी। हमने मिडवाइब्स क्लासेज के लिये तो ६ संस्थायें इस साल स्थापित की थीं और बाकी ६ हम अगली द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ कर देंगे। हेल्थ विजिटर्स को ट्रेनिंग देने के लिये हमने दो और संस्थाओं को निर्मित करने का इरादा किया है और हेल्थ विजिटर्स ट्रेनिंग स्कूल में जो कार्य हो रहा है उसमें अब तक सिल्वर जुबली स्कूल में २० हेल्थ विजिटर्स पढ़ाये जाते थे लेकिन इस वर्ष से उनकी संख्या हमने ६० कर दी है। इस तरह से उस संख्या को कदाचित् पूरा करने में हम सफल हो सकेंगे जिसका जिक्र अभी मैंने आपके समक्ष किया है। सेनिटरी इंस्पेक्टर्स की वृद्धि के लिये हमने ऐसा प्रबन्ध किया है कि प्रदेश में एक और शिफ्ट के तरीके से जिस संस्था में उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है और अधिक सेनिटरी इंस्पेक्टर्स की शिक्षा दी जाय ताकि वह कार्य जिसको पूरा करने के लिये हम सोच रहे हैं उसे हम शीघ्रता के साथ पूरा कर सकें बिना अधिक खर्चा बढ़ाये हुये और बिना अधिक उस ओर अधिक धन व्यय किये हुये हमने ऐसा भी इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रबन्ध किया है कि मेडिकल कालेज में जो आधुनिक सुभीते प्राप्त नहीं थे जिसके लिये कभी कभी हमारे प्रदेश के निवासियों को या तो अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता था या बाहर इलाज कराने के लिये जाना पड़ता था, उसका भी हम प्रबन्ध करें। इसीलिये हमने आगरा और लखनऊ के मेडिकल कालेज में तथा अन्य स्थानों पर भी चेस्ट सर्जरी का प्रबन्ध किया है—आप जानते हैं कि टी० बी० का अभी तक ऐसा इलाज होता है जिसमें फेफड़े आदि का आपरेशन नहीं किया जा सकता, परन्तु अब आधुनिक इलाज का ढंग बदल गया है और कदाचित् किसी एक फेफड़े को निकाल देने से एक व्यक्ति की उम्र बढ़ाई जा सकती है, उसे रोग से दूर रक्खा जा सकता है। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि चेस्ट सर्जरी चालू की जाय और उसका प्रबन्ध हमारे इन मेडिकल कालेजेज में हो। बच्चों के इलाज के लिये जो छुटपन से पेरालाइसिस के शिकार हो जाते हैं उनके लिये अपने प्रदेश में कोई इलाज का इन्तजाम नहीं था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लखनऊ मेडिकल कालेज में एक पोलियो क्लिनिक खोलने की व्यवस्था की है। साथ ही कैंसर का प्रबन्ध इस प्रदेश में नहीं था। प्रत्येक साल लोग, सदस्यगण और माननीय मंत्रियों के पास आते थे और चाहते थे कि उनकी सिफारिश बम्बई और पटना के अस्पतालों को इलाज के लिये कर दी जाय। हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक अस्पताल कैंसर का कानपुर में खोलने की योजना रक्खी है और दूसरा अस्पताल कमला नेहरू अस्पताल के साथ खोलने की योजना रक्खी है। काफी परेशानी हुआ करती थी जब हमारे पास इस प्रकार के मरीज आते थे जो कैंसर का इलाज कराना चाहते थे तो शर्म आती थी कि हमें उनको पटना या बम्बई इलाज के लिये भेजना पड़ रहा है। हम बहुत अनुगृहीत हैं पद्मपति सिंहानिया जी के कि उन्होंने कैंसर के इलाज के लिये अस्पताल की बिल्डिंग अपने खर्चे से बनाने का वचन दिया है। उन्होंने एक योजना भी बना ली है इस अस्पताल के बनाने की। इस अस्पताल के बनाने का कार्य भी मेडिकल कालेज

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

के कार्य के साथ साथ चलता रहेगा और हमें आशा है कि अगले वर्ष के अन्त तक यह अस्पताल हमारे बीच में स्थापित हो जायगा। जहां तक कमला नेहरू अस्पताल का सम्बन्ध है और उस से सम्बन्धित कैंसर इंस्टीट्यूट का सम्बन्ध है उसके बारे में अधिक नहीं कहना है। हमारा कमला नेहरू अस्पताल अपने प्रदेश की प्रमुख संस्थाओं में से है, जो आज हमारी बहिनों और स्त्रियों की काफी सेवा कर रहा है और इसलिये हमने मुनासिब समझा कि उस संस्था से सम्बन्धित एक कैंसर इन्सटीट्यूट वहां बना दें। इसके अलावा हमने अपने आदरणीय और सम्मानित मित्र जिनका अभी निधन हो गया है जिन्होंने जब वह विदेश गए थे मेरे पास कुछ अपने वहां के तजुर्बे की बुनियाद पर सलाह भेजी थी, मेरा तात्पर्य आदरणीय नरेन्द्रदेव जी से है, वह दमे के मरीज थे और जब वह विदेश गये थे, तो उन्होंने ऐसा अनुभव किया था कि दमे के इलाज का प्रबन्ध विदेशों में एक दूसरे ढंग से होता है और वह ढंग अभी हमारे प्रदेश में नहीं है, उन्होंने इस बात की सिफारिश भेजी थी कि हमको ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि हमारी इन संस्थाओं में साइक्लोफीजियो थेरेपी का इन्तजाम हो और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने इस विषय को भी अपनी शिक्षण संस्थाओं में रखने का प्रबन्ध किया है और वह संस्थायें इस विषय में एक नवीन ढंग से कार्य करेंगी, जिससे आधुनिक विज्ञान की देन का लाभ प्रत्येक बीमार को मिल सके।

जहां तक क्षय रोग का सम्बन्ध है, इस विषय में भी हम पिछले ५–६ वर्ष में काफी प्रगति करते रहे हैं। यद्यपि जिस मात्रा में लोग इस रोग से पीड़ित रहते हैं जिनकी संख्या बताया जाता है कि करीब ५ लाख के है और अभी हम उनके लिये अपने यहां इतने बेड्स का प्रबन्ध नहीं कर पाये हैं कि वह सब अस्पतालों में रह सकें लेकिन अब आधुनिक क्षय रोग का इलाज घर का इलाज समझा जाता है और आज विदेशों में टी० बी० के मरीजों को सेनिटोरियम्स में भेजने की जरूरत नहीं है और आधुनिक विज्ञान के बारे में बताया जाता है घर में इलाज होने से और जो नई दवायें निकल रही हैं उनके प्रयोग से काफी लाभ होगा। ५–६ वर्ष पहले हमारे यहां बेड्स की तादाद केवल ३१७ थी और अब वह १,०१७ है और हमारा प्रयत्न है कि अब बेड्स प्रदेश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में हर तरफ विकसित किये जायं। पहले बताया जाता था कि केवल पहाड़ी क्षेत्रों में ही ऐसे सेनीटोरियम और बेड्स की रचना होनी चाहिये लेकिन अब आधुनिक विज्ञान कहता है कि प्रत्येक स्थान पर वह साधन मुहैया करने की चेष्टा की जाय जो क्षयरोगी को आराम पहुंचा सके और उसे उन परेशानियों से दूर रखा जाय जो उसके रोग का कारण होती हैं। इसलिये माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि हम ने दो-तीन वर्ष में सूबे के भिन्न क्षेत्रों में टी० बी० बेड्स का प्रबन्ध किया है। थोड़े से बेड्स का प्रबन्ध लाला लाजपतराय अस्पताल में, कुछ बेड्स का प्रबन्ध इटावा में किया गया, फिरोजाबाद के अस्पताल के वार्ड्स में भी कुछ बेड्स का प्रबन्ध किया गया है। अभी हाथरस में भी कुछ रुपया इमारत के लिये मिल सका है, वहां भी हम प्रबन्ध कर रहे हैं। इसी तरह से बस्ती जिले में भी टी० बी० का अस्पताल बनाया गया है, गोरखपुर में भी बनने जा रहा है और अगली द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत में और उससे पूर्व भी बनारस में एक बड़ा अस्पताल बन रहा है। मुजफ्फरनगर में भी टी० बी० वार्ड बना। डाक-पाथर में भी पहले से एक टी० बी० सेनिटोरियम था वह अब वहां से हटने वाला है, क्योंकि वह जिस स्थान पर है वहां वह काम होने वाला है जिस काम के लिये वह स्थान चुना गया था यानी वहां जमुना हाईडल वर्क्स आरम्भ किये जांयगे। इस लिये इस अस्पताल को हम सहारनपुर ले जायंगे क्योंकि हम वहां एक बड़े अस्पताल की रचना कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमारी ऐसी योजना है कि हम उस अस्पताल को भी उसी से सम्बन्धित कर दें जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट हमारी नए अस्पताल की ज्यादा न पड़े। बेड्स की व्यवस्था के अतिरिक्त हमने अपने प्रदेश में टी० बी० के रोग से बचाव के लिये बी० सी० जी० के टीकों को काफी मात्रा में बढ़ाया है। शहरों में काफी टीके लगाये हैं। काफी देहाती क्षेत्रों में भी टीके

लगाये गये हैं। और बी० सी० जी० की ११ टीम्स कार्य कर रही हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यों तो हम काफी टीमें चाहते थे परन्तु धनराशि के कमी के कारण हम ८ टीमें और बढ़ा रहे हैं। और इस तरह से हम टी० बी० के रोग पर एक प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं, जिससे वह अपने प्रदेश में बढ़ने न पाये और जिससे उन बच्चों के बीच में जो कल के भावी नागरिक बनने वाले हैं यह रोग घर न कर सके। इसी तरह से जो टी० बी० की तरह छूत के रोग हैं, केन्द्रीय आयोग भी लेपरेसी, टी० बी० और फाइलेरिया के हटाने पर बहुत जोर दे रहा है और हम भी उस पर बहुत जोर देना चाहते हैं क्योंकि यदि प्रदेश में प्रिवेंटिव साइड काफी मात्रा में फैलाया जाय तो स्वास्थ्य की व्यवस्था, अस्पतालों की व्यवस्था और बहुत से डाक्टरों की नियुक्ति की व्यवस्था हमें नहीं करनी पड़ेगी। हमारा इधर भी ध्यान है। हमारे यहां १३, १४ संस्थाएं, विभिन्न मिशन की संस्थायें, लेपरेसी के कार्य में लगी हुई हैं और हमारे यहां लेपरेसी के लगभग १२ सौ बेड्स की व्यवस्था है। लेकिन हमने अगले वर्ष इन संस्थाओं को अधिक धनराशि दे कर इनमें वृद्धि करने का प्रयत्न किया है। इनवेस्टीगेशन और रिसर्च के लिये दो स्टेशंस स्थापित करने की व्यवस्था की गयी है। इस समय एक देहरादून में सेंटर है और गोरखपुर में एक मोबाइल सेंटर है। वे भी इस कार्य में पहले से लगे हुये हैं। इस प्रकार हम ऐसा प्रबन्ध कर रहे हैं कि यह रोग अपने प्रदेश में काफी तेजी के साथ हटाया जा सका।

मैटरनिटी और चाइल्ड वेलफेयर के लिये हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काफी प्रबन्ध किया है। जैसा कि मैंने प्रारम्भ में बताया पांच सौ मैटरनिटी सेंटर्स स्वास्थ्य विभाग की तहत में और ११ सौ से अधिक सेंटर्स प्लानिंग विभाग के अन्तर्गत खोलने जा रहे हैं। पिछले चार पांच वर्षों में हमारे प्रदेश में करीब पांच सौ मैटरनिटी सेंटर्स खुले चुके हैं और अन्य प्रदेशों के मुकाबले में जो सेंटर्स वहां पिछले चार पांच वर्षों में खुले हैं हमने अधिक संख्या में सेंटर्स खोले हैं। हमने करीब २ सौ मैटरनिटी सेंटर्स तीन वर्षों में खोले हैं। और यदि हम उन आंकड़ों का अध्ययन करें जो अन्य प्रदेशों के हैं तो हमें पता लगेगा कि हमने अन्य प्रदेशों के मुकाबले में एक अगुवा का कार्य किया है। बच्चों की सेहत के लिये और मां की सेहत के लिये सरकार ने पाजिटिव स्टेप इस प्रकार का लिया है और वह पाइलट प्राजेक्ट की तरह से है। माताएं और बहनें जो गर्भवती हों उनके लिये दूध आदि का प्रबन्ध किया जायगा। अब तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसमें गर्भवती स्त्रियों को बूध का प्रबन्ध हो। पिछले वर्ष भी कुछ शहरों और देहाती क्षेत्रों के लिये ऐसा प्रबन्ध किया गया था कि दो लाख की धनराशि दूध के वितरण के लिये रखी गयी थी। अगले वर्ष भी हम इस योजना को रखते हुये, उसमें वृद्धि करते हुये इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अन्य देहाती और शहरी क्षेत्रों में भी अपनी इस योजना को चलाना चाहते हैं। साथ ही में बच्चों की सेहत के लिये हम एक बच्चों का अस्पताल इलाहाबाद में खोलेंगे। एक अस्पताल लखनऊ में २६ जनवरी को खुल चुका है। इन दोनों अस्पतालों की तहत में बच्चों के विशेषज्ञों द्वारा इलाज का प्रबन्ध किया जायगा। साथ ही में ऐसा भी प्रबन्ध इस योजना के तहत में किया गया है जिससे बच्चों के अन्दर बीमारियां फैलने ही न पायें। हमने पिछले वर्ष भी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी हमने ऐसी योजना बनायी है, जिसकी तहत में बच्चों के खेल कूद इत्यादि के सामान का अधिकांश संख्या में, खुले मैदानों में, नगरियों में प्रबन्ध हो सके। और ऐसे स्थानों में हो सके जहां कि जनसंख्या बहुत घनी है और जहां खुले मैदान लोगों को और बच्चों को खेलने कूदने के लिये उपलब्ध नहीं हैं। हम समझते हैं कि हमें आम लोगों की सेहत को दुरुस्त रखने के लिये इसी से सिद्धि नहीं हो जाती कि हम उनके लिये अधिक अस्पताल बना दें। पर आज किसी आदमी को अच्छा रखना है तो हमें ऐसा इंतजाम करना है

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

जिससे कि उस इंतजाम की तहत में व्यक्ति को अच्छा खाना मिल सके, अच्छा रहने को मिल सके और अच्छा घूमने-फिरने को मिल सके, जिससे वह अपने को बीमारियों से वंचित रख सके। बैलेन्स्ड ढंग से हमें इस स्वास्थ्य की समस्या को हल करना है और आज महज अस्पतालों को निर्मित कर देने से या बेड की रचना करने से कार्य होने वाला नहीं है। तो समस्या बहुत बड़ी है क्योंकि जितनी मात्रा में अच्छे घर रहने को लोगों को मिल सकेंगे, जितना घूमने फिरने और खेल के मैदान मिल सकेंगे, खुले मैदान मिल सकेंगे, जितनी मात्रा में लोगों के रहने के लिये हम प्रबंध कर सकेंगे उतनी मात्रा में प्रदेश में स्वास्थ्य की समस्या हल्की होती जायगी और हमारी सारी योजना उसी ओर ले जाने वाली है। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में करने जा रहे हैं, उसका मंशा यह है कि लोगों का स्तर ऊंचा किया जाय, लोगों के रहन-सहन में परिवर्तन लाया जाय और जब वह परिवर्तन और रहन-सहन ऊंचा उठता हमें दिखायी पड़ेगा त्यों-त्यों हमारी समस्या घटती जायगी और हमारी कठिनाइयां हमारी नजरों के सामने विलीन होती जायंगी और स्वास्थ्य विभाग की योजना रचना के सम्बन्ध में भी हमने इसी नीति को अपनाया है।

जहां हमने इन नयी व्यवस्थाओं को रचने का प्रबंध किया है वहां हमने इस बात की चेष्टा की है कि आयुर्वेद और यूनानी दवाइयों इत्यादि के वितरण के लिये उनके बनाने के लिये हम अच्छा प्रबंध करें। यों तो माननीय सदस्यों को भी यह भली-भांति विदित है कि हमारे प्रदेश में फार्मेसी चल रही है। उस फार्मेसी में अब तक सिर्फ सरकारी दवाखानों के लिये ही दवायें तैयार होती हैं। हमारी ऐसी योजना है। अगली योजना के चलते-चलते हम ऐसा प्रबंध करें कि हमारी इस फार्मेसी में स्टेन्डर्डाइज दवायें तैयार हों जो बाजार में जा सकें, जो उन संस्थाओं में भी इस्तेमाल की जा सकें जो संस्थायें प्राइवेट चैरिटी के तहत में चल रही हैं। और इसलिये हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी रखा है कि हम उसके लिये अधिक धनराशि व्यय करें और उसके बेचने का सेल डिपो द्वारा प्रबंध करें। जहां हमने दवाइयों का प्रबन्ध किया है, वहां आयुर्वेद और यूनानी के ५० दवाखानों का भी प्रबन्ध किया है और यहां का जो आयुर्वेदिक कालेज में उसके स्तर को ऊंचा करने के लिये और उसमें उन तमाम बातों के स्थापित करने के लिये जो कि आज आयुर्वेदिक के विज्ञान को फैलाने के लिये आवश्यक है, हमने प्रबंध किया है। हमारी ऐसी धारणा है कि यदि आयुर्वेद के प्रति लोग प्रेम प्रदर्शित करते रहे, तो आयुर्वेद विकसित हो सकता है यदि उससे सहयोग प्राप्त करते रहे। और इस ओर मैं खास तौर से माननीय सदस्यों का ध्यान चीन की व्यवस्था की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। थोड़े दिन हुये हमारे पास एक खत कुछ व्यक्तियों ने भेजा जिसमें वर्णन था उन कथनों का, जो कि वहां के निर्माता कहिये, डिक्टेटर कहिये, उन्होंने कथन किया था एक स्थान पर जहां आधुनिक विज्ञान से पढ़े हुये डाक्टर और उनके सबसे बड़े डाक्टर या प्रधान उपस्थित था और वहां मुझे ऐसा बताया गया है कि वहां के निर्माता ने और वहां के इन डाक्टर महोदय ने जो कि वहां के डाक्टरों के संघ के सभापति थे उन्होंने आधुनिक प्रणाली में विश्वास रखने वाले डाक्टरों की बड़ी निन्दा की और उन्होंने कहा कि आधुनिक प्रणाली में पढ़ने वाले डाक्टर अपने को ऐसा समझते हैं कि आधुनिक विज्ञान ही में जो कुछ है सो है और जो पुराने जमाने का जो ट्रेडीशनल मेडिसिन फैला हुआ है उसमें कुछ नहीं है। तो उन डाक्टर महोदय ने निन्दा करते हुये इस ओर ध्यान आकर्षित कराया और निवेदन किया कि अगर ट्रेडीशनल मेडिसिन को जगह देना है, उसको विकसित करना है तो उसका अध्ययन होना चाहिये और अध्ययन करके निर्णयों पर पहुंचने की चेष्टा करनी चाहिये। मैं आज इस सदन में बोलते हुये अपने प्रदेश के डाक्टरों और देश के डाक्टरों का भी ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि वे जब निन्दा करने लगते हैं, जब वह इस विज्ञान को विकसित करने की बातों को देश की गति को पीछे ले जाने वाला समझते हैं, तो उससे इस विज्ञान के फैलाने में दिक्कत उत्पन्न होती है। आज यदि इस बात की आवश्यकता है कि इस विज्ञान में कुछ शक्ति पैदा हो, तो उसका अध्ययन भी हो और अध्ययन के साथ-साथ उसका इस्तेमाल भी हो और यदि यह नतीजा निकले कि यह विज्ञान विकसित

नहीं हो सकता है तो वह तो जैसे और बहुत सी चीजें संसार में विलीन हो गयीं, यह भी वैसे ही विलीन हो जायगा। लेकिन उसको विकसित होने का मौका तो मिलना ही चाहिये। पर जब सरकार उसके अध्ययन और बिकास का मौका प्रदान करे तो सरकार को इस तरह से कोसना कि सरकार एक पीछे कदम, प्रगति के विरुद्ध ले जाना चाहती है, यह कथन सही नहीं है, यह नीति नहीं है और यह दृष्टिकोण सही नहीं है। सरकार ने जैसा मैंने बताया जिस आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थापना की है उसे विकसित करना चाहती है। उसके लिये धनराशि व्यय करना चाहती है और उसे विकसित करके इन विद्यार्थियों को पूरा मौका इस विज्ञान का विकास करने के लिये देना चाहती है। इसके साथ ही साथ अगले वर्ष से जैसा कि माननीय सदस्यों ने देखा होगा, हमने होम्योपैथी के लिये भी स्थान रखा है और एक कालेज हम यहां खोलना चाहते हैं और यह कालेज जो चल रहा है उसी को हम विकसित करना चाहते हैं। उसके लिये करीब २ लाख ६० हजार रुपये की और प्रति वर्ष उसकी धनराशि में वृद्धि की योजना हमने रखी है। साथ ही में हमने होम्योपैथी के प्रसार के लिये और उन डाक्टरों की सहायता के लिये जो कि होम्योपैथिक की डाक्टरी करते हैं, उनको मदद देने के लिये अनुदान स्वरूप भी कुछ धन रखा है जिसे हम उत्तरोत्तर बढ़ाना चाहते हैं। अभी तो जैसा माननीय सदस्य जानते होंगे, ५ हजार रुपया तो हम होम्योपैथिक बोर्ड को दिया करते थे और साढ़े सात हजार रुपया सरकार के मंत्री के पास रहता था, विभिन्न संस्थाओं को अनुदान के रूप में देने के लिये। लेकिन अब हमने इस कार्य के लिये करीब ५० हजार रु० रखा है। हम उत्तरोत्तर इस विज्ञान को भी विकसित होने का मौका देना चाहते हैं। साथ ही में, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, यह सरकार पहली सरकार थी जिसने हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम को स्वीकार किया था और जिसने कानपुर में इस योजना को लागू करके देश के और प्रदेशों के सामने एक नमूना उपस्थित किया था। इस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को भी हम बढ़ाना चाहते हैं। १७ हजार मजदूरों के लिये तीन स्थानों पर इस वर्ष इस योजना को चालू किया है, लखनऊ, आगरा और सहारनपुर में। और अगले वर्ष में मोदीनगर, इलाहाबाद और बनारस में इस योजना को हम चालू करने जा रहे हैं। इस तरह से हम उन सभी शहरों में जहां मजदूरों की संख्या १ हजार से ज्यादा है इस योजना को चालू करने जा रहे हैं। साथ ही में हम एक और पाइलट प्रोजेक्ट ग्राम जनता के लिये भी इस योजना में रख रहे हैं और उसे पांच कबाल टाउन्स में हेल्थ इंश्योरेंस योजना के नाम से संचालित करने जा रहे हैं। ऐसी हमारी योजना है कि हम नगरपालिकाओं के द्वारा उन्हें अनुदान प्रदान करके डाक्टरों इत्यादि की उनके द्वारा नियुक्ति करा के, इस तरह से इस प्रयास की सफलता को देखें कि किस मात्रा में हम इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं और इसके बाद ज्यों-ज्यों हमें सफलता मिलेगी, त्यों त्यों हम सारे प्रदेश की जनता को उस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की योजना में लाने की कोशिश करेंगे। आप कह सकते हैं कि अगले वर्ष तो लखनऊ में ही वह योजना चालू होने जा रही है, लेकिन आइन्दा आने वाले वर्षों में सारे बड़े-बड़े शहरों में पहले प्रारम्भ करेंगे और उसके बाद यदि उसमें सफलता मिली तो उसे और बढ़ाया जायगा जिससे कि सारे प्रदेश की जनता को हम उस हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की तहत में ला सकें और उस कार्य की पूर्ति कर सकें जोकि एक वेलफेयर स्टेट की तहत में होना चाहिये। इन योजनाओं की तहत में कुछ धनराशि उन कार्यों के लिये भी रखी गयी है जिनका सम्बन्ध इनवाइरमेंटल योजनाओं से है यानी वाटर वर्क्स से है और ड्रेनेज इत्यादि से है। यद्यपि इसका सम्बन्ध लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विभाग से है लेकिन चूंकि अनुदान में यह धनराशि रखी है तो मैं कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं और उस ओर भी कार्य हुआ है। पहले वाटर वर्क्स यू० पी० में करीब २७ थे, अब ७२ हो गये हैं। ड्रेनेज पहले यहां ७ शहरों में था और अब ३० में हो गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस कार्य पर ५ करोड़ से अधिक रुपया व्यय होने वाला है।

मलेरिया एक ऐसा रोग रहा है जो काफी संख्या में हमारे प्रदेश के लोगों को ग्रसित करता रहा है। काफी संख्या में लोग दुखित रहे हैं और मरते रहे हैं। हमने विभिन्न यूनिट्स

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

के तहत में इस रोग के ऊपर भी रोकथाम लगायी है और उन सदस्यों को इस बात का भलीभांति ज्ञान होगा जो तराई भावर या उन क्षेत्रों से आते हैं जहां मलेरिया का रोग बहुत मात्रा में फैला हुआ है कि हमारे विभिन्न यूनिट्स ने बहुत कार्य किया है और वह उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है। अब तक कदाचित् हमारे करीब १० यूनिट्स इस कार्य में लगे हुये हैं। अगली योजना में भी ६ यूनिट्स और इस योजना में लग जायेंगे और इस तरह से हमारी इस बीमारी को रफा करने का पूरा पूरा प्रबंध इस प्रदेश में किया जायगा, क्योंकि इससे बहुत से व्यक्ति जो रोजगार और उद्योग में लगाये जा सकते हैं वह उनसे वंचित रह जाते हैं और उनको उद्योग, रोजगार या मजदूरी दिलानी है तो इस बात की आवश्यकता है कि यह रोग अपने प्रदेश से हमेशा के लिये दूर किया जाय।

इसी तरह से फाइलेरिया का रोग है। उसमें भी कई टीमें काम कर रही थीं और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी कई जमातें काम करेंगी।

अब आखिरी बात जिसकी तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया था, जो कि केन्द्रीय आयोग ने फैमिली प्लानिंग के बारे में लिखा है, इस प्रदेश के लिये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि फैमिली प्लानिंग की जो योजना है उसका अधिक मात्रा में प्रसार हो और उसके तहत में ऐसा विचार प्रदेश में फैलाये जिससे कि लोग इस बात की अहमियत को समझें और अपने प्रदेश की जनसंख्या अधिक मात्रा में वे न बढ़ायें। घर में वे इस तरह के बच्चे पैदा होने के लिये स्पेसिंग करें जिससे कि उनकी संख्या न बढ पाये और प्रदेश की जनसंख्या न बढ़ पाये। क्योंकि जितने कार्य हम आज विकास के कर रहे हैं, यदि जनसंख्या काफी मात्रा में बढ़ती गयी तो विकास के कार्य बेकार से होंगे, क्योंकि लोगों का स्तर ऊंचा नहीं हो सकेगा, उनके रहन-सहन में परिवर्तन नहीं लाया जा सकेगा। इसलिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १२ स्थानों के ऊपर और दो देहाती स्थानों के ऊपर इन कार्यों को बढ़ाया जा रहा है। इन कार्यों के तहत में काफी अनुसंधान किया जाने वाला है और वे संस्थायें जैसे रेडक्रास सोसाइटी या जे०के० इंस्टीट्यट, लखनऊ विश्वविद्यालय का जो कार्य कर रहा है उन्हें सहायता देने का निर्णय किया गया है और योजना में उनकी धनराशियां कुछ मात्रा में बढ़ायी भी गयी हैं। मैं अधिक समय न लेते हुये थोड़े शब्दों में जो रूपरेखा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की आपके सामने रखी है उसके विषय में यह कह सकता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काफी अच्छी तरह से संचालन हो जाय तो कदाचित् हम देहाती क्षेत्रों में और विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे यूनिट्स स्थापित कर सकेंगे ताकि वहां के रहने वालों को ५ मील के दायरे में हर प्रकार के इलाज का सुभीता दिया जा सके और जो विशेषज्ञ हों वह इलाज के लिये नजदीक के स्थानों पर उनका प्रबंध करा सकें।

मैं उन संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जोकि वालंटरी बेसिस पर इस प्रदेश में काम कर रहे हैं, जिसमें सीतापुर का आंख का इंस्टीट्यट, अलीगढ़ का इंस्टीट्यट, रामकृष्ण मिशन की ओर से जो काम हो रहा है और मिशनरी सोसाइटीज के द्वारा स्थापित की गयी संस्थायें और बहुत सी अनेक संस्थायें जो आज इस हमारे कार्य में हाथ बटा रही हैं, और अगर आज हम अपनी इस समस्या को हल करना चाहते हैं तो इस बात की आवश्यकता है कि इस प्रकार की संस्थायें हमारे प्रदेश में अधिक संख्या में स्थापित हों और उनके सहयोग द्वारा हम अपने इस प्रदेश के रहने वालों के स्वास्थ्य की समस्याओं को हल कर सकें। मैं उन संस्थाओं के संचालकों और डाक्टरों को सरकार की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ में इस सदन के द्वारा अपनी आवाज बाहर भेजना चाहता हूं कि प्रदेश की वह जनता जो कि सुखी है, जो धन ऐसे कार्यों के लिये दे सकती है, वह आगे बढ़े और हमारी हास्पिटल सील्स, टी०बी० सील्स को खरीद करके हमें प्रोत्साहन प्रदान करे और इस काम के करने वालों को प्रोत्साहन प्रदान करे। यह ऐसा कार्य है जो महज सरकारी मदद से पूरा नहीं हो सकता है। अगर हम

अच्छी तरह से कार्य करेंगे और इस प्रदेश की जनता का सहयोग पाते जायेंगे, तो जो समस्या हमें आज कठिन लगती है, जो हमें परेशान कर रही है, जो हमारी दिक्कतों को रफा नहीं होने देती है उसे हम शीघ्रता के साथ दूर कर सकेंगे और उनके ऊपर विजय पाकर हम आगे बढ़ सकेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस सदन के सदस्यों का सहयोग बराबर इन कार्यों की पूर्ति के लिये हमें मिलता रहेगा, जिससे हमारे अधिकारीगण इन तमाम कार्यों को पूरा करने में और हमारी योजनाओं को सफल बनाने में सबका सहयोग पा सकें।

मैं इन चन्द शब्दों के साथ इस अनुदान को विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

लंच मध्यान्तर के समय सदन का कार्य जारी रखने के सम्बन्ध में सुझाव

राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)—मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि चूंकि मंत्री जी को एक घंटे के करीब समय इस सम्बन्ध में लग गया, मैं समझता हूं कि एक घंटा और सदन का समय बढ़ा दिया जाय तो इस अनुदान पर और विचार हम कर सकेंगे।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मैं आदर पूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल मैंने माननीय गेंदासिंह जी से इस विषय में बातें की थीं, क्योंकि आज मुझे सवा पांच बजे जाना है, मैंने उनसे पूछ लिया था कि क्या समय बढ़ेगा, तो उन्होंने मुझ से यह कहा था कि बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और एक घंटा तो मैं हर साल बोलता हूं। जब मैंने अनुदान पेश किया है खास कर यह अनुदान तो एक घंटे से ज्यादा ही समय लिया होगा। केवल इसलिये कि जो बहुत से कटौती के मोशन आते हैं वह न आ सकें। तो आपकी दिक्कत तो मैं रफा करता हूं। तो मेरी आपसे विनती होगी कि यदि सम्भव हो सके तो ५ बजे यह समाप्त हो सकेगी और मैं जा सकूंगा, वरना मैं उस कार्य को पूरा नहीं कर सकूंगा जो पूरा करने का मैंने जिम्मा लिया है।

एक सदस्य—इन अनुदानों के लिये तो वह मौजूद ही रहेंगे और तीसरी को वह किसी और को भी दे सकते हैं जो मंत्री जी यहां मौजूद रहें।

श्री अध्यक्ष—उनका कहना यह है कि आपकी अनुपस्थिति को वे बुरा नहीं समझेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यहां की परम्परा ऐसी नहीं रही है। मैं नहीं चाहता था कि एक नयी परम्परा बनाऊं। मैं समझता हूं कि कोई मंत्री किसी अनुदान को उपस्थित करें तो उनको रहना चाहिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मेरा एक सुझाव है। यह ज्यादा उचित होगा कि इसके बारे में सोमवार को एक घंटा और ले लिया जाय और आखिर में उस रोज कोई काम नहीं होगा। वह इसमें ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैं समझता हूं कि इंडस्ट्रीज तो सब से महत्व का विषय है और मुझसे माननीय मदनमोहन जी इत्तफाक करेंगे और वह उसमें एक घंटे का समय अधिक चाहेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, आज का प्रोग्राम उन्होंने ऐसा रखा कि कोई दूसरा रास्ता दिखायी नहीं दे रहा है। मेरा सजेशन यह है कि माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देने वाले अगर कम बोलें और काट करने वाले ज्यादा बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा। इससे मामला ठीक हो जायगा। अध्यक्ष महोदय, उन्हीं को ज्यादा बोलने की अनुमति दें।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है कि आज यह लंच का समय ले लिया जाय सदन का ।

श्री अध्यक्ष---मुझे कोई आपत्ति नहीं है लंच का समय लेने में, यदि आप बैठने को तैयार हैं ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---मैं इसका समर्थन करता हूं कि लंच का समय ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---लंच के समय में कोई वोटिंग तो नहीं होगी, लेकिन सिर्फ इतना मैं कहूंगा कि लोगों को खाने का सुभीता भी हो जाय तो उसके लिये कोई कोरम को प्वाइंट आउट न करे, यह पहिले का तरीका रहा है । जो बोलने वाले हैं वह रह जायेंगे और सुनने वाले चले जायेंगे उस समय में कोरम को कोई प्वाइंट आउट करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---निवेदन यह है कि गुप्ता जी को यहां जरूर रहना चाहिये ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैं तो रहूंगा ।

श्री अध्यक्ष---तो उक्त समय में कोरम की आवश्यकता नहीं है, यह तय हुआ ।

१९५६-५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १९---लेखा शीर्षक ३८---चिकित्सा तथा अनुदान संख्या २०---लेखा शीर्षक ३९---जनस्वास्थ्य---(क्रमागत)

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या १९---लेखा शीर्षक ३८---चिकित्सा, के अन्तर्गत १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेन्ट का स्वास्थ्य विभाग और उसके मिनिस्टर मेरे ख्याल में ऐसे होने चाहिये जिसका कार्य जन-साधारण की सेवा करना हो और वह सेवा-कार्य मातृत्व भाव से हो । हमारी सरकार का स्वास्थ्य विभाग, मैं समझता हूं उस माता की तरह से है जो माता अपनी जवानी को बचाने के लिये भ्रूण हत्या का काम करती है, जो माता दुनिया के सारे व्यवहार तो करती है लेकिन अपने को सुरक्षित रखने के लिये अपने बालबच्चों की परवाह नहीं करती । इसी तरह से हमारी सरकार पार्टीबाजी में फंसकर जनता के साथ कुत्सित व्यवहार करती है ।

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि आप वैयक्तिक हमला करना शुरू करें । "पार्टीबाजी करते हैं" ऐसा वाक्य जब आप कहेंगे तो वह वैयक्तिक हमला हो जायगा ।

श्री उमाशंकर---अच्छी बात है । पारसाल मैंने बहुत उम्मीद की थी कि बिना भेद-भाव के पूरे राज्य में बीमारों की सेवा का प्रबन्ध किया जायगा । लेकिन कल से जो राज्य के विभिन्न भागों से मेरे पास समाचार आ रहे हैं । क्योंकि कल ही मेरी पार्टी ने तय किया था कि मैं कटमोशन पेश करूंगा, उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि राज्य में निष्पक्षता का भाव नहीं बरता गया है । मेरी नाकिस राय में सरकार को इस तरह नहीं करना चाहिये । मैं आपको पहले अपने अनुभव की बात बताऊंगा । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को मालूम है उन्होंने वादा किया था, इतना मैं इस सदन को बता दूं

कि मेरा यह विश्वास है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री साफ बोलने वाले आदमी हैं। कोई लप्पो चप्पो की बात नहीं करते, कि आजमगढ़ जिले के कस्बा बाजार गोसाई में अस्पताल खुलेगा। बीच में न जाने क्या बात हो गयी और कौन कौन से लोग मन्त्री जी के यहां पहुंच गये, तत्पश्चात यह मालूम हुआ कि वह अस्पताल अब नहीं खुलेगा। स्वास्थ्य मंत्री जी से विश्रामराय जी के साथ जब हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा कि हम क्या करें तुम्हारे जिले के तो इतने आदमी आकर मना कर गये। अब जब किसी के कहने पर अस्पताल बन्द हो जायगा तो जो शब्द मैंने इस्तेमाल किया उसके अलावा और क्या कहूं। इसलिये मेरी इतनी ही सलाह है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को कि मातृत्व भाव से सेवा उनको करना चाहिये सारी जनता के साथ। जिसमें त्रुटि अगर रही हो तो वह अब पूरी होनी चाहिये।

मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं। जो दूसरे अनुदान के सम्बन्ध में माननीय गुप्ता जी बोल गये हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर्स के बारे में, उसके लिये मैंने सोच रखा है कि हमारे जिले का जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, दूसरे जिलों की बात तो मैं जानता नहीं, उसकी नकल हमारें मंत्री जी को करना चाहिये। हमारे यहां सारे जिले में मवेशीखाने खुले हुये हैं। उनमें पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से क्लर्क रखे जाते थे। उनको तनख्वाह देनी पड़ती थी और हर साल बोर्ड घाटे में चलता था। अब नया तरीका उसने यह अख्तियार किया है दो एक वर्ष से कि सारे मवेशीखानों को ठेके पर देता है जिससे अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को आमदनी हुआ करती है। अब जो ठेका लेता है वह समझता है कि अगर १० मवेशी भी गडबड़-सड़बड़ किये तो जितने का ठेका है वह मय सूद के वापस आ जायगा। उसी तरह से गवर्नमेन्ट ठेके पर कुछ विभाग देदे जैसे सैनिटरी इंस्पेक्टरों का। मैं चाहता हूं कि अगर आप उनको दो रुपये माहवार तनख्वाह देंगे तब भी वह उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से कि आज करते हैं। इनको अपनी तनख्वाह पर भी कभी भरोसा नहीं रहता है। इनका काम है देश में भ्रष्टाचार फैलाना और रिश्वत लेना। इस सरकार के समय में यह काम बंद नहीं हो सकता है। इसलिये मैं सरकार को सलाह देता हूं कि वह अपनी जेब से क्यों पैसा देती है, जब कि हालत यह है कि सभी लोग चाहते हैं कि टैक्स न बढ़ाया जाय। इसलिये रुपया बचाया जाय और सैनिटरी इंसपेक्टर्स भी रखे जायं। आप एक बात मानिये, ठेका दे दीजिये, हुक्म दीजिये कि तुम से ५०, १०० या २०० रुपये लेंगे, तब आप खजाने से रूपया जो देते हैं वह बच जायगा, क्योंकि यह निश्चित है कि सैनीटरी इंसपैक्टर्स को आप ५ रुपये माहवार देंगे तब भी लोगों की भीड लगी रहेगी। यह नौकरी आपने ऐसी ही बना दी है। अब मैं आप से चिकित्सा के बारे में कहना चाहता हूं। हर साल बजट में मैं देखता हूं कि उस का दसवां हिस्सा तो अकेले लखनऊ नगर में ही खर्च हो जाता है और बाकी करीब करीब इतना ही और शहरों में जो कुछ बच रहता है वह देहात के अस्पतालों में जा पाता है यानी देहात की जनता इससे वंचित ही रह जाती है। आयुर्वेद की जो डिसपेंसरीज खुली हुई हैं उनमें दवा तो उपलब्ध नहीं होती है, लोगों को विश्वास हो गया है कि वहां पर पानी मिलता है और तो और उचित सलाह तक नहीं मिलती है। इस ओर कोई देखने वाला नहीं है, किस चीज की जरूरत है। सच कहता हूं कोई पूछने वाला नहीं है। चाहे आयुर्वेदिक दवाखाना हो या यूनानी दवाखाना। एलोपैथिक अस्पतालों की हालत और भी खराब है। रूई, पट्टी तथा गौज जैसी मामूली चीजें भी उसमें नहीं रहती है। जो सदर के अस्पताल हैं वहां पर दवायें अफसरों के ऊपर खर्च होती हैं, कोई गरीब आदमी दवा पाता नहीं है। इस संबंध में मैं एक किस्सा बतलाता हूं। एक दिन आजमगढ़ के अस्पताल में एक औरत आई। उसका शरीर फूल गया था। घर वाले उसे उठाकर अस्पताल लाये थे। लेडी डाक्टर ने कहा

[श्री उमाशंकर]
कि मेरी मयदवा के ८५ रुपये फीस है, उसको दोगे तो दवा होगी, वरना इसे वापस ले जाओ । वह औरत वापस भेजी जा रही थी कि मैं वहां पहुंच गया। मैने सिविल सर्जन को फोन किया और उन्होंने फौरन उसे भर्ती करवा दिया और वह औरत अच्छी हो गई, जो चंद घंटों में मरने वाली थी। वहां के डाक्टर साहब का और लेडी डाक्टर का ट्रांसफर हो गया, तो एक जत्था यहां आया और उनका ट्रांसफर रोक दिया गया। वह डाक्टर और लेडी डाक्टर जो इतने बदमाश हैं, उनका ट्रांसफर आपने रोक दिया। आफिसरों ने कहा कि नेता लोग चलने ही नहीं देते हैं। मैं कहता हूं कि इसको पक्षपात नहीं तो और क्या कहेंगे ? आप देखिये कि जो वाजिब काम था, उसको भी रोक दिया गया। इसके लिये आप जो कहें, मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, आपको कोई संज्ञा देनी चाहिये। हमारे मंत्री जी ने अभी आयुर्वेदिक की बडी तारीफ की है। मेरे पास भी जगह जगह से चिट्ठियां आई हैं और चिट्ठियों का एक बंडल आया है, तारीफ की है। एक आयुर्वेदिक कालेज देहरादून में है जिसके बारें में मैं माननीय सम्पूर्णानन्द जी तथा श्री श्रीप्रकाश जी के पत्र मैंने देखे हैं। उन्होंने लिखा है कि यह बहुत अच्छी जगह पर है और इसकी सफलता की उन्होंने कामना प्रगट की है। श्री विनोदचन्द्र शर्मा, जो वहां के जिलाधीश हैं उन्होंने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। माननीय विचित्रनारायण शर्मा जी, माननीय नरदेव शास्त्री जी, और श्री शान्तिप्रपन्न जी आदि ने उसको देखा है और उसकी प्रशंसा की है। श्रद्धेय विनोबा भावे ने इस देहरादून कालेज के लिये २३ लाइनों में लिखा है। मेरे पास १०,१२ चिट्ठियां हैं जो चौधरी गिरधारीलाल जी, श्रीमननारायण अग्रवाल आदि की हैं, जिनमें इसकी प्रसंशा की गई है। लेकिन अभी मेरे पास एक पत्र आया है जिसमें लिखा है कि उसकी मान्यता ही नहीं छीनी गई, बल्कि जो उसको नामिनल ग्रान्ट मिला करती थी वह भी बंद कर दी गई है। जो लड़के उसमें पढ़ते थे उनके पास पत्र गये हैं कि उसमें तुमको नहीं पढ़ना चाहिये। यह सब पक्षपात नहीं तो क्या है। इसको और क्या कहा जाय।

और सुनिये, एक उत्तराखंड विद्यापीठ है। उसके पास ७ लाख की इमारत खड़ी है। मैठाणी जो उसके संचालक हैं। वह जब तक कांग्रेस में रहे उसको बराबर सहायता मिलती रही, लेकिन जिस दिन से उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ज्वान किया है वह संस्था बिल्कुल निकम्मी हो गई और उसकी सारी एड बंद कर दी गई। इसको पक्षपात न कहा जाय तो क्या कहा जाय ?

बनारस, मेरठ आदि के सात कालेजों की मान्यता छीनी गई है, लेकिन उनको ग्रान्ट दी गई है। लेकिन पता नहीं कि देहरादून कालेज का क्या पाप था, उसकी मान्यता के साथ-साथ सारी एड भी बंद कर दी गई। मुझे बताया गया और जैसा स्वास्थ्य मंत्री जी खुद भी कहते हैं कि संख्या के अनुपात से डाक्टर उत्तर प्रदेश में बहुत कम हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि लखनऊ और आगरा में, दोनों मेडिकल कालेजों में मिला कर कुल २२५ छात्र वर्ष में भरती किये जाते हैं और हमारे पास एक चिकित्सा के संबंध की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि प्रति एक सौ व्यक्ति पर यदि एक डाक्टर रखा जाय तो हमारे सूबे को ६०,००० डाक्टरों और वैद्यों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी हालत में जो कालेज, डाक्टर और वैद्य बना रहे हैं उनको बजाय बढ़ावा देने के उनका पैर खींचा जाता है, उनको ध्वस्त करने की तरकीब सोची जाती है। मैं समझता हूं स्वास्थ्य विभाग को चाहिये कि जिस प्रकार माता भूखों रह कर भी अपने बच्चे को पालती है उसी प्रकार वह इन कालेजों को पोषते। उनको आश्वासन देते। लेकिन उसके विपरीत विभाग ने एक न एक खामी निकाल कर उनको बंद करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ, जैसा मैंने पारसाल भी कहा था कि आप ऐसे आयुर्वेदिक कालेजों को भारी से भारी सहायता देते हैं जो फर्जी डिग्रियां देते हैं, जिनके यहां पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं है, जिनके यहां अराजकता फैली हुई है।

श्री अध्यक्ष—किसी कालेज का नाम लेकर आप हमला न करें क्योंकि उसके लोग यहां मौजूद नहीं हैं ।

श्री उमाशंकर—मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कुछ ऐसी संस्थाओं के बारे में कहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—संस्थाओं के लिये ही कहता हूं कि उनका नाम न लें ।

श्री उमाशंकर—मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसी संस्थाओं को सहायता जारी रखी है जिसमें परीक्षार्थियों के दल बने हुए हैं और जिन में सालों तक झगड़े चलते रहे और ऐसे कालेज जो बन्द करने लायक हैं उनके बारे में कोई कार्यवाही नहीं होती, बल्कि उनको अधिक से अधिक सहायता मिलती है और जो कालेज ऐसे हैं कि निरन्तर भीख मांगकर अपना काम जारी रखना चाहते हैं, उनकी सहायता बन्द की जाती है। उनके विद्यार्थियों के पास चिट्ठी लिख दी जाती है कि तुम उस कालेज में मत पढ़ो । मैं समझता हूं कि यह सरकार का अच्छा काम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिये । अब मैं चाहता हूं कि इन सब बातों को देखते हुये जो इसमें से स्वास्थ्य मंत्री जी ठीक समझें, उत्तर देने की कृपा करेंगे । मैं जानना चाहूंगा कि मेरे पास जो चिट्ठी आयी है, एक ही नहीं बल्कि २५, देहरादून के कालेज के बारे में, उसकी मान्यता क्यों छीनी गयी, वह बतलाने की कृपा करेंगे ।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, अनुदान संख्या २० में मैं एक रुपये की कमी का प्रस्ताव पेश करता हूं । इस जन स्वास्थ्य का सम्बन्ध हमारी सारी जनता के जीवन से प्रत्येक क्षण अनिवार्य रूपेण पड़ता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है कि हमारे प्रदेश में जनस्वास्थ्य की स्थिति पहले की तुलना में अधिक और स्वास्थ्यप्रद हो गयी है। इस सम्बन्ध में उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें यहां की मृत्यु का जो रेट है उसमें फी हजार पीछे १५.६ से घटकर ९.८ होना बतलाया है। जहां तक इन आंकड़ों का सम्बन्ध है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इन आंकड़ों के देखने से जरूर प्रसन्नता होती है । अगर किसी भी राज्य में वहां की मृत्यु का औसत घटता है लेकिन अगर माननीय मंत्री जी इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो मैं समझता हूं यह तस्वीर और प्रकार से उनके सामने प्रस्तुत होगी । अब अगर बच्चों की मृत्यु संख्या को इस प्रदेश में देखा जाय और उसकी वृद्धि की तरफ ध्यान दिया जाय तो अवश्य आश्चर्य होता है। सन् ५० के पहले तब बच्चों की मृत्यु संख्या को देखा जाय तो वह घटने की तरफ थी और लेकिन सन् ५० के पश्चात बच्चों की मृत्यु संख्या बढ़ी है। जिस प्रकार से उसके पहले घटी उसी प्रकार से इधर बढ़ी है। सन् ५० के पश्चात बच्चों की मृत्यु संख्या एक हजार पीछे १०४. २६ थी तो सन् ५४ में आकर वह ११०.३९ हो गयी, और वह ५५ में आकर १२१.५१ हो गया । इससे यह स्पष्ट होता है कि जो हमारी जनस्वास्थ्य की योजना है बच्चों के स्वास्थ्य के लिये मैटरनिटी और चाइल्ड वैलफेयर की जो योजना है और स्वास्थ्य सम्बन्धी जो हमारी दूसरी योजनायें रही हैं, उनमें अधिक रुपया लगा है ।

(इस समय १ बजकर १९ मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये ।)

सरकार को हमें यह बतलाना चाहिये कि मनुष्य के जीवन में औसत आयु की वृद्धि कितनी हुई है । आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पिछले १० सालों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

में न तो राज्य सरकार ने और न केन्द्रीय सरकार ने कोई चेष्टा की कि वह हमको बतला सकें कि आज भारत में औसत जीवन की आयु कितनी है। और उसमें वृद्धि हुई है या नहीं। केवल प्रथम पंचवर्षीय योजना के ड्राफट में यह बतलाया गया है कि भारत में और हमारे प्रदेश में मर्दों की औसतन आयु ३२ वर्ष की है और स्त्रियों की औसतन आयु ३१ वर्ष है। तो श्रीमन, आप यह यह देखेंगे कि हमारे यहां जीवन की आयु का एक औसतन स्तर है, यह और देशों से बहुत ही कम है। आप इंग्लैंड को लीजिये, अमेरिका को लीजिये और दूसरे पाश्चात्य मुल्कों को लीजिये, वहां पर जीवन की औसतन आयु ५९, ५७, ५५, ५३ वर्ष तक है। लेकिन हमारे यहां देश में जो जीवन की आयु औसतन है वह इतनी ही है जो कि मैंने ऊपर बतलाया है। वह बढ़ी नहीं है और हमारे प्रदेश में एक और भी खास बात है कि स्त्रियों की मृत्यु संख्या पुरुषों की मृत्यु संख्या की तुलना में बहुत अधिक है जब कि पाश्चात्य मुल्कों में स्त्री और पुरुषों की मृत्यु संख्या में बहुत अन्तर नहीं है। हमारे यहां स्त्रियों की मृत्यु संख्या बहुत अधिक है यानी पुरुषों से स्त्रियों की मृत्यु संख्या बहुत अधिक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम यह भी देख रहे हैं कि स्त्रियों की बीमारियों को दूर करने के लिये जनस्वास्थ्य योजनाओं में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी हम देखते हैं कि स्त्रियों के अस्पताल बहुत ही कम संख्या में खुल रहे हैं और कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो स्त्रियों की बढ़ती मृत्यु संख्या के औसत को कम कर सके। महालोनोविस ड्राफट में एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जूनियर और सीनियर हैल्थ असिस्टैन्ट्स का एक नया काडर कायम करने की बात है। जूनियर एसिस्टैन्ट १० गांवों के जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य देखेगा जिनका एक ग्रुप बन जायगा और एक सीनियर हैल्थ एसिस्टैन्ट ५ ग्रुपों के चार्ज में होगा और इस प्रकार एक रूरल हैल्थ यूनिट होगा जो देहाती जनता के स्वास्थ्य की योजनाओं को देखते हुये उनका परिचालन करेगा, प्रीवेन्टिव प्वाइन्ट आफ व्यू से। हमारे प्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पब्लिक हैल्थ का पता नहीं है? मैं नहीं जानता कि क्यों इस आईटम का हमारी योजना में कोई स्थान नहीं है। पूर्वी जिलों के लिये एक एपीडैमिक डिजीजेज इनक्वायरी कमेटी बैठी थी जिसने यह सिफारिश की थी कि प्रदेश के पूर्वी जिलों में कालाजार या इसी प्रकार की दूसरी एपीडैमिक्स का कारण पाल्यूशन आफ स्वायल यानी भूमि की गन्दगी और उन्होंने प्रिवीज सप्लाई स्कीम बनाई थी कि हर क्षेत्र में १०० प्रिवीज दिये जावें। लेकिन मैं देखता हूं कि इसके लिये कोई निश्चित योजना या धनराशि पब्लिक हैल्थ प्वाइंट आफ व्यू से नहीं रखी गई है।

इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की यह भी है कि हमारे प्रदेश में फ्री अस्पताल चारपाईयों की संख्या देहात में बहुत कम है। माननीय मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट में स्वयं माना है कि हमारे प्रदेश में आबादी के लिहाज से एक चारपाई ४,५०० व्यक्तियों के ऊपर पड़ती है लेकिन देहाती क्षेत्रों में एक चारपाई के पीछे ७ लाख व्यक्ति हैं जब कि ७००० चारपाइयां देहाती क्षेत्रों में हैं और ४००० शहरी क्षेत्रों में है और देहात की आबादी ५ करोड ४५ लाख है। तो देहाती क्षेत्रों में जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी कितनी विषम स्थिति है। इसी प्रकार जितने भी डाक्टर आज हमारे कालेजों से निकलते हैं उनकी ७५ फीसदी संख्या शहरों में जाकर बसती है चाहे वे सरकारी अस्पताल में हों या प्राइवेट प्रैक्टिस में। अच्छे अच्छे डाक्टरों की मनोवृत्ति और व्यवहार ऐसा है कि वे अधिक से अधिक संख्या में शहरों में ही केन्द्रीभूत होते जाते हैं। केवल २५ प्रतिशत डाक्टर देहाती क्षेत्रों में जाते हैं और

वे भी बहुत कम समय के लिये जाते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शहरी क्षेत्रों में आजावें । हमें ऐसी सुविधायें और साधन और वेतन देहाती क्षेत्रों के डाक्टरों को देना चाहिये जिससे वे वहां रहने के लिये उत्सुक हों । माननीय मंत्री जी के पास आंकड़े होंगे और वे हमें बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने अस्पतालों में वह ठीक समय से डाक्टर पहुंचा सके हैं। मुझे बहुत से ऐसे अस्पतालों की जानकारी है, जहां महीनों तक डाक्टर नहीं पहुंचे हैं और सालों तक केवल कम्पाउन्डर देहाती क्षेत्रों में उन अस्पतालों को चलाते रहे हैं। ऐसे बीसियों उदाहरण मंत्री जी के सामने उपस्थित होते होंगे । तो आवश्यकता इस बात की है कि अपनी योजनाओं को हम अधिक से अधिक व्यावहारिक रूप देने की चेष्टा करें ।

हम देखते हैं कि मिडवाइफ, नर्सों और हेल्थ विजिटर्स की हमारे देश और प्रदेश में कितनी कमी है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अवश्य कुछ सैन्टर ट्रेनिंग के लिये खोले जा रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये केन्द्र बिलकुल अपर्याप्त है । मैं नहीं, जानता कि केन्द्रीय सरकार का ध्यान माननीय मंत्री जी ने इधर दिलाया है या नहीं, लेकिन प्रदेशीय सरकार को अवश्य इधर ध्यान देना चाहिये कि मिडवाइफ, नर्स और हैल्थ विजिटरों की पूर्ति करे। हमारे प्रदेश में ६० हजार व्यक्तियों पर एक मिडवाइफ, ४३ हजार व्यक्तियों पर एक नर्स और ४ लाख व्यक्तियों पर एक हैल्थ विजिटर है और डाक्टर तो खैर ६,३०० पर है। हमारा बजट अधिक वास्तविक होना चाहिये । इसी प्रकार इस बात की भी आवश्यकता है कि हम अपने प्रदेश में पैनीसिलिन और इसी प्रकार की विशेष दवाइयों के निर्माण की फैक्टरी कायम करें और ऐसी योजनायें बनावें जिनसे मलेरिया आदि बीमारियां दूर करने की दवाइयां हम तैयार कर सकें । जैसे नुट्रीशन के लिये सिन्थैटिक टेबलेट्स हैं, ये बनाने चाहियें ताकि जच्चा-बच्चा केन्द्रों में हम प्रचुर मात्रा में ये वस्तुयें पहुंचा सकें ।

लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट, इंजीनीयरिंग विभाग के लिये इन माननीय मंत्री जी के बजट में रुपया रखा गया है जो मैं समझता हूं कि इसमें न होकर लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट, इंजीनीयरिंग के बजट में होना चाहिये। इसी प्रकार टाउन प्लानिंग के लिये रुपया पब्लिक हैल्थ के बजट में नहीं होना चाहिये, प्लानिंग में होना चाहिये । इम्पलाइज स्टेट इन्श्योरैन्स का भी रुपया लेबर डिपार्टमेन्ट के बजट में होना चाहिये न कि इसमें । इन विभागों की जिम्मेदारी इन मंत्री की नहीं है और हमें भी बहस करने में दिक्कत होती है। माननीय मंत्री जी भी उनकी योजनाओं को संचालित नहीं करते और उनके लिये उनकी जिम्मेदारी नहीं हो सकती ।

इन शब्दों के साथ में यह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

*राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, दोनों अनुदानों के बारे में मैं यह अर्ज कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में जो कुछ कहा, उससे मुझे यह संतोष अवश्य हुआ कि जो योजनायें माननीय मंत्री जी ने चिकित्सा के लिये रक्खी हैं, उनसे मैं कह सकता हूं कि दोनों विभागों में काफी तरक्की और उन्नति होने वाली है और हो रही है। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही साथ मैं यह कह देना चाहता हूं कि सरकार जितनी सेवा देहाती क्षेत्र में करना चाहती है, उससे अधिक कर सकती है, यदि वह मेरे कुछ सुझावों पर ध्यान दे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

श्रीमन्, मेरा पहला सुझाव यह है कि जो डाक्टर्स यहां से पास करके जाते हैं वह वहां देहातों में जाना नहीं चाहते हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो मेडिकल कालेज में जो शिक्षा दी जाती है वह इतनी ज्यादा खर्चीली है कि उसको पूरा करने के लिये उनके पेरेन्ट्स चाहते हैं कि वे ऐसे स्थानों पर रहें जहां वे जल्दी से जल्दी उसको पूरा कर सकें। दूसरे सरकार की तरफ से ६ आगरा और ६ लखनऊ में ऐसी सीट्स रक्खी गयी हैं जिनको फ्री ऐजूकेशन ऐसे बांड्स के भरने पर दी जाती है कि वे देहातों में काम करेंगे। मेरा ख्याल है कि ऐसी सीट्स को आपको बढ़ाना चाहिये। जो लड़के देहातों में जाने का बांड भरें, उनको फ्री एजूकेशन दी जाय। इसके अलावा उनको अच्छा ग्रेड भी दिया जाय। यदि उनको ऐसी जगह भेजा जाय, जहां सड़कों आदि की सुविधा न हो तो उन्हें इस बात के लिये भी अलग से एलाउन्स दिया जाय। मैं समझता हूं कि इससे डाक्टरों को उत्साह होगा और लोग वहां जाने लगेंगे। जब कि आज आप के प्रयत्न करने पर भी ६---६ महीने तक अस्पतालों में डाक्टर नहीं पहुंचता है और कम्पाउन्डर ही काम करता है। इसलिये इन कारणों से आप जो लाभ देहात को देना चाहते हैं वह नहीं दे सकते हैं।

इसके अतिरिक्त डाक्टरों की कोई ऐक्जीक्यूटिव पोस्ट तो है नहीं, इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि डाक्टरों का क्यों तबादला कर दिया जाता है। खास कर देहात में जो डाक्टर जाते हैं वे सेवाभाव से जाते हैं, इसलिये उन डाक्टरों का ट्रांसफर नहीं करना चाहिये जब तक कि जनता ही इस बात को जाहिर न करें कि उसका ट्रान्सफर कर दिया जाय। मुझे इसका अनुभव है कि हमारे क्षेत्र में एक डाक्टर काम कर रहा था, लेकिन उसका रुटीन में तबादला कर दिया गया। दूसरे डाक्टर को भेजने में कुछ समय लगता है और जब तक नया डाक्टर वहां पहुंचता है कुछ देर तो लगती ही है, उतने में वहां बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती है। इसलिये मैं यह सुझाव दूंगा कि देहाती क्षेत्र में तबादले तभी होने चाहिये जब कि वहां की जनता ही इस बात को कहे, मजबूरी में ही ट्रान्सफर किये जाने चाहिये।

आप ने जो पुस्तिका बांटी, यदि वह हमें पहले मिल जाती तो बहुत सी जानकारी हमें मिल सकती थी। फिर भी उसके देखने से यह पता चलता है कि ५६–५७ के बजट में जो जिलों के लिये रकम रखी गयी है उस में ६६ हजार रुपया हमारे जिले के लिये रक्खा गया है। लेकिन शहरों के लिये, ज्यादातर रुपया रक्खा गया है। देहातों में जो डिस्पैंसरीज हैं उनके लिये न मकान है और न उसमें डाक्टर के रहने की जगह ही है, अस्पताल झोंपड़ियों में बने हुए हैं लेकिन वहां के लिये एक पैसा भी नहीं है जब कि शहरों में सिविल सर्जन के आवास गृह के लिये २५ हजार, महिला चिकित्सालय के लिये २० हजार और उरई चिकित्सालय के लिये २० हजार रक्खा गया है। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन देहाती क्षेत्र में कुदारी के स्थान पर डाक्टर के रहने की जगह नहीं है, जगम्मनपुर में भी इनडोर वार्ड नहीं है। जिस भी देहाती क्षेत्र में अस्पताल बनाये जायं वहां इन्डोर वार्ड अवश्य होने चाहिये, डाक्टरों के रहने की जगह होनी चाहिये। इन सुविधाओं के बिना आप जनता का जितना लाभ करना चाहते हैं उतना नहीं हो सकता। श्रीमन्, हेल्थ आफिसर के बारे में मेरा यह विचार है कि जिले के स्तर पर आप हेल्थ आफिसर्स को सिविल सर्जन के अंडर रक्खें। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोनों में कोआर्डिनेशन नहीं हो पाता है, ऐसा मुझे अपने जिले का अनुभव है। अगर सिविल सर्जन के अण्डर उसे रखते हैं तो काम अधिक सुचारु रूप से और सुविधा से होता है। जब बीमारी फैलती है तो हम देखते हैं कि हेल्थ आफिसर और सिविल सर्जन दोनों का बड़ा सम्बन्ध रहता है। चाहे विभाग अलग-अलग रहें, लेकिन जिले के लेविल पर काम तभी ज्यादा सुन्दरता से और सुविधा से चल सकेगा, जब कि हेल्थ आफिसर को सिविल सर्जन के अण्डर रक्खा जायगा। मैं माननीय मंत्री जी को, जो योजनायें उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जनस्वास्थ्य

और चिकित्सा के हेतु रक्खी हैं, उसके लिये धन्यवाद देता हूं और हम भी इस बात की तन मन धन से कोशिश करेंगे और उसकी सफलता के लिये प्रार्थना करेंगे।

श्री रामआसरे वर्मा (जिला बाराबंकी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में, स्वास्थ्य के सम्बन्ध में, करोड़ों रुपये खर्च किये गये लेकिन सही तौर पर आप पता लगावें तो आपको ज्ञात होगा कि जितनी भी इमारतें बनीं, जितने भी डाक्टर नियुक्त किये गये, जितने भी कंपाउन्डर नियुक्त हुये, वे खास कर शहरी क्षेत्रों में हुये। देहाती क्षेत्र में तो मैं दावा करता हूं कि जहां सैलाब के साथ गरीबी, भुखमरी भी आई है और जिनके घरबार भी नष्ट हुए और मलेरिया का प्रकोप रहा, वहां दवाओं की बड़ी आवश्यकता होती है। लेकिन उनके लिये कोई इन्तजाम नहीं है। जिस एरिया में वे लोग रहते हैं वहां से १६ या १८ मील पर एक अस्पताल होता है और अगर कोई किसी तरह वहां पहुंच भी जाता है तो अस्पताल के डाक्टर व कम्पाउन्डर साहब कह देते हैं कि यहां किसी दवादारू का इन्तजाम नहीं है, गवर्नमेंट जब देती ही नहीं तो हम क्या अपने घर से ले आवें? वह पर्चा लिख देते हैं और कह देते हैं कि यह दवा 'सालोमन', या 'सरकार' कम्पनी, लखनऊ से मिलेगी। जिस बेचारे के पास दो वक्त के खाने के लिये न हो, वह लखनऊ पैसा खर्च करके दवा लेने कैसे आ सकता है। ऐसी सूरत में निराश होकर वापस चला जाता है और पड़े पड़े मर जाता है। लिहाजा मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि बजाय इसके कि सरकार बड़े-बड़े अस्पताल, कालेजेज और मतबखाने खोले, वह जितने मौजूद हैं उनमें ही सही तरह से डाक्टर व दवावों का इन्तजाम करे और सही देख रेख करे ताकि वहां गरीबों को दवा मिल सके और उससे वे लाभ उठा सकें। वर्ना बड़ी बड़ी इमारतों से, गरीब जनता का कोई लाभ नहीं हो सकता और बजट में, केवल आंकड़ों को देख कर, ही फायदा मालूम होता है। मैं देहात का रहने वाला हूं, इसलिये वहां की सारी जानकारी मुझको है। पिछली मर्तबा सैलाब आने पर मलेरिया ने बड़ा जोर पकड़ा और सैकड़ों की तादाद में लोग मर गये और जो डाक्टर भेजे गये कुओं में दवा डालने के लिये और इंजेक्शन लगाने के लिये, वे सब शहरी थे। उनकी हिम्मत नहीं होती कि वह जाकर वहां काम करें और दवा बांटें, वहां पर अगर आग खत्म हो जाती है तो दो दो दिन के बाद वहां आग मिलती है तथा वहां दियासलाई तक नहीं मिलती। जब तक हमारे देहाती इलाकों में सुचारु रूप से अस्पतालों का इन्तजाम नहीं होता तब तक जनता को लाभ नहीं हो सकता।

दूसरी बात यह है कि हमारे प्रदेश की अधिक आबादी देहातों में है और कुछ आबादी हमारे शहरों में है लेकिन हमेशा शहरों में ही केन्द्र खुलते हैं, शिक्षा केन्द्र, दवा के केन्द्र सब खुलते हैं लेकिन चाहे खर्च ज्यादा पड़े, वह एक दो देहातों में भी खोले जायं तो ज्यादा बेहतर होगा। सरकार बार बार कहती है कि हम इलाज की पुरानी पद्धतियों को अपनाना चाहते हैं। आयुर्वेद या यूनानी पद्धति की ओर हमारा बड़ा ध्यान है लेकिन जब उन वैद्य या हकीमों के वेतन का सवाल होता है तो सरकार ध्यान नहीं देती। पिछले साल भी बजट के मौके पर कहा गया था कि वैद्यों का वेतन ७५ से १२० रु० किया जाय, लेकिन अब तक पूरा साल बीत गया, कोई इंतजाम नहीं किया गया। आप स्वयं सोच सकते हैं कि ७५ रुपये पर कौन सा वैद्य काम करेगा? इस तरह से उनके बारे में ध्यान नहीं दिया जाता और कोई प्रोत्साहन इन पद्धतियों की ओर नहीं है।

जो आयुर्वेद कालज हमारे सूबे में चल रहे हैं उनको तो सरकार हमारी जानकारी में कुछ सहायता के रूप में देती है लेकिन उन कालेजों में विद्यार्थियों के दाखिले में बड़ी दिक्कत होती है। पिछले बार भी इस सदन में एक प्रस्ताव रख कर उन कालेजों की कठिनाइयों का जिक्र किया गया था और तब उनका दाखिला हुआ था, लेकिन इस बार फिर वह समस्या पेश हुई।

[श्री रामआसरे वर्मा]

पिछली बार सन् १९४२ में जो सामूहिक जुर्माने हुये थे। श्री राजनारायण जी के गांव के करीब एक गंगापुर गांव है, वहां भी वह किए गये थे, लेकिन सन् १९४६ में सरकार की ओर से आर्डर हुए थे कि इस रुपये को अस्पताल में लगाया जाय और श्री राजनारायण जी ने उस वक्त अपनी जमीन भी उसके लिये मुफ्त दी थी, लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन बातों पर ध्यान दे।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष जो इस विभाग के लिये सराहनीय कार्य किया है और जो आइटम्स उन्होंने बजट में जनता के लाभ के लिये रखे हैं, वह बहुत ही उत्तम और सराहनीय हैं और उन्होंने जिन अफसरों को अपने साथ चुना है वह भी इतने दक्ष, लायक और फेथफुल हैं और जो ठीक-ठीक उनकी मन्शा के मुताबिक काम कर रहे हैं और अपने काम में प्रदेश के हित में बहुत ही सुचारु रूप से चला रहे हैं। उस सब के लिये मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कार्य बहुत सुन्दर हैं, वह चारों ओर बढ़ रहे हैं और वह इतने सराहनीय और उत्तम हैं कि मैं अगर उनका जिक्र करने लगूं तो बहुत समय लग जायगा और लाल बत्ती जल जायगी। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना हमें मालूम होना चाहिये कि सन् १९३७ में स्वास्थ्य पर फी आदमी ढाई आना यहां व्यय होता था, फिर वह ३ आना हुआ और फिर ४ आना हुआ और अगर अब इमारत का भी खर्चा मिला लिया जाय तो खर्च फी आदमी करीब सवा रुपये के आता है और इस तरह से वह पहले से ८ गुना बढ़ा है। इसमें शक नहीं कि यह जन स्वास्थ्य का विभाग ऐसा है कि जितना भी धन इस पर व्यय किया जाय कम है। हमारे सामने बहुत काम हुआ है। जिस तरह से मिस मेयो ने लिखा था, विरोधी दल के महानुभावों ने खराबियां जहां-जहां देखीं वह तो बयान कर दीं, लेकिन जितनी अच्छी बातें और जितने अच्छे काम हुये हैं उनको नजरअन्दाज किया। उसका जिक्र भी नहीं किया है। मुझे अफसोस है कि यह सब जानते होंगे कि जिस तरह से पहले हर मेले के बाद यहां कालरा होता था, और जिस तरह से आदमी मरते थे, और मेले से लौटे हुये आदमियों के द्वारा जिस तरह से गांव गांव में कालरा फैलता था, वह कालरा अब बिलकुल नाबूद हो गया है। प्लेग के जमाने में मुझे मालूम है कि कानपुर में किस तरह से लोग सड़कों पर पड़े हुये मिला करते थे, जगह जगह मरे हुये चूहे मिलते थे, लोग बाहर डेरा लगा कर रहते थे। अब वह प्लेग दिखायी नहीं देता। प्लेग इस कदर खत्म हो गया है। मलेरिया में इस कदर काम हो रहा है यह भी किसी से छिपा नहीं है।

कहा गया कि डेथ रेट कम नहीं है। वह डेफिनिटली कम है। उसके फीगर्स मौजूद हैं। अगर आप ने बजट को देखा होगा तो मालूम होगा कि देहातों में भी बहुत काम हो रहा है। हर पांच मील के अन्दर कोई न कोई डिस्पेंसरी होगी और यह इंतजाम किया जा रहा है कि उसमें से हर एक में चार पलंग कम से कम हों, जिसमें इनडोर पेशेंट्स को भी ठहराया जा सके। ये सब देहातों में हो रहा है। शहरों की बात यह है कि जो स्पेशलाइज्ड डाक्टर हैं वह ज्यादा नहीं मिल सकते हैं। उनको एक एक जगह एक सेंटर पर रखा जाय। अगर कोई विशेष मरीज है तो वह एम्बुलैंस के द्वारा लाया जा सकता है और उसका आपरेशन या इलाज बड़े अस्पतालों में किया जा सकता है। चाहे आप उसको देहात कहिये, चाहे शहर कहिये, जिले में किसी जगह हो, आप को एक सेंटर बनाना पड़ेगा।

मैं समझता हूं, इसमें शक नहीं कि स्वास्थ्य के लिये जितने रुपये की जरुरत थी उतना नहीं मिला है और फिर भी जो रुपया मिला है, जितना हो सकता है, वह अच्छी तरह से, बाकायदा उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो जो काम हुये हैं, जैसे मैं कानपुर के मेडिकल कालेज का जिक्र करता हूं। जो आजकल डाक्टरों की कमी है वह तो कानपुर

के मेडिकल कॉलेज से पूरी ही होगी। लेकिन इसके अलावा कानपुर में मेडिकल कालेज बनाने की एक खास बात है। वहां क्लिनिकल मैटिरियल बहुत है। जो है वह दूसरी जगह नहीं मिल सकता है। लड़के उन रोगों की बातें भी वहां सीख सकते हैं जो इंडस्ट्री से पैदा होती हैं। जो वहां एक खास इनवायरन्मेंट है वह दूसरी जगह नहीं मिल सकता। कानपुर में डैथ-रेट भी काफी है। वहां पर काफी स्टूडेंट्स वर्क कर सकते हैं। इसलिये कानपुर में कालेज खोलने के लिये खास तौर से बधाई देता हूं। इसके अलावा आपने उसका प्रिंसिपल एक ऐसे व्यक्ति को रखा है जो कि सर्जरी में बहुत दक्ष है और मैं समझता हूं कि उनसे कालेज को बहुत लाभ होगा।

मैं समझता हूं कि इस तरह की बहुत सी चीजें की जा रही हैं, और बहुत सी चीजें हेल्थ के सिलसिले में की जा रही हैं। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जनरल पब्लिक के लिये करना चाहते हैं। अस्पतालों में जो दवाएं दी जाती थीं उनकी मिकदार अब करीब-करीब दुगुनी कर दी गयी है। उनमें दुगुना इजाफा कर दिया गया है। गांवों में पानी से बहुत-सी बीमारियां होती हैं। पानी के लिये बहुत काफी इंतजाम हो रहा है। सेंटर से भी रुपया मांगा गया था। लेकिन उन्होंने रुपया देने में कुछ कमी की है। लेकिन मैं समझता हूं कि सेंटर जरूर ख्याल करेगा कि देहातों में पानी का इन्तजाम हो, और वह इसके लिये रुपया देंगे।

जहां तक टी० बी० का सम्बन्ध है, इसमें कोई शक नहीं कि अभी टी० बी० काफी है। उसके लिये जरूरत यह है कि जो अनक्योरेबिल केसेज हैं, जिनका इलाज हो ही नहीं सकता, उनके लिये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनायें जायं। उनको उनमें रखा जाय। और जो अच्छे हो गये हैं, परन्तु उनके रहने का कोई इन्तजाम नहीं है, उनको भी दूसरे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में रखा जाय।

प्राइवेट प्रैक्टिस के लिये मैं हमेशा कहता रहा हूं, और आज फिर जोर देना चाहता हूं कि जब तक जो डाक्टर्स सर्विस में हैं, उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं बन्द होगी तब तक गरीबों का फायदा नहीं होगा। अगर प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द हो तो आपके यहां अच्छे-अच्छे डाक्टर लोग और आयेंगे। कलकत्ते में, बम्बई में बहुत से डाक्टर भरे हुए हैं। लेकिन आपके यहां सिवा रिटायर्ड साहबान के और कोई नहीं मिलता।

मुझे एक बात और कहनी है, फ़ार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की तरफ़ ध्यान दिलाना है। आपको मालूम है कि रशियन टीम आयी हुई है ६ आदमियों की, और वह एक फ़ार्मेस्यूटिकल इंडस्ट्री की तहकीकात कर रहे हैं। आपने सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में ऐसी कोई स्कीम नहीं रखी है। और जरूरत अब यह कि फ़ार्मेस्यूटिकल इंडस्ट्री में जैसे वैद्यों और डाक्टरों के लिये दवाइयां बनाती हैं वह ठीक बनें और अच्छी बनें और इसको तरक्की दी जाय, इस पर खास ख्याल की जरूरत है।

मेरी राय में ड्रगकन्ट्रोलर भी एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो क्वालिफ़ाइड व्यक्ति हो, और उसके लिये एक कन्सल्टेटिव कमेटी होनी चाहिये जो कन्ट्रोलर के साथ काम कर सके ताकि ड्रग इंडस्ट्री डेवलप हो सके और इसमें ट्रेडर्स, मैन्यूफैक्चरर्स को कान-फ़ीडेंस में लिया जाय। खाली यह कह देने से कि जो खराब दवाइयां बनायेगा उसके खिलाफ पुलिस ऐक्शन लिया जायगा, इससे काम नहीं चलेगा। इसके डेवलपमेंट के लिये और तरीका इस्तेमाल करना चाहिये।

जो ड्रग्स का कलेक्शन होता है रानी-खेत में, अगर इसी तरह से होता रहा जैसे कि होता है तो थोड़े दिनों में मुमकिन है कि बहुत सी दवाइयां खत्म हो जायंगी। उसमें जरूरत यह है कि जो जड़ी-बूटियां तोड़ी जायं उनका रीअफ़ौरेस्टेशन भी हो,

[डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी]

और जड़ से अलग न हो जायं। इसलिये इस बात का ख्याल रखा जाय कि जो चीज़ हमारे मुफ़ीद की है वह ख़त्म न हो जाय। इसके लिये प्रौपर और Scientific कल्टीवेशन भी होता रहना चाहिये, इसकी खास जरूरत है।

अल्कोहल की जो इंडस्ट्री है यह यू० पी० में सब से ज्यादा है, जिसकी तरफ़ हम कम से कम ध्यान दे रहे हैं। तमाम इंडस्ट्री के लिये इसकी जरूरत है। अब हम यह डरें कि कोई शराब न पीये और इस डर से अल्कोहल का इन्तजाम नहीं कर रहे हैं। अल्कोहल दुनिया में जहां कहीं भी है उससे काफ़ी फ़ायदा उठाया जाता है, और अगर हम भी उस तरफ़ ध्यान दें तो इस इंडस्ट्री में काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं।

ड्रग इंडस्ट्री में जो सी० डी० आर० आई० यहां लखनऊ में है, उसमें हमारी सरकार की तरफ से कोई वजीफा नहीं दिया जाता है। हम समझते हैं कि अगर वहां पर कुछ को हम स्कालरशिप दें और काम करायें तो काफी हमारा लाभ हो सकता है। डा० गुजराल मेडिकल कालेज में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी तरफ़ हम ख्याल करें और मदद करें।

अब मुझे यह कहना है कि म्युनिसिपैलिटी के जो मेहतर हैं वे सर पर मैले की बाल्टी रख कर ले जाते हैं। मेरा ख्याल यह है कि जहां म्युनिसिपैलिटी इसका इन्तजाम न करे तो इसको एक प्रकार का क्रिमिनल ऐक्ट समझना चाहिये। हम देखते हैं कि शहरों में मेहतर और मेहतरानी बाल्टी सर पर ले जाते हैं, नामुमकिन है कि उनको इन्फेक्शन न हो। इनके लिये कोई इन्तजाम होना ही चाहिये। और टी० बी० के रोकने के लिये म्युनिसिपैलिटी से मिल कर कोई थूक का प्रबन्ध होना चाहिये। वह इकट्ठा किया जाये और नष्ट किया जाये।

इतना कह कर मैं फिर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, जो बजट उन्होंने बनाया है, बधाई देता हूं और समझता हूं कि वह ठीक है।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फ़ैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बजट हमारे सामने उपस्थित है उसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग में जिस प्रकार की सर्वांतमुखी उन्नति हो रही है और उत्तरोत्तर औषधियां अस्पतालों और चिकित्सकों, डाक्टरों वैद्यों, हकीमों की जिस तरह से संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुये प्रसन्नता होती है और उसके लिये माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। आज प्लानिंग का जमाना है और आज जो हमारे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का बजट है वह बहुत कुछ केन्द्र के प्लानिंग के अनुरूप से बनाया गया है। लेकिन हम यह भी कहते हैं कि यदि हमें अपने बजट को या समाज को सोशलिस्ट पैटर्न का समाज बनाना है, और हम समझते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की प्लानिंग में भी उसका ध्यान रखना चाहिये तो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्ध में प्लानिंग के जरिये से स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ही अधिक जोर दिया गया है, और उचित भी है। लेकिन इस स्वास्थ्य विभाग की जो प्लानिंग की गई है उसके सम्बन्ध में देश की जो परम्परा है, देश के अन्दर जो साधन हैं, और जो टेक्निकल व्यक्ति उपलब्ध हैं उनका पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, और एक दूसरी परिस्थिति और वातावरण में उसकी प्लानिंग की जा रही है। लेकिन आज समय नहीं है कि उसके सम्बन्ध में कुछ कहा जा सके। आज हमारे किसी साथी ने मंत्री जी को परामर्श दिया था कि यहां पर मक्खी मारने की योजना चलानी चाहिये। लेकिन हम समझते हैं कि स्वास्थ्य के सम्बन्ध में अगर कोई मूल उपचार है जिससे रोगों की वृद्धि न हो तो मल और मूत्र के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था होनी चाहिये। गांव-गांव में अगर पाखाना फिरने के लिये कोई लैट्रिन की या और किसी प्रकार की व्यवस्था की जा सके तो देश के अन्दर जितने भी रोग या महामारी, या संक्रामक रोग पैदा होते हैं उनमें कमी हो जाय, और जितना रुपया इनाकुलेशनों या

टीके में खर्च होता है, उसकी आवश्यकता न पड़े । इसलिये इधर अगर कुछ ध्यान दिया जाय तो अधिक फायदा हो सकता है ।

अब मैं दूसरी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । चिकित्सा के सम्बन्ध में जो मासेज़ से सम्बन्ध रखने वाली चिकित्सा है उसका सबसे बड़ा सम्बन्ध दवाखानों से है । दवाखानों के सम्बन्ध में अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि अगली पंचवर्षीय योजना के अन्दर करीब २५० एलोपैथिक दवाखाने और ५० देशी दवाखाने खोले जायेंगे । लेकिन केन्द्रीय सरकार का जो ड्राफ्ट प्लान हमें मिला है उसमें हम देखते हैं कि यह स्पष्ट है लिखा है कि सेकेण्ड प्लान में ११ सौ देशी दवाखानों के खोले जाने की व्यवस्था की जायगी । हमारे उत्तर प्रदेश में साढ़े छः करोड़ की आबादी है, और अगर अपना हिस्सा हम उसमें निकालना चाहें तो वह २५० से कम नहीं आता । लेकिन हमारी सरकार का जो उत्तर प्रदेश के लिये प्लानिंग है उसके अन्दर, पांच वर्ष के अन्दर कुल ५० ही डिस्पेंसरीज़ खोलने की व्यवस्था रखी गयी है ! मैं समझता हूं कि इसके अन्दर कोई गलती हो गई है, आफिस के अन्दर नहीं तो इतनी बड़ी आबादी के लिये १,१०० के अन्दर कम से कम २५० तो मिलना ही चाहिये । ढाई सौ तो आयुर्वेदिक दवाखानें खुलने ही चाहिये थे । यही नहीं जो सेकेण्ड फाइव ईयर प्लान की रूपरेखा स्टेंडिंग कमेटी के अन्दर रखी गयी थी उसमें १८, १९ करोड़ रुपये की योजना थी और दो सौ आयुर्वेदिक और यूनानी डिस्पेंसरियों के खोलने की व्यवस्था थी और उसके साथ साथ वेड्स की भी व्यवस्था थी । लेकिन यह देख कर आश्चर्य होता है कि इस प्लान में जो अब रखा गया है कुल ५० ही देशी दवाखानों के खोलने की व्यवस्था है जब कि केन्द्रीय सरकार का भी यही मन्तव्य मालूम होता है कि कम से कम २५० तो खुलने ही चाहिये और हमारी स्टैंडिंग कमेटी का भी यही मंतव्य रहा है । इसके अलावा एक बात और है । हमें आर्थिक संकट की स्थिति में हमेशा रहना पड़ता है । चिकित्सा विभाग की जो रिपोर्ट है उसमें भी स्पष्ट कहा है कि हम चिकित्सा के सम्बन्ध में जो व्यवस्था करना चाहते हैं उसमें हमने अभी किंचितमात्र ही काम किया है और यह जो काम किया है वह इतना महंगा है कि हमारी हैसियत के बाहर है । जो किंचितमात्र काम किया है उसके बारे में यह लिखा है कि 'इर्रेस्पेक्टिव आफ देयर एबिलटी टु पे ।' यानी वह इतना महंगा है कि हमारी जनता उसके लिये पे नहीं कर सकती । तो जब किंचित-मात्र काम की यह दशा है तो अगर पूरा-पूरा काम उस योजना के मुताबिक किया जाय तो न मालूम कितना कास्ट पड़ेगा । इतनी महंगी चिकित्सा व्यवस्था यह है और यह बात उस रिपोर्ट के अंग्रेजी वाले वर्जन में है, हिन्दी की रिपोर्ट में यह चीज नहीं लिखी गयी है । तो वह स्वयं स्वीकार करते हैं कि कितनी महंगी चिकित्सा व्यवस्था यह है ? २५० एलोपैथिक अस्पताल खोलने का सरकार का मन्तव्य है और सरकार का विचार है कि हर पांच या दस मील की दूरी पर एक अस्पताल हो । इसमें जितना व्यय होगा अगर उतने ही व्यय से आयुर्वेदिक और यूनानी दवाखाने सरकार खोलने का प्रयास करे, बजाय एलोपैथिक दवाखानों के, खोलने के, तो मैं समझता हूं कि उससे कम पैसे में ही, थोड़े पैसे से ही देहात की सारी जनता के लिए चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो सकती है । लेकिन यह कहा जाता है और आज ऐसी धारणा है कि एलोपैथिक डिस्पेंसरीज ज्यादा उपयोगी हैं बनिस्बत देशी दवाखानों के । इसमें मतभेद हो सकता है, लेकिन जैसी कि हमारी परिस्थिति है और जिस प्रकार के इक्विपमेंट आप सप्लाई करते हैं देहात के दवाखानों में, उसकी क्षमता को देखते हुए और जिस प्रकार के पढ़े-लिखे लोगों को इन एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाखानों में आप रखते हैं, उनकी क्षमता में कोई विशेष अन्तर नहीं रहता है । देहात में मामूली सर्जरी का काम वह भी कर सकते हैं । इसलिये देहात की समस्या को हल करने के लिए और अपनी आर्थिक अवस्था को देखते हुए यह

[श्री मदनगोपाल वैद्य]

उचित है कि जो यह गलती हो गई है उसको ठीक कर लिया जाय, और जैसा कि स्टैंडिंग कमेटी में निर्णय हुआ था २५० देशी दवाखानों के खोलने का, हम समझते हैं कि अगली पंचवर्षीय योजना में २५० खोले जायं। इसके अतिरिक्त एलोपैथिक डिस्पेंसरियां जहां हैं, वहां प्रायः ५० परसेंट स्थानों पर मैटरनिटी सेंटर खोले गए हैं जिससे उनकी महत्ता बढ़ जाती है। अगर इन दवाखानों के साथ भी वैसे ही मैटरनिटी सेंटर खोल दिये जायं तो उनकी भी उपयोगिता बढ़ सकती है। इस तरह से थोड़े खर्च में सारे प्रदेश के अन्दर सब जगह इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पांच मील के दायरे में डिस्पेंसरियां कायम कर सकते हैं। चिकित्सकों के सम्बन्ध में जो सेकन्ड फाइव ईयर प्लान केन्द्रीय सरकार का है उसमें यह स्पष्ट है कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान के अन्त में ७० हजार डाक्टर हमारे पास होंगे, और सेकेंन्ड फाइव इयर प्लान के अन्त तक ८० हजार डाक्टर्स हमारे पास हो जायेंगे और इसी के साथ साथ वह कहते हैं कि सुपरवाईजिंग स्टाफ को लेकर ९० हजार डाक्टर्स की आवश्यकता होगी। ८० हजार डाक्टरों के सुपरविजन के लिये १० हजार का सुपरवाईजिंग स्टाफ चाहिये और इस प्रकार ९० हजार का उनका टारगेट है। आज हम जिस तरह से देख रहे हैं कि चिकित्सा की व्यवस्था महंगी है उसको देखते हुये हमें आवश्यकता है कि देशी दवाखानों की संख्या बढ़ाई जाय उसमें १० हजार सुपरविजन करने वाले डाक्टरों की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिये मैं समझता हूं कि जो वर्तमान आयुर्वेदिक और यूनानी की शिक्षण संस्थायें हैं उनको काफी प्रोत्साहन मिलना चाहिये, उनके स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाना चाहिये, और आज की अपनी आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है और इसी से हम इस समस्या को सेकन्ड फाइव ईयर प्लान के अन्दर हल कर सकते हैं और उनके द्वारा हम ग्रामों के लोगों की चिकित्सा सम्बन्धी सहायता कर सकते हैं और यह हमारे देश की आर्थिक स्थिति के अनुकूल भी होगा।

इसी तरीके से और भी बहुत सी समस्यायें हैं लेकिन उनके लिये इस समय समय नहीं है। हमारे एक मित्र ने ध्यान दिलाया है कि अगर हम चाहें कि देशी चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन दिया जाय तो उसके लिये आवश्यक वातावरण उत्पन्न करना चाहिये। गतवर्ष माननीय मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि देशी चिकित्सकों का वेतन बढ़ गया लेकिन वह अभी तक लागू नहीं हुआ। हम आशा करते हैं कि वह शीघ्र ही लागू होगा। इसी तरह से हमारे वैद्य एपीडेमिक असिस्टेंट का भी कहीं-कहीं काम करते हैं, लेकिन वह ७५ रुपया पाते हैं, जब कि बी० सी० जी० के कार्यकर्त्ता हाई स्कूल पास करके और थोड़ी सी ट्रेनिंग प्राप्त करके १२० रुपया पाते हैं, तब ये पांच वर्ष तक पढ़ने वाले लोगों को केवल ७५ रुपया दिया जाता है। कितनी विषमता की स्थिति है? इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हम समझते हैं कि वैद्यों के वेतन में जो वृद्धि की घोषणा की गई थी उसको शीघ्रातिशीघ्र लागू करने की वे कृपा करेंगे।

श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)—माान्यवर, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे सरकार के चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य विभाग ने बहुत बड़ी तरक्की की है और माननीय मंत्री जी के भाषण से यह बात स्पष्ट हो गई है कि हमारे प्रदेश के जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग ने कितनी प्रगति की है, और कर रहे हैं। चिकित्सा की जितनी भी प्रणालियां मौजूद हैं उन सब की तरक्की के लिये सरकार प्रयत्नशील है। हमारे मंत्री जी ने बताया कि वे आयुर्वेदिक प्रणाली हो या होमियोपैथिक प्रणाली हो, कोई भी हो, उन सब को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रणाली में जितनी क्षमता होगी उसी हद तक वह बढ़ जायगी। सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है कि वह सब प्रणालियां बढ़ती रहें। इन सब बातों के लिये हम माननीय मंत्री जी और सरकार को बधाई दिये बगैर नहीं रह सकते।

माान्यवर, आयुर्वेद के लिये माननीय मंत्री जी ने स्वयं चीन का उदाहरण दिया, और हम समझते हैं कि उनके दिल में खुद इस बात का उत्साह है कि जो प्राचीन प्रणालियां

हैं आयुर्वेदिक और यूनानी की, उनकी ओर जो हमारे एलोपैथिक डाक्टर्स हैं उनका ध्यान खींचा जाय और वे उन प्रणालियों को आगे बढ़ाने में मदद दें ।

श्रीमन्, एक चिकित्सा प्रणाली हमारे देश में प्रचलित है और वह प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली के नाम से पुकारी जाती है । सरकार यदि उसकी ओर भी ध्यान दे तो कुछ कार्य हो सकता है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह प्राकृतिक चिकित्सा की ओर भी अपना ध्यान दे ।

एक चिकित्सा प्रणाली और है । उसके लिये मैं सरकार से प्रोत्साहन देने की बात तो नहीं कहूंगा लेकिन यह जरूर कहूंगा कि उसकी ओर उसे निगाह रखनी चाहिये और कड़े हाथों से उसका इन्तजाम करना चाहिये । वह है जादू टोने की प्रथा । यह प्रथा गांवों में अब भी बहुत प्रचलित है लेकिन मुझे कहीं कहीं शहरों में भी देखने को मिला। बहुत से बीमार लोग जाते हैं उनके पास । किसी को वे तावीज दे देते हैं, किसी के गले में कोई धागा बांध देते हैं । बीमारों की बीमारी बढ़ती जाती है लेकिन वे उनके चंगुल में इस तरह फंसे होते हैं कि निकल नहीं पाते । तो चिकित्सा विभाग को इस ओर भी ध्यान देना होगा, और ऐसे लोगों को जो समाज में इस किस्म का व्यवहार करते हैं रोकना होगा ।

कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे जन-स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं । आमतौर पर जब बाजार जाइये तो सड़कों के किनारे कुछ लोग ऐसे खड़े रहते हैं जो कई तरह की दवाइयां देते हैं । वे बातें भी बड़ी आकर्षक करते हैं और लोग उनके आस-पास इकट्ठे हो जाते हैं । वे कुछ तस्वीरें लिये रहते हैं और कुछ जानवर पकड़े रहते हैं । कभी कभी यहाँ तक कहते हैं कि हमारी दवायें इतनी मुफीद हैं कि ६० वर्ष के बुड्ढे ने खाया और वह जवान हो गया । अफसोस इस बात का है कि अगर इस किस्म के लोग बढ़ते रहे और खुले चौराहों पर इस तरह लूट मचाते रहे तो जो हमारे जन-स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है वह तो पड़ता ही है, एक अनाचार भी फैलता है । और इस किस्म के लोग बहुत सी बर्बादी भी करते हैं । एक डाक्टर एक गांव में गये और एक आँख का मरीज उनके पास पहुंचा । उससे उन्होंने ५५ रुपये लिये और उसकी आंख में कोई दवा डाल कर पट्टी बांध दी और कहा कि मैं ७ दिन के बाद में आऊंगा और तब मैं ही इस पट्टी को खोलूंगा और तुम्हारी आंख अच्छी हो जायगी । उसके बाद एक हफ्ता हो गया, १५ दिन हो गये, महीना हो गया, मगर वह वापस नहीं आये । इत्तफाक से वहां मेरा जाना हुआ तो मैंने मालूम किया कि वह आदमी कहां है ? लोगों ने बताया कि वह तो आंख पर पट्टी बांधे घर में पड़ा हुआ है । मैं देखने गया । उन्होंने बताया कि एक डाक्टर आये थे वह मेरी आंख का आपरेशन कर गये, और कह गये कि सात दिन में आऊंगा तब पट्टी खोलूंगा । मैंने कहा कि अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो वह तुमको दे गये ? अभी तक नहीं लौटे तो अब क्या आयेंगे ? मैंने उन्हें एक अस्पताल भिजवाया । वहां डाक्टर ने बताया कि उनकी आंख चौपट हो गयी, रोशनी चली गयी । इसलिये मेरा चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य विभाग से निवेदन है कि ऐसे लोगों पर, जो लोगों को गुमराह करते हैं, और उनके स्वास्थ्य को बर्बाद करते हैं उनके ऊपर कड़ी निगाह रखे और उनका उचित इन्तजाम करे ।

चिकित्सा शिक्षा के विषय में माननीय मंत्री जी ने घोषणा की कि वे अभी एक-आध और मेडिकल कालेज खोलने वाले हैं पश्चिमी जिलों में । मैं उनको इस प्रयास के लिये धन्यवाद देता हूं चाहे वह सहारनपुर में खुले या मेरठ में खुले । उससे उधर के लड़कों को बड़ी सुविधा होगी ।

[श्री रामजीलाल सहायक]

एक बात माननीय मंत्री जी ने और कही कि वे इलाहाबाद में एक बच्चों का चिकित्सालय खोलने वाले हैं, और उनकी चेष्टा है कि बच्चों के रोगों का इलाज अच्छी तरह से किया जा सके। विधायक के नाते इलाहाबाद से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता के नाते बहुत दिनों से सम्बन्ध रहा है, और है। यदि माननीय मंत्री जी उपयुक्त समझें तो मैं उन्हें बच्चों के अस्पताल की जगह बता दूं। हरिजन आश्रम इलाहाबाद एक उपयुक्त संस्था है। उसके पास अपनी छोटी सी डिस्पेंसरी भी है और उस संस्था ने मांग भी की थी कि उसके यहां बच्चों का अस्पताल खोला जाय। १५–२० गांवों के बीच यह संस्था स्थित है। यदि मंत्री जी की कृपादृष्टि उस संस्था पर हो जाय तो वहां बच्चों का अस्पताल कायम किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी के अनुदान का समर्थन करते हुये प्रार्थना करूंगा कि वे इन सुझावों की ओर ध्यान दें।

श्रीमती विद्यावती राठौर (जिला एटा)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। इसके बिना संसार के सारे सुख जो कुछ भी हों वह नगण्य होते हैं। इसको कायम रखने लिये मुख्य चीज भरपेट पुष्टकारक खाना है। अगर पुष्टकारक खाना नहीं मिलेगा तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता है, और अच्छे खाने का जो अभाव है इसे सब लोग जानते हैं। आज कोई भी खाने की चीज हमें शुद्ध नहीं मिलती है। वेजीटेबिल घी और बना हुआ दूध स्वास्थ्य के लिये नुक्सानकारक है या फायदेमन्द है? इसके लिये मैं डाक्टरी राय तो नहीं बतला सकती हूं लेकिन जो हमें अनुभव हुआ है, लोगों ने बताया है, उससे यह साबित होता है कि यह चीजें स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं। आजकल तो मिलावट का बोलबाला है और हर चीज में मिलावट होती है। मुझे यहां तक मालूम है कि सरसों के तेल में जला हुआ मोबिलआयल मिलाया जाता है। जब तक इन चीजों की रोकथाम नहीं होगी तब तक स्वास्थ्य के अच्छे होने की आशा करना नासमझी की बात होगी। जब हमें अच्छा खाना नहीं मिलता है या हम स्वास्थ्य के नियमों की अवहेलना करते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं और फिर हमें दवा की जरूरत होती है।

दवायें क्या हैं और अस्पतालों में क्या कमियां हैं, इसके बारे में बहुत से भाई कह चुके हैं। मेरा सुझाव है कि ऐसा कोई गांव नहीं है जहां कोई वैद्य न हो, कोई जर्राह न हो या दाइयां न हों या दवायें न हों। लेकिन कमी इस बात की है कि उनको सहायता नहीं मिलती है और उनके पास उचित साधन नहीं हैं ताकि वह अपने गुणों का प्रसार कर सकें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकें।

मैं आपको यह बतलाना चाहती हूं कि दवा का काम और शिक्षा का काम उन्हीं लोगों के हाथ में होना चाहिये जो परोपकारी हों, जिनके मन में भावना हो, और जो समझते हों कि मनुष्य के जीवन से खिलवाड़ नहीं करना है। और शिक्षा और औषधि ऐसी चीज है कि जब किसी डाक्टर की नियुक्ति हो तो इस बात का ध्यान रखा जाय कि यह डाक्टर या वैद्य लोभी तो नहीं है, और पैसा कमाना ही ध्येय उनका तो नहीं है? मैंने देखा कि आपरेशन के समय जब मरीज टेबिल पर लिटा दिया जाता है तो उसके अभिभावकों से कहा जाता है कि इतना रुपया दो तो आपरेशन करेंगे। यहां तक हमारा चरित्र गिर गया है, आज हमारे चरित्र का ह्रास हर जगह हो रहा है। यह प्रत्यक्ष है, इसके लिये कुछ कहना ठीक नहीं होगा, और मैं समझती हूं कि गांवों में वैद्य, जर्राह और दाइयां अपना काम अच्छी तरह से कर रही हैं। जो काम बड़े-बड़े डाक्टर नहीं कर पाते हैं उनको वहां की दाइयों ने बड़ी अच्छी तरह सम्पादित किया है। हमने गांवों में दाइयों को मदद करने का काम शुरू कर दिया है। हम उनको बक्स देते हैं, कैंची देते हैं और धागा वगैरह देते हैं, और उनको सफाई से रहना पड़ता है। हम शहरों से लेडी डाक्टर को ७–८ दिन में एक दफा ले जाते हैं जो उनको यह बतलाती है कि किस तरह से जच्चा का काम करना चाहिये। हमें अनुभव है कि वह बहुत ही योग्यतापूर्वक काम कर रही है। मेरा सुझाव है कि अगर

हमारी गवर्नमेंट ध्यान दें कि गावों में जो लोग इन कामों को करते हैं उनको इन कामों के लिये मदद दी जाय। आज कम से कम हर गांव में बिना देरी किये हुए आपको जल्दी से जल्दी मेटरनिटी बाक्स देने चाहिये, और कम से कम १५ रुपये माहवार की उनको सहायता दें। जो जितनी योग्य हों उसको उतनी ही अधिक सहायता दी जाय। इसके अलावा गांव गांव में आज वैद्य हैं। उन वैद्यों को भी २५ रुपया उनकी जीविका के लिये और २५ या ३० रुपया दवाइयों के लिये दिया जाना चाहिये। अगर दवाइयों के लिये पैसा न दिया जाय तो कम से कम उनको दवाइयां देनी चाहिये। इसी तरह से जर्राहों की भी मदद होनी चाहिये। ये लोग जहरबाद आदि जैसी बीमारियों का इलाज केवल मट्ठे और बालू जैसी चीजों से कर लेते हैं। मैं जिस गांव में रही और पली थी वहाँ एक ऐसे ही जर्राह थे और वे ऐसी बीमारियों को अच्छा कर लेते थे। तो मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसे लोगों को ढूंढ कर उनकी मदद करें। आज वास्तव में गुण की कमी नहीं है। गुण ग्राहकों की कमी है। ऐसे लोग हैं जो परोपकार की भावना से काम करना चाहते हैं, लेकिन उनसे लाभ उठाने वालों का आज अभाव है।

एक मुख्य बात मैं और कहना चाहती हूं जिसके लिये मेरा और गुप्त जी का दो तीन साल से झगड़ा चल रहा है। और वह यह है कि वह जनाने और मर्दाने अस्पतालों को मिला रहे हैं, और बच्चा पैदा करवाने का काम वह लड़कों से करवाना चाहते हैं। मैं आपको बतला दूं कि जो काम लड़के कर सकते हैं वह लड़कियां भी कर सकती हैं। आज लड़कियों का अभाव नहीं है। वह बड़ी योग्यतापूर्वक इस काम को सम्पन्न कर सकती हैं। यह स्वाभाविक चीज है कि एक आदमी जितना अपने को समझ सकता है उतना दूसरे को नहीं समझ सकता। बच्चा पैदा कराने के काम को पुरुष वर्ग उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकता है जितनी अच्छी तरह से स्त्रियां कर सकती हैं, चाहे वह कितना पढ़ा लिखा हो। मेरा सुझाव है कि अगर लड़कों को सिखाना ही है तो उनके लिये वेश्यायें हैं, बेड़िने हैं, या जानवर हैं। उन पर सिखा दें या अलग वार्ड खुलवा दें, वहां जा कर वह काम करें। इससे क्या नुकसान होता है? मैं आपको बताऊं कि आगरा में एक स्त्री के विषय में मुझे बताया गया है कि उसको बच्चा जनने के वक्त अस्पताल लाया गया। उसको लड़कों के बुलाने पर एतराज था। लेकिन मुंह पर कपड़ा डाल कर भुलावा देकर लड़कों को बुलाया गया, परन्तु जैसे ही औरत को शक हुआ वह उसी हालत में खड़ी हो गई! अब आप ही सोचें कि जच्चा और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य पर इसका कैसा बुरा असर पड़ा होगा? हमारे जो संस्कार रहे हैं उनको हम एक दिन में नहीं बदल सकते, और यह जरूरी भी नहीं है कि उनको बदला ही जाय। मैं गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगी कि वह तब तक के लिये इस स्कीम को भूल जायं जब तक हमारी यानी स्त्रियों की संख्या असेम्बली में आप भाइयों के बराबर न हो जाय। जिस दिन हमारी संख्या आपके बराबर हो जायगी उस दिन हमारी योग्यता का प्रमाण आपको मिलेगा। हम यहां ११ बहनें हैं, इस विषय में एक मत हैं। संभव है कि और बहनें भी इस संबंध में कुछ कहें। मैं गुप्ता जी से फिर निवेदन करूंगी कि वह अपनी इस धारणा को छोड़ दें और जनाने अस्पतालों को मर्दाने अस्पतालों के साथ न मिलायें। अब अन्त में मैं एक निवेदन आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से और करना चाहती हूं, और वह यह है कि कम से कम अविवाहित मंत्रियों को जच्चा-बच्चा सम्बन्धी विभाग न सौंपा जाय।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन माननीय मंत्री जी की नीति ने कहलवाने के लिये मुझे विवश कर दिया। जहां तक माननीय मंत्री जी का कहना है कि पांच मील के एरिया के अन्दर वह दूसरी पंच-वर्षीय योजना के खत्म होने तक प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा संबंधी सुविधा प्रदान करने की कोशिश करेंगे यह खुशी की बात है, लेकिन इस सिद्धान्त को पर्वतीय इलाके में भी लागू किया जाय। फिर इसमें गुंजाइश नहीं हो सकती कि हम माननीय मंत्री जी के सामने

[श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट]

कुछ कहें। जब सिद्धान्त है और कहा जाता है तो उसके मुताबिक कार्य का कराना उचित भी है। अगर ५ मील में पर्वतीय क्षेत्रों में यह लागू न हो सके कि ५ मील के एरिया में अस्पताल हो सके तो कम से कम पर्वातीय इलाके में १० मील के लिये ही हो जाय और यह सुविधा १० मील के लिये कर दी जाय, तो पर्वतीय इलाके के लिये काफी होगा। यह कदम बहुत बड़ा है और माननीय मंत्री जी को इसमें अगर सफलता होती है तो वह बधाई के पात्र हैं। लेकिन मुझे इसमें संदेह होता है कि वह सुविधा इतने समय के अन्दर वे वहां दे सकेंगे? वह सन्देह इसलिये पैदा होता है कि जो वार्षिक रिपोर्ट हमको दी गयी है उसमें जब हम देखते हैं तो यह मालूम होता है कि बोर्डर एरिया में मेटरनिटी सेन्टर्स स्थापित किये गये हैं और वहां पर ६ जगहों में मेटरनिटी सेन्टर स्थापित किये गये हैं। इस में डुंडा, हरसिल और भटवारी के नाम भी दिये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट में दो जगह बताया जाता है, और हमारे जिले के नकशे में भी यह तीन जगह बताया जाता है। इस बजट में भी तीन जगह डुंडा, भटवारी और हरसिल के लिये यह सेन्टर बताये जाते हैं लेकिन वास्तव में यह कहीं पर नहीं है। रिपोर्ट में दिखाया गया है और मैप में भी दिखाया है लेकिन यह डुंडा तो मेरे रास्ते में पड़ता है। वहां से दो फर्लांग का फासला है जहां पर हमारा मकान है। भटवारी में भी मैटरनिटी सेन्टर नहीं है। यह सब चीजें कागज पर दिखायी गयी हैं। मैं मानता हूं कि इनके वास्ते बजट में रुपया मंजूर किया गया है और केन्द्रीय सरकार से यह रुपया मिलता है, लेकिन वहां पर अभी तक यह सेन्टर स्थापित नहीं हुये हैं। ५५-५६ की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वहां पर स्थापित हो चुके हैं। मैं तो इस मैप के बनाने वाले की तारीफ करता हूं। यह जो स्थान डुंडा दिखाया गया है वह निलंग से भी ऊपर दिखाया गया है ताकि यह मालूम हो जाय कि इन सेन्टर को सारे क्षेत्र में डिस्ट्रिब्यूट किया गया है। लेकिन इस बात के लिये तो मैं यह कहूंगा कि इसमें कोई त्रुटि हो सकती है लेकिन कहां तक वह त्रुटि हो सकती है? कहीं भी तो कोई सेन्टर स्थापित नहीं किया गया है। अगर इस बजट सेशन के दौरान में ऐसा हुआ हो जब से मैं यहां पर आया हूं तो मैं नहीं जानता, किन्तु जनवरी तक कोई भी सेन्टर स्थापित नहीं हुआ था। तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो स्कीम बनायी गयी है उसको अवश्य ही कार्यान्वित किया जाय।

जनस्वास्थ्य के लिये मैं यह कहूंगा कि अस्पताल जरूर अब कुछ खोले गये हैं और हमारे यहां भी कुछ अस्पताल खुले हैं लेकिन वहां की हालत ऐसी है जो ठीक नहीं है। कहीं पर तो डाक्टर नहीं है, और अगर कहीं पर डाक्टर है तो दवाई नहीं है। मैं सरकार से बतलाऊं कि मुझे जाती तजुर्बा है। पिछले दिनों बच्चों को खांसी जुकाम हो गया तो मैं अपने पास भी पेटेन्ट मेडिसिन रखता था लेकिन जब अस्पताल नजदीक में खुल गया तो मैंने भी समझा कि इससे फायदा उठाना चाहिये। लेकिन वहां पर उसकी दवा नहीं मिली और खांसी जुकाम की दवा मुझे टेहरी से खरीदकर ले जानी पड़ी। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि आपके जो भी अस्पताल खुले हुए हैं उनमें पहले आप पूरा सामान दीजिये, डाक्टर वहां रखिये, वहां पर दवायें उपस्थित कीजिये तभी आप आगे और अस्पतालों के खोलने की जिम्मेदारी लीजिये।

एक बात मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में यात्रा लाइन के बारे में कह देना चाहता हूं। यह खुशी की बात है कि उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिये, बद्रीनाथ और केदार नाथ की यात्रा के लिये प्रावीजन इस बजट में किया है। इसी तरह से गंगोत्री और जमनोत्री के लिये भी उनको प्रावीजन करना चाहिये। वहां भी मैडीकल एड और सेनीटेशन तथा स्वास्थ्य आदि की सुविधा देनी चाहिये। वहां भी

सेनीटेशन आदि की वही सुविधायें होनी चाहिये जो कि दूसरे तीर्थ स्थानों में आप दे रहे हैं। आप टेम्पोरेरी लेट्रिन्स बनाते हैं उसमें आपका रिकरिंग खर्चा होता है लेकिन आप अगर परमानेन्ट लेट्रिन्स बना दें तो आपका हर साल का खर्चा बच जायगा। पीने के पानी का भी बन्दोबस्त होना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान देवप्रयाग, टिहरी की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां कि पिछली बार माननीय मंत्री जी ने ५३–५४ में एक स्कीम रक्खी थी लेकिन वह पूरी नहीं की गयी और उसका रुपया बचत कर लिया गया। यह क्या कारण है कि आप जो मंजूर करते हैं वह खर्च नहीं होता। इसकी जिम्मेदारी किस पर है, यह आपको देखना होगा।

एक किस्सा मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक इलाज के लिये आपको अवश्य ही तरजीह देनी चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने देहरादून आयुर्वेदिक कालेज की मान्यता को छीन लिया है जो कि जनता की बहुत ही सेवा कर रहा था। आपको उसको मान्यता देनी चाहिये जिससे वह कालेज लोगों की सेवा कर सके।

श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे आचार्य और ऋषियों ने जिस तपस्या और खोज के बाद आयुर्वेदिक का निर्माण किया उसको संसार जानता है। आज दुर्भाग्यवश देश के गुलाम होने के कारण आयुर्वेदिक पद्धति का दिन प्रतिदिन ह्रास हो रहा है। सौभाग्य से आज देश आजाद है और किस्म किस्म के निर्माण किये जा रहे हैं लेकिन मुझे बड़े गमगीन दिल से कहना पड़ता है कि आयुर्वेद की देहाती क्षेत्रों में जहां हमारे देश के ८६ प्रतिशत लोग रहते हैं, कितनी मान्यता है यह सभी मानते हैं। लेकिन फिर भी उस ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, और देश के स्वतंत्र होने पर भी एलोपैथिक की ओर सरकार का ध्यान है। यह मैं बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि कहा तो यह जाता है कि आज जनतंत्र का युग है, जो बहुमत चाहता है वही होता है, लेकिन आज का यह हिन्दोस्तान गांवों में बसा हुआ है, और गांव आयुर्वेद को चाहते हैं, इस तरह से अधिक हिन्दोस्तान आयुर्वेद को चाहता है, लेकिन उसके लिये सरकार की तरफ से कोई समुचित व्यवस्था नहीं होती है। जो इस पद्धति द्वारा उपचार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनकी सहायता नहीं की जा रही है। दूसरी ओर एलोपैथिक के लिये बड़े बड़े कालेज, नये नये वैज्ञानिक साधन उपलब्ध किये जा रहे हैं। कानपुर में मेडिकल कालेज खोला जा रहा है लेकिन इस दिशा में सरकार की आयुर्वेद की ओर भारी उदासीनता है। समय-समय पर सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। मैं तो आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान उन देहातों की तरफ ले जाना चाहता हूं जो कि स्वतंत्र होने पर भी अन्धकार में हैं और जिनके स्वास्थ्य का ध्यान न सरकार को है और न उन्हीं को इतना ज्ञान है कि आज के युग में स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कितनी उन्नतियां हुई हैं। और उनके अधिकार क्या हैं? तो कहने का मतलब यह है कि आज जो वैद्य पांच वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करते हैं आयुर्वेद की, और जो हाई स्कूल पास करने के बाद वैद्य शास्त्री, वैद्य विशारद या वैद्य आचार्य का डिप्लोमा ५ साल में लेते हैं वे बे रोजगार देहात में पड़े हुए हैं, और फिर एक हाई स्कूल पास सेनिटरी इंस्पेक्टर जिसकी ९ महीने की ट्रेनिंग होती है १२० रुपये माहवार वेतन से आरम्भ होता है जब कि ये हमारे आयुर्वेद के वैद्य ७५ रुपये पाते हैं। ये वैद्य जो देहातों की गरीब जनता की सेवा करते हैं। उनका निरीक्षण सेनेटरी इंस्पेक्टर द्वारा किया जाता है और वह मुआयना दुख की बात है ये सेनिटरी इंस्पेक्टर्स करते है जिनको आयुर्वेद के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। ये आयुर्वेद के ज्ञान को आज से नहीं कई पीढ़ियों से रखते हैं, और इस देश की सेवा करते

[श्री रामप्रसाद नौटियाल]

आये हैं और चर्क और सुश्रुत की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हुए हमारे लिये यह जरूरी हो जाता है कि हम आयुर्वेद की तरफ विशेष ध्यान दें जिससे देश की आयुर्वेदिक द्वारा वास्तविक सेवा हो सके। जो एलोपैथिक दवाइयां विदेशों से आती हैं वे इस देश में नहीं आनी चाहिये। देश में ही आयुर्वेद पद्धति से पैदा की हुई दवाइयों से काम चलाना चाहिये जिससे गरीबी भी दूर होगी और देश के उद्योग धंधों को आयुर्वेद विज्ञान द्वारा राहत मिलेगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आयुर्वेद को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दें क्योंकि ८६ प्रतिशत जनता देहात में रहती है और वह आयुर्वेद से इलाज करवाती है, एलोपैथी से नहीं। एलोपैथी बड़े लोगों के लिये है जो कि काफी पैसा खर्च कर सकते हैं, और बड़े-बड़े डाक्टरों को बुला सकते हैं। हम लोग देहात के वैद्यों के भरोसे ही अपना जीवन चला रहे हैं।

श्रीमती लक्ष्मीदेवी (जिला हरदोई)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के विषय में जो अनुदान भवन में पेश है मैं उसका अनुमोदन करती हूं और स्वास्थ्य मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि उनका जो सुझाव है चिकित्सा के क्रम को आगे बढ़ाने का वह बहुत ही प्रशंसनीय है। यह तो मानी हुई बात है कि कोई भी आदमी कोई काम करने बैठता है उसको पूरा तो वह शायद ही कर पाता हो क्योंकि जरूरत पर जरूरत निकलती जाती है। आज देश के अन्दर हमारी जितनी मांगें हैं उसके साथ-साथ स्वास्थ्य के विषय में चिकित्सा में जो हो रहा है उसकी मांग भी बढ़ती जाती है क्योंकि जमाना वैसा नहीं है कि हम एक कोने में पड़े रहें और मुंह बांधे पड़े रहें। अब जाग्रति का जमाना है, आजादी का जमाना है, और सोशलिस्टिक पैटर्न का हमारा नारा है। इसको देखते हुए हमारी जनता इस वक्त बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और आशा करते हैं कि उनका रहन-सहन, उनकी शिक्षा-दीक्षा, उनकी चिकित्सा और उनकी पढ़ाई-लिखाई आदि ऐसी हो जो अच्छे नागरिक के लिए चाहिए। लेकिन आज हमारे देश में इस बात की बहुत कमी है। हम देखते हैं कि चिकित्सा के लिए डाक्टर नहीं मिलते, और जो हैं वह भी गांवों में जाना पसन्द नहीं करते। इसका कारण यह है कि शहरों में अच्छी-अच्छी जगह वह पढ़ते हैं और वह गांवों की धूल फांकना पसन्द नही करते। मैंने डाक्टरों से पूछा कि क्या बात है वह गांवों में रहना क्यों पसन्द नहीं करते ? तो उनका कहना यह है कि हमें गांवों में रहने के लिए अच्छा स्थान नहीं मिलता और वहां तक जाने-आने के लिए अच्छी सड़कें भी नहीं हैं जिनके जरिये से वह वहां आसानी से पहुंच सकें। ऐसी हालत में माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए कि वहां भी इस तरह के घर और सड़कें हो जायं कि उनको भी गांवों में जाकर चिकित्सा करने की सुविधा मिल जाय वर्ना वह जायंगे एक महीने के लिए और ४ महीने की उनकी छुट्टी हो जाने का डर है।

दूसरी बात यह है कि हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा बहुत सस्ती है और एलोपैथिक चिकित्सा बहुत महंगी है और अभी महंगी चिकित्सा कराने की हमारे यहां जनता में शक्ति नहीं है। अभी हमारे यहां निर्माण हो रहा है और गरीबी अभी पूर्ण रूप से मौजूद है। आज हमारे यहां मक्खी और कीड़ों की तरह लोग बेमौत मरते हैं और पैसे के अभाव में वह इलाज नहीं करा पाते हैं। हम चिरकाल से जब से आए हैं कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव में मेटर्निटी सेन्टर खुल जायं लेकिन वहां आज भी अच्छी मिडवाइव्ज नहीं मिलती हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि कम से कम वहां जो लोकल दाइयां हैं उन्हीं को ट्रेनिंग दी जाय, और उन्हीं को जो होशियार हों मेटर्निटी चैस्ट देकर वहां काम में लगाया जाय। आज भी देहात में वहां की दाइयां हंसिए से नाल काटती हैं जिससे तमाम बच्चों की मौत हो जाती है, उनके पीप पड़ जाती है, नाल सड़ जाता है, और जमोघे आदि का रोग उन बच्चों को हो जाया करता है। इसमें तो शक नहीं है कि हम आज उस स्थिति में नहीं हैं जैसी कि पहले हमारी थी। अब

हम एक सभ्यता के युग में रह रहे हैं। यह हमारा उज्ज्वल युग है, और इस समय इस बात की जरूरत है कि जो होशियार गांव की दाइयां हैं उनको ट्रेन करके मेटर्निटी चेस्ट दिया जाय ताकि यह जच्चे बच्चे का ठीक से प्रबन्ध कर सकें। इससे मैं समझती हूं कि काफी गांवों में लाभ हो सकता है। आज गांवों के लोगों में इतनी शक्ति नहीं है कि वह सब लोग शहरों में अस्पतालों में आ सकें, लखनऊ आ सकें या, बड़े शहरों में आ सकें। हमारे जिले में आज भी चिकित्सा का कार्य बिल्कुल अधूरा है, वहां जितने साधन होने चाहिए वह नहीं हैं। संडीले में एक अस्पताल है लेकिन वह नाम का ही अस्पताल है जिसमें औरतों के लिए और बच्चे पैदा होने के लिए कोई जगह या प्रबन्ध नहीं है। उसको जिला बोर्ड के मातहत रख दिया गया है जिसकी पुताई और सफाई तक दस वर्ष से नहीं हुई है। मैंने कहा था कि सरकार उसको प्राविन्शियलाइज कर ले तो कम से कम उसकी सफाई तो हो जाया करे और कुछ तो सुविधा मिले। यह ऐसी जगह बनाया गया है जहां थोड़ी-थोड़ी इमारत जनता ने बना दी है लेकिन पूरी इमारत वहां नहीं है। अच्छा हो कि अधूरे मकान को पूरा करके सरकार उसको ले ले और दवा का इन्तजाम सरकार की तरफ से ठीक हो जाय। दो एक हरदोई में भी ऐसे मकान बनाए गए हैं, उनको अगर ले लिया जाय और पूरा करके अनुदान दिया जाय, और डाक्टर रख कर सरकार अस्पताल चलाए तो बहुत लाभ यहां हो सकता है। मेरा निवेदन है कि इस ओर मंत्री जी अवश्य ध्यान देंगे। पिछले साल मैंने माननीय उपमंत्री जी को दरख्वास्त दी थी कि वह इमारत ले ली जाय और अस्पताल खोला जाय। और मैं फिर इस साल माननीय मंत्रीजी को याद दिलाती हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उसको लेकर उसमें अस्पताल रख लें।

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)--उपाध्यक्ष महोदय, अब तक जितने माननीय सदस्यों ने चिकित्सा और स्वास्थ्य के अनुदानों पर अपने विचार प्रकट किये हैं, और अपने विचारों में जिन माननीय सदस्यों ने आयुर्वेद विज्ञान की उन्नति के लिये सुझाव दिये हैं, उनके वे सुझाव प्रशंसनीय हैं। समय-समय पर इस सदन में माननीय सदस्य आयुर्वेद विज्ञान के सम्बन्ध में जो सुझाव देते रहते हैं उन पर सरकार सदैव विचार करती रहती है। मुझे, माननीय उमाशंकर जी ने सरकार पर पक्षपात का जो आरोप लगाया है, उन विचारों को सुनकर बड़ा दुख हुआ है। मैं यह समझूं कि जिस स्थान पर वह बैठे हैं उसके ऊपर उनकी बुद्धि में यह बात पैदा हुई है और इस तरह उन्हें ऐसा कहना ही था। यद्यपि जहां तक मैं उनको जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से वे ऐसे विचार नहीं रखते, किन्तु वहां पर बैठ कर स्थान का जो उन पर कुछ असर हुआ है और उस पर असर के कारण ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाये हैं। खासतौर से उन्होंने आयुर्वेदिक कालेज, देहरादून और आयुर्वेदिक कालेज, उत्तराखंड, गुप्त काशी के सम्बन्ध में कहा है कि सरकार ने उनकी मान्यता छीन ली। उनको सहायता नहीं दी। इस प्रकार की कुछ बातें उन्होंने कही हैं। उनके सम्मुख कई बार इस सदन में विशेषज्ञ समिति की चर्चा हुई है। सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी की नियुक्ति की थी और उस कमेटी को यह कहा था कि जितने भी आयुर्वेदिक कालेज और यूनानी कालेज चल रहे हैं उन कालेजों के सम्बन्ध में वह अपनी रिपोर्ट दें कि उनको किस प्रकार से सरकार की ओर से सहायता दी जावे? वह कालेज चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है? उस समिति में जो सदस्य थे उनके नाम इस प्रकार हैं--श्री वी० ए० कुलकर्णी, डिप्टी डाइरेक्टर, आयुर्वेद, श्री मुरारीलाल जी, श्री राजेश्वर दत्त शास्त्री, श्री अब्दुल लतीफ साहब। ये चार सदस्य उस समिति के सदस्य थे। अब आप यह समझ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो किसी पार्टी विशेष का व्यक्ति है और उन्होंने जानबूझ कर ऐसी कोई सिफारिश की है, जिससे आयुर्वेदिक कालेज, देहरादून या आयुर्वेदिक

[श्री बलदेवसिंह आर्य]

कालेज, उत्तराखंड की मान्यता छीन ली गई है ? इस कमेटी ने उन स्थानों का जाकर निरीक्षण किया और कमेटी को यह पता चला कि न तो कोई मैनेजिंग कमेटी है, न कालेज में कोई उस दर्जे के अध्यापक हैं जिस दर्जे के अध्यापकों की डिग्री कालेजों में आवश्यकता होती है और न वहां कोई उचित आय के साधन हैं, न भवन है । इस प्रकार जब कमेटी को मालूम हुआ तो कमेटी ने वही चीजें लिख कर सरकार के सामने पेश कीं और सरकार ने यह आदेश दिया। जैसा कि बारबार माननीय सदस्य भी कहते हैं कि आयुर्वेद की तरक्की हो, उन्नति हो, तब यह जरूरी है कि अगर आयुर्वेद की आप उन्नति चाहते हैं तो उसी स्तर के विद्यालय आपके प्रदेश में होने चाहिये । अगर आप यह चाहें कि गांव-गांव में ऐसे कालेजों की स्थापना कर दी जाय और उन कालेजों का स्तर कुछ न हो तो कैसे आयुर्वेद की तरक्की हो सकती है ? एक तरफ तो यह सवाल हमेशा पैदा होता रहा है कि आयुर्वेद अभी बहुत छोटी अवस्था में है, उसकी तरक्की की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तब हम इन बातों को ध्यान में रख कर यह परमावश्यक है कि आज जो भी कालेज हमारे प्रदेश में चल रहे हैं हम देखें कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है ? उनमें जो स्टाफ है वह किस दर्जे का है ? उनकी कोई मैनेजिंग कमेटी है या नहीं, और उनके पास कोई आय के साधन हैं या नहीं ? इसीलिए तो एक्सपर्ट्स कमेटी थी उसकी राय के मुताबिक जरूर इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये गये और यह आदेश उचित ही थे कि जो कालेज निम्नस्तर के हैं उनकी मान्यता वापस ले ली जाय । यह तो सरकार ने आयुर्वेद की तरक्की की दृष्टि से किया, और जो कालेज उस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार साधनों को जुटा लेते हैं और सब प्रकार से कालेज स्टैन्डर्ड रूप में रखते हैं । तो सरकार चाहती है कि इस प्रकार के कालेजों की स्थापना हमारे प्रदेश में हो । मैं माननीय उमाशंकर जी से कहना चाहता हूं कि उनके पास जो पत्र आये हैं उन पत्रों ने पता नहीं किस भ्रम में उनको डाल दिया है, और किस प्रकार वह पत्र लिखा गया है । उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जब आप कोई समिति गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर करते हैं तो उसकी रिपोर्ट जो आती है उस पर सरकार को विश्वास करना है, और उनके मुताबिक कार्यवाही करनी पड़ती है । माननीय उमाशंकर जी ने कहा कि जो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज हैं हमारे प्रदेश में, और सरकार की ओर से चल रही हैं, उनमें औषधियों की कमी रहती है । मैं उनको बताना चाहता हूं कि सरकार की ओर से प्रति औषधालय वार्षिक ५०० रुपये की औषधियां दी जाती हैं और सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि सरकारी औषधालयों को अधिक औषधियां दी जावें । जो वैद्य अस्पतालों में काम करते हैं वे समय-समय पर सरकार के पास अपनी मांगें भेजते रहते हैं और सरकार उनको औषधियां देती रहती है । अगर वह ज्यादा मांग करेंगे तो सरकार उस पर भी विचार कर सकती है । तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो भ्रम माननीय उमाशंकर जी को पक्षपात का हो गया है, वह निराधार है ।

मैं साथ ही यह भी बता देना चाहता हूं कि जो उत्तराखंड विद्यापीठ है उसको गत वर्ष ५०० रु० की सहायता दी गई थी, और इस वर्ष भी सहायता दी जाने वाली है । इसी तरह से आयुर्वेद कालेज, देहरादून, का भी बहुत दिनों से प्रार्थना-पत्र सरकार के सामने था । सरकार आयुर्वेद कालेज, देहरादून, को जहां कि सहायक वैद्य का कोर्स और गृह-विशारद का कोर्स चालू है, उसको भी सहायता देने का सरकार विचार करती है, और १,५०० रु० की सहायता दी जायेगी । जिस स्टैन्डर्ड के कालेज चल रहे हैं उनको उसी तरह से सरकार की ओर से सहायता दिये जाने की व्यवस्था है । इस प्रकार से कुछ ऐसी चीजें आयुर्वेद के सम्बन्ध में कही गई थीं, मैं उनका स्पष्टीकरण करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं और मुझे उम्मीद है कि माननीय उमाशंकर जी को जो भ्रम हुआ है, अब उनका भ्रम जो चीजें मैंने बतायी हैं

उनसे दूर हो गया होगा और वह आइन्दा ऐसी बातें कदापि अपने मन में नहीं रखेंगे जिससे उनको भ्रम हो कि सरकार की ओर से किसी प्रकार से पक्षपात किया गया है या कोई काम पार्टीबन्दी के ख्याल से किया गया है। मुझे आशा है कि वह मेरे इन विचारों से सहमत होंगे।

*श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो दो आइटम्स १९, २० हैं उनमें साढ़े ५ करोड़ रुपये की मांग की गई है और मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल व्यर्थ है। रोटी मिलती नहीं और दुनिया भर के इन्तजाम हो रहे हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा मेरे सामने है, मैं इसे लक्ष्य करके कहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने जो उसूल रखे थे उन उसूलों पर अगर हम आप चलें तो आपको इतना रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह शरीर जो है यह अन्नमय कोष है और इसको तन्दुरुस्त रखने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि पौष्टिक पदार्थ हों। तेल, घी जो आजकल चल रहे हैं और जिनको लोग खाते हैं मैं कहता हूं कि इससे तन्दुरुस्ती कैसे बनी रह सकती है जब कोई शुद्ध पदार्थ नहीं मिलेंगे। तन्दुरुस्ती बनती है शुद्ध पदार्थ मिलने से। आप एक बड़ी भारी गलती करते हैं कि देश गर्म है, इसमें चाय पीना बुरा है, यह कहा जाता है कि भूख को मारती है। लेकिन हमारे सभ्य समाज में, जैसे गांव में आदमी तम्बाकू पीते हैं और अपने बच्चों को भी पिलाते हैं, वैसे ही यहां पर सभ्य समाज वाले खुद चाय पीते हैं और बच्चों को पिलाते हैं साथ में बैठा कर। मैं तो चाहता हूं कि चाय का रिवाज बन्द करें।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—राजनारायण जी को मना करिये, यह चाय और काफी खूब पीते हैं।

श्री टीकाराम—मैं गांव का आदमी हूं। मैं नहीं पीता हूं। तो यह हित की बात है। यह एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से 'जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन,' जैसा आप अन्न खायेंगे वैसा ही आपका शरीर बनेगा और वैसा ही आपका मन बनेगा। तो इसके लिये हमें जरूरत है कि हमारा भोजन शुद्ध और सात्विक हो, मिर्च, मसाले, चटनियां इत्यादि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली चीजे हैं। हमने देखा है कि इनको खाने वाले लोग अपनी तन्दुरुस्ती बिगाड़ लेते हैं। तो ये चीजें न खाई जायं। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि वह अपना मिट्टी का इलाज करते थे, पानी का इलाज करते थे, हवा का इलाज करते थे। तो आप अगर उनके उद्देश्य को मानते हैं तो मिट्टी का इलाज करिये, हवा का इलाज करिये, पानी का इलाज करिये, व्यायाम करिये। इस तरफ तो आप आज ध्यान दे नहीं रहे हैं और करोड़ों रुपया खर्च करते जा रहे हैं अस्पतालों पर। मैं तो यह चाहता हूं कि आप इन अनुदानों को, इस तरह के अस्पतालों को और इस तरह के इलाज को सिर्फ शहरों तक ही सीमित रखिये। देहात में तो हमारा अपना ही इलाज जड़ी बूटियों का जो है वही ज्यादा उपयुक्त वहां के लिये है। जैसा कि बहन विद्यावती जी ने कहा है। गांवों में ऐसे वैद्य और ऐसे हकीम मौजूद हैं जो वहां काम करते हैं। तो उनको आप शिक्षा दीजिये। वहां अब भी ऐसे आदमी मौजूद हैं जो यह काम करने वाले हैं और उनके काम से उनके इलाज से गांव वालों को फायदा भी होता है और वह पैसा भी नहीं लेते हैं। डाक्टरों का इलाज तो बड़ा खरचीला है। यह इलाज तो वही करा सकते हैं जिनके पास पैसा हो। इन अस्पतालों को भी मैंने देखा है, मैं वहां रहा हूं। दवा की जरूरत पड़े तो शहर से मंगाइये, इंजेक्शन की जरूरत पड़े तो शहर से मंगाइये। वहां जो अच्छी दवा है वह तो अफसरों के लिये, उनके लिये तो दवा निकल आयेगी लेकिन गरीबों के लिये वहां दवा नहीं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टीकाराम]

है। चाहे वहां २५ हजार की बिल्डिंग वहां भले ही खड़ी हो, लेकिन वहां दवा का कोई ठिकाना नहीं है। अब चूंकि लाल बत्ती हो गई है और मुझे दो ही मिनट में भाषण खत्म करना है तो मैं तो यही कहूंगा और प्रार्थना करूंगा कि हर एक आदमी कसरत करे, सदन का हरएक आदमी अपनी बुराइयों को दूर करे; इस बात की तरफ आये ताकि ये सब झगड़े मिटें।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान के संबंध में माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और जितने खर्चे किये जा रहे हैं वह अति उत्तम हैं। इससे हमारे देश को बहुत लाभ हो रहा है। मैं यह समझता हूं कि जहां तक मंत्री जी की यह योजनायें हैं, ठीक हैं, लेकिन अकेले मंत्री जी इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं जब तक कि जनता और हम सब लोग मिलकर पूरा सहयोग न दें। कुछ स्थान ऐसे हैं कि जहां इस समय जच्चा-बच्चा और शिशु-पालन केंद्र हैं ही नहीं। मैं कुछ थोड़ा वर्णन अपने मुजफ्फरनगर जिले का कर दूं। उस जिले में तहसील बुढ़ाना है। उसमें एक भी जच्चा-बच्चा केंद्र (मैटरनिटी सेंटर) नहीं है और वहां केवल दो एलोपैथिक डिस्पेंसरीज हैं। तहसील बुढ़ाना में परन्तु बुढ़ाना क्षेत्र ऐसा है जहां अब तक शायद ही कोई मिनिस्टर या कोई अफसर पहुंचा हो और वहां ऐसी दशा है कि सैकड़ों स्त्रियों और बच्चों का इसी हालत में देहान्त हो जाता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र बुढ़ाना तहसील में जो कि बुढ़ाना उसका हैडक्वार्टर है वहां एक मैटरनिटी सेंटर और शिशुपालन केंद्र आरम्भ करने की कृपा करें। इसके साथ में दूसरी जो देहात के अन्दर गन्दगियां हैं उनके संबंध में भी कुछ वर्णन कर दूं। हमारे प्रदेश में जितने सैनिटरी इन्सपैक्टर्स हैं वे देहात के लिये, कस्बों के लिये, सभी के लिये, सभी स्थानों के लिये हैं। कस्बों और टाउन एरियाज में तो उनको लोग जानते भी होंगे परन्तु देहात में किसी जगह पर जाकर पूछ लीजिये, पढ़े-लिखों को छोड़कर, उनको कोई जानता भी नहीं है। देहात में उनका कार्य केवल यह है कि वे गांव में पहुंचे। वहां अलग-अलग कुड़िया पड़ी रहती हैं, उनको लिखा, लिस्ट बना कर वहां से ले आये, लोगों को बुलाया और उनसे रुपये लेकर जेब में डाल कर लौट आये। इसके अलावा कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जनता को बड़ी परेशानी होती है। इसलिये यह जरूरी है कि हमारे प्रदेश में इसका सर्वे कराया जाय कि किन जिलों में किन स्थानों में अस्पतालों की आवश्यकता है और कहां पर शिशु तथा प्रसूति-गृह केंद्रों की आवश्यकता है। सर्वे कराने के पश्चात् जहां आवश्यकता हो वहां यह कार्य आरम्भ हो। हमारे प्रदेश में एलोपैथिक अस्पतालों का अधिक जोर होता जा रहा है। साथ ही यह भी है कि हमारे प्रदेश में बहुत कम संख्या में दवायें बन रही हैं, अधिक संख्या में वे विदेशों से ही आती हैं जिससे हमारे देश का बहुत रुपया बाहर चला जाता है। मैं यह सुझाव देता हूं कि अपने प्रदेश में आयुर्वेदिक औषधालयों और आयुर्वेदक चिकित्सा का अधिक प्रचार किया जाय। जैसा अभी आर्यजी ने फरमाया इस प्रकार के बहुत कम संख्या में ऐसे औषधालय हमारे प्रदेश में हैं। एक समय था कि आयुर्वेद के बराबर संसार में कोई चिकित्सा नहीं थी। इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म औजार और ऐसी दवायें उसमें थीं जिनका मुकाबिला संसार में कोई नहीं कर सकता था। हमारे यहां अभी वे चीजें नष्ट नहीं हुई हैं। सब चीजें हैं किताबें भी हैं। इसलिये हमारी सरकार का ध्यान इस ओर अधिक होना चाहिये।

दूसरे नम्बर पर सरकार का ध्यान होमियोपैथिक चिकित्सा की तरफ जाना चाहिये जो बहुत सस्ता इलाज है और जिसमें अधिक सामान की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिये इन दोनों चिकित्साओं की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

मैं मंत्री जी से यह भी निवेदन कर दूं कि हमारे प्रदेश में जितने भी औषधालय हैं वे ठीक तो चल रहे हैं परन्तु उनके अन्दर भी दिक्कतें हैं। वे दिक्कतें ऐसी हैं कि मान लीजिये किसी देहाती को कुछ कष्ट हुआ या वह मौत के निकट पहुंच गया है तो हमारे जितने भी डाक्टर या डाक्टरनियां हैं वे पूरी फीस मांगते हैं। मैंने स्वयं देखा है कि एक स्थान पर, मैं नाम तो

नहीं लेना चाहता, एक स्त्री तो उधर मर रही है और इधर जब डाक्टरनी को रात में बुलाने गये तो डाक्टरनी ढाई सौ रुपये अपनी फीस मांग रही थी। एक मेरे मित्र ने उसको कहा कि ढाई सौ रुपये उसे देंगे। उस बेचारी स्त्री के यहां उस समय ढाई रुपये भी नहीं थे। अतः हमारे डाक्टर और डाक्टरनियों में केवल पैसा कमाने का ही भाव नहीं होना चाहिये बल्कि उनका भाव जनता की सेवा करना होना चाहिये और उनको समझना चाहिये कि जो वेतन उनको मिलता है वही पर्याप्त है और उसी में उनको गुजर करनी है। उनको चाहिये कि अधिक से अधिक वे जनता में जायं और यदि किसी को कष्ट हो तो उसकी सेवा करनी चाहिये।

एक परेशानी और है। यदि किसी व्यक्ति को सर्टिफिकेट की जरूरत है मेडिकल लीव या दूसरे कारणों से तो उसके लिये बड़ी-बड़ी फीसें ली जाती हैं। इसलिये इसकी रोकथाम की अत्यन्त आवश्यकता है जिससे गरीब लड़के या आदमी जो छुट्टी लेते हैं या किसी विभाग में आवेदन-पत्र भेजते हैं उनको दिक्कत न हो और इस तरह की फीस उड़ा दी जाय और इस संबंध में उचित कार्यवाही करें और उसी प्रकार से और भी बहुत सी बातें हैं उधर भी ध्यान दिया जाय और इस ओर भी ध्यान दिया जाय कि डाक्टर लोग जनता की सेवा करें न कि उनको रुपया कमाने का व्यापार बना लें।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला गोंडा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज स्वास्थ्य का अनुदान भवन में उपस्थित है। स्वास्थ्य विभाग ने जो जनता की सेवा की है वह प्रशंसनीय है। पिछड़े हुये जिलों में जहां हर साल हजारों आदमी प्लेग, हैजा और मलेरिया से मरते थे अब वहां वह बीमारियां बहुत ही कम हो गई हैं। इसके लिये मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि यह उनका बहुत ही प्रशंसनीय काम हुआ है। इसके साथ ही साथ मैं उनका ध्यान देहात की तरफ ले जाना चाहती हूं जहां कि आयेदिन स्त्री और बच्चों की मृत्यु के किस्से रोज होते रहते हैं। मंत्री जी को मालूम होगा कि देहातों में ट्रेंड दाइयां नहीं मिलती हैं और इसलिये बड़ी मुसीबत होती है। स्वास्थ्य विभाग से पंचायतों को और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को एक आदेश भेजा जावे कि जो अनट्रेंड दाइयां हों उनको बन्द कर दिया जाय ताकि छोटे-छोटे बच्चे मौत के मुंह में न जाया करें।

आपके जो समाज-कल्याण केंद्र खुले हुये हैं वहां पर बहुत कोशिश करते-करते हम परेशान हो गये लेकिन ट्रेंड दाइयां नहीं मिलती हैं। मंत्री जी का आदेश है कि जो दाइयां ट्रेनिंग के लिये ली जावें वे आठवीं क्लास पास हों और साथ में अंग्रेजी का ज्ञान हो तो वह मिडवाइफरी के लिये ली जायगी। यह कहां से आयें? स्त्रियों की बड़ी अवहेलना की गई है और आज महिलायें उठ नहीं सकती हैं। अन्य प्रांतों में महिलाओं तथा लड़कियों की शिक्षा के लिये मैट्रिक तक एजूकेशन निशुल्क कर दी गई है लेकिन हमारे प्रांत ने वह भी नहीं की है दूसरे प्रांतों ने लड़कियों की शिक्षा अनिवार्य कर दी है लेकिन हमारे प्रांत ने यह भी नहीं की है मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि मिडवाइफरी की ट्रेनिंग के लिये ज्यादा से ज्यादा केंद्र खोलें।

दूसरी बात यह है कि मिडवाइफरी के लिये मैं चाहती हूं कि बनारस में जो सरकारी अस्पताल हैं वहां इसका भी एक केंद्र खोल दिया जाय ताकि उधर के जिलों की लड़कियों को आसानी हो जाय। आज हमारे समाज-कल्याण केंद्र के लिये दाइयां चाहिये और स्वास्थ्य विभाग से अनुमति मिली कि हम कमला नेहरू अस्पताल में ट्रेनिंग के लिये भेज सकते हैं। लेकिन हमें मालूम हुआ कि जब तक वह अंग्रेजी पास नहीं होंगी तब तक वह नहीं ली जायंगी तो निराश होकर हमें यह व्यवस्था बन्द करनी पड़ी। दूसरे यह कि एक आदेश मंत्री जी का गया है कि लड़कों की प्रैक्टीकल ट्रेनिंग का इन्तजाम जनाने अस्पतालों में किया जाय। मैं निवेदन करूंगी कि पूर्वी जिले इतने उठे हुये नहीं हैं कि आप यह योजना लागू करें। अगर करना है तो बनारस विश्वविद्यालय उपयुक्त स्थान है वहां आसानी से यह हो सकती है तो कृपया

[श्रीमती सज्जनदेवी महनोत]

बनारस महिला अस्पताल में यह योजना लागू न करें। हमारे यहां बड़ी कठिनाई होगी। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को कई पत्र लिख चुकी हूं और कई तरफ से प्रस्ताव भेजे है। मैं चाहती हूं कि कम से कम उन पूर्वी जिलों को वह बचावें और अगर आपको करना ही है तो आप वहां पर एक दूसरा भवन बना दें और जो बहनें चाहती हों उन्हीं के जरिये आप उन लड़कों को शिक्षा दिलाने का काम करावें। हमारे यहां बहनें तैयार नहीं हैं इस काम के लिये कि वह डिलीवरी पुरुष डाक्टरों से करावें। तो मैं चाहती हूं कि वहां यह योजना लागू न हो, नहीं तो वहां बहुत गड़बड़ी होगी।

दूसरे, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगी कि दाइयों के लिये वह इस बात की व्यवस्था कर दें कि चाहे वह ट्रेंड हों या अन्ट्रेंड, उनको पंचायत की तरफ से या प्लानिंग की तरफ से एक-एक डिलीवरी का डिब्बा मिल जाय, तभी हमारे यहां का काम चल सकता है। वहां रोज कुछ न कुछ गड़बड़ी होती रहती है। जब से समाज-कल्याण विभाग द्वारा हम लोगों का देहात से कुछ संपर्क हुआ है रोज सुनने में आता है कि कहीं कुछ हो गया कहीं कुछ हो गया। रोज एक न एक औरत उन दाइयों के कारण मरती रहती है। जो जच्चा-बच्चा केंद्र आप खोलने जा रहे हैं उनके लिये मैं चाहती हूं कि वह आप देहातों में खोलें। शहरों में तो काम किसी तरह से हो जाता है लेकिन देहातों में बड़ी मुश्किल होती है। ऐसा करने से वहां की जनता को बड़ी मदद मिलेगी और हम भी उनको मदद दे सकेंगे।

एक बात और है कि जो आपके इन्स्पेक्टर टीका लगाने के लिये देहातों में जाते हैं वह लोग केंद्र पर जाकर दो एक बच्चों को टीका लगा कर लौट आते हैं और अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि पूरे गांव के बच्चों को टीका लगा दिया। यह बुरी बात है और गलत बात है। इससे हमारे बच्चों में काफी बीमारी फैलती है। बनारस में मैंने देखा है कि वहां के बच्चे इस तरह की बातों के कारण काफी परेशान होते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान खास तौर से बनारस जिले की ओर ले जाना चाहती हूं ताकि वह इस संबंध में कोई आदेश निकालें जिससे इस तरह के वाकयात न होने पायें।

इसके बाद मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान गोंडा जिले की तरफ ले जाना चाहती हूं जहां पर कि मिडवाइफ्स के सेंटर तो एक से ज्यादा नहीं हैं। एक तो मैंने गोंडा शहर में करवाया है और जिले में केवल दो सेंटर हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप थानेपुर में एक सेंटर खोलें ताकि वहां की महिलाओं की समस्या हल हो सके और वहां का काम सुचारु रूप से चल सके।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—उपाध्यक्ष महोदय, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का स्वास्थ्य विभाग का अनुदान प्रस्तुत है। प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई। अनुदान प्रस्तुत है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाय उतनी ही कम है। परन्तु मैं गोंडा जिले की ओर आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं पिछले पांच वर्ष की थोड़ी सी बात कहता हूं। पिछले पांच वर्षों में बलरामपुर राज्य से ५ अस्पताल सुसज्जित और दवाइयों से भर पूर, राज्य की समाप्ति के बाद इस प्रदेश में निहित हो गये। उसके बाद से उनकी दशा बराबर गिरती गई और आज वहां न दवाइयां रह गई हैं और न वहां की कोई ठीक व्यवस्था है। जिनकी प्रशंसा सुन कर वहां लोग दवाइयां कराने जाते थे उनकी आज यह हालत है कि लोगों को वहां जाने में संकोच होता है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान विशेष तौर पर उनकी ओर दिलाना चाहता हूं कि आज उनकी यह दुर्व्यवस्था हो गई है। अगले पांच वर्षों में क्या होगा, हम नहीं कह सकते लेकिन पिछले पांच वर्षों में गोंडा जिले में कोई भी नया अस्पताल या औषधालय नहीं खोला गया है और उसकी ऐसी स्थिति जिसको सभी लोग और खास कर स्वास्थ्य मंत्री जी जानते हैं। उसके दक्षिण की तरफ घाघरा नदी और उसके पीछे राप्ती, उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत बीच में इसके कारण तमाम प्रकार के मच्छरों, मलेरिया और फाइलेरिया, आदि का वह केन्द्र सा बन गया है।

मैं आपका ध्यान उपाध्यक्ष महोदय, इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो वहां की अवस्था थी अगर वही हो जाय तो हम स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद देंगे न कि उसको कुछ बढ़ा दिया जाय। वहां की ऐसी दशा है जिसको अभी श्रीमती सज्जन देवी महनोत ने बतलाया है। वहां पर केवल दो मैटरनिटी सेन्टर हैं और अधिक न होने के कारण ऐसी दशा है जो बुरी कही जा सकती है। नाना प्रकार की बीमारी वहां पर फैली हुई है मगर उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उसमें मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उस तरफ ध्यान देने की कृपा करें। मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो औषधालय बलरामपुर राज के लिये हैं उनसे जिस प्रकार की सुविधा गोंडा जिले के लोगों को पहले मिलती थी वह सुविधा अब उनसे नहीं मिलती है। वह आसानी से अपना इलाज वहां पर करा लिया करते थे। कम से कम अब भी वही सुविधा उन लोगों को होनी ही चाहिये। मैं ५ वर्ष से देख रहा हूं कि सरकार का कोई ध्यान उस जिले की तरफ नहीं है। न कोई चीज वहां पर बनायी गयी है और न कोई प्रगति औषधालयों के विषय में वहां पर की गयी है। इसलिये मैं स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान गोंडा जिले की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां पर इस समय नाना प्रकार की बीमारी फैली हुई है। उस पर वह अपनी विशेष कृपा करें। मैं आपसे यह बताऊं कि अस्पतालों की दशा यह है कि एक दिन मैं एक अस्पताल को देखने के लिये गया वहां पर डाक्टर से पूछा तो उसने बताया कि यहां पर औषधियां नहीं हैं। पूछने पर मालूम यह भी हुआ कि ६०० रुपये महीने के डाक्टर और कम्पाउन्डर, नर्स और मिडवाइफ वहां पर सब मौजूद हैं और दूसरे छोटे नौकर भी हैं लेकिन दवाई के लिये उनको ३०० रुपये प्रतिवर्ष दिये जाते हैं जो वहां के लिये बिल्कुल ही अपर्याप्त हैं। इसी तरह से एक दिन मैं ब्लाक डेवलपमेंट आफिस को देखने गया तो देखा कि वहां पर औषधियों का ढेर लगा हुआ था। मैंने ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर से पूछा कि यह कौन सी औषधियां हैं। तो मालूम हुआ कि सरकार से आयी हैं। वितरण की व्यवस्था पूछने पर बतलाया गया कि हम लोग ही इनको वितरण करेंगे लेकिन उनको जानकारी नहीं है कि कौन सी दवा है? जहां पर डाक्टर मौजूद हैं वहां पर दवाई नहीं है और जहां पर दवाई है वहां पर डाक्टर नहीं हैं। इसीलिये मैंने कहा कि इसकी जितनी प्रशंसा की जाय उतनी थोड़ी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान और स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान खासतौर से इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि जहां पर दवाइयों का उपयोग हो सके वहां पर उनका भेजना उचित है। अगर वह दवाइयां बजाय डेवलपमेन्ट आफिस में भेजने के अस्पतालों में पहुंच जातीं तो मेरा ख्याल है कि उनका ज्यादा लाभ हो सकता और ज्यादा जनता का लाभ हो सकता। उससे हमारे जिले को बहुत लाभ पहुंचता। इसलिये मैं यह समझता हूं कि हर जिले में इसी प्रकार की व्यवस्था होगी और इसी तरह से रुपये का दुरुपयोग होता होगा। इस कारण जहां पर ६०० रुपये महीना स्टाफ पर खर्च किया जाता हो वहां पर १२ आना दवाइयों पर खर्च किया जाय तो यह बहुत ही कम है। हम तो समझते हैं कि जब हम लोग जेलखाने में थे और जो हमको वहां मिक्चर मिला करता था वह अच्छा था बजाय आज की उस दवा के जो यहां अस्पतालों से दी जाती है। इसलिये मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो हमारे जिले के ५ अस्पताल बलरामपुर राज से सरकार ने लिये हैं उनकी कम से कम वही पुरानी दशा कर दें तो गोंडा जिले की जनता आपकी आभारी होगी।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री बनारसीदास का नाम पुकारने पर)

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--एक मंत्री महोदय बोल चुके हैं अब दूसरे मंत्री को अवसर दिया जाता है?

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---श्रीमन्, यह तय हो चुका है कि जब तक इधर से जवाब न हो जाय तब तक उधर से जवाब न दिया जाय। नहीं मालूम यह व्यवस्था क्यों बदली जा रही है। हमको भी जवाब देने का मौका मिलेगा या नहीं ?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---उपाध्यक्ष महोदय, यह साफ तौर से तय हो गया था कि जब लास्ट स्पीच होगी तो मिनिस्टर की होगी इसलिये पहले कटमोशन मूव करने वाले को बोलना चाहिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---यदि ऐसा फैसला हो चुका है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है लेकिन पहले से क्रम तो यही रहा है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा नियम बन गया है कि जो रिकागनाइज्ड अपोजीशन है उसका एक भी सदस्य न बोलने पाये सिवाय कट मोशन मूव करने वाले के ?

श्री उपाध्यक्ष---ऐसा कोई नियम नहीं बना है। आपकी तरफ से तीन स्पीचेज हो चुकी हैं। माननीय सदस्य बैठ जाने की कृपा करें।

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)---यदि माननीय नारायणदत्त जी उत्तर देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)---उपाध्यक्ष महोदय, जब कि माननीय बलदेव सिंह जी बोल रहे थे तो हम लोगों में यह भ्रम हो रहा था कि वह आखिरी स्पीच है। यदि और किसी को समय दिया जाय तो इस बात का भी ध्यान रक्खा जाय कि स्त्रियों को भी बोलने का पूरा मौका नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष---श्री बलदेवसिंह केवल ७ मिनट के लिये ही बोले थे, उनकी एक सामान्य स्पीच थी।

श्री बनारसी दास---उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य और जन चिकित्सा एक ऐसा विषय है जिसमें राजनैतिक और साम्प्रदायिक मतभेद की गुंजाइश नहीं है। इस विषय पर तो राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से ही विचार किया जाना चाहिये। मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब कि मैंने यहां पर पहली मर्तबा इस अनुदान पर इस प्रकार के भाषण को सुना, जिसमें राजनैतिक गंध पायी जाती थी। ऐसा मालूम होता था कि माननीय सदस्य अपने स्वभाव के विरुद्ध केवल भावी चुनावों की वजह से राजनैतिक विचार प्रकट कर रहे थे। आज किसी भी अस्पताल में क्या इस प्रकार के आदेश भेजे गये हैं कि किसी राजनैतिक पार्टी विशेष के व्यक्ति का ही इलाज किया जाय ? क्या डाक्टरों का भी किसी राजनीति से संबंध होता है ? जितने भी चिकित्सालय हैं वे सब तो सबके लिये हैं। बीमारी कोई भेद नहीं करती है कि कौन सा व्यक्ति किस पार्टी का है। माननीय उमा शंकर जी ने अपने जिले के जिस अस्पताल का जिक्र किया कि वह दलगत राजनीति के आधार पर बन्द कर दिया गया है मैं समझता हूं कि उनकी सूचना निराधार है। प्रदेश में जब हम लोक तंत्र की प्रणाली के अनुसार केन्द्रीयकरण करते हैं तो भी आपको शिकायत होती है लेकिन यदि सरकार कोई निर्णय करती है तो आप कहते हैं सत्ता को केन्द्रीभूत किया जा रहा है। आपके जिले में बाजार गोसाईं की डिस्पेंसरी की बाबत आपने कहा। हर जिले में एक एडवाइजरी कमेटी है जिसकी सिफारिशों के अनुसार सरकार निर्णय करती है। लेकिन उसने अक्टूबर ५५ में इस डिस्पेंसरी की बाबत कोई निर्णय नहीं किया, उस पर अपने विचार स्थगित कर दिये। जब तक कि तमाम जिले का मास्टर प्लान विचार के लिये पेश नहीं

होता। तो इसलिये मैं यह कहूंगा कि इस पर कोई इस प्रकार का निर्णय किया गया है वह निर्णय निराधार है। आप इस विभाग की प्रकाशित रिपोर्ट को देखेंगे कि जितना कार्य इस दिशा में करना बाकी है और जो हम जनता के स्वास्थ्य के लिये करना चाहते हैं मैं समझता हूं कि अभी उसका स्पर्श मात्र ही है। सबसे पहले सफे के अन्दर कहा गया है कि हम जानते हैं कि जो कुछ कहा गया है वह तो केवल समस्या का स्पर्श मात्र ही है। अभी तो हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिये बहुत दूर जाना है। इस बजट में आप देखेंगे कि ५० प्रतिशत अनुदानों में वृद्धि की गई है। करीब तमाम रुपया लगा कर साढ़े ७ करोड़ रुपया हो गया जब कि गत साल ५ करोड़ के करीब रुपया था। मैं मानता हूं कि यह कोई ज्यादा वृद्धि नहीं है हमारे इस प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी के लिये, हमारी समस्याओं को देखते हुए मैं तो चाहूंगा कि यह साढ़े ७ करोड़ रुपया नहीं, जितना कि इस देश का आपका पूरा बजट है वह तमाम का तमाम इस अनुदान के अन्दर दे दिया जाय लेकिन हमको तो व्यावहारिकता से काम करना होगा। हम यह मानते हैं कि हमने जो लड़ाई महामारियों के प्रकोपों के खिलाफ, मलेरिया, फाइलेरिया आदि के खिलाफ शुरू की थी उस पर पूर्ण विजय प्राप्त नहीं की है लेकिन हमें इस बात का संतोष है कि हमारे प्रदेश में मार्टेलिटी रेट घटा है और हमारे यहां इंफेंट मार्टेलिटी का रेट भी घटा है। स्त्रियों की मृत्यु संख्या भी घटी है लेकिन इस पर भी हमको संतोष नहीं है। तिवारी जी ने, मुझे पता नहीं कहां से उनको यह सूचना मिली कि यू० पी० का मार्टेलिटी रेट बराबर बढ़ता चला जा रहा है.....

श्री नारायणदत्त तिवारी—मंथली बुलेटिन स्टेटिस्टिक्स से।

श्री बनारसी दास—वह देखेंगे कि सन् ५४ का जहां हमारे तमाम देश की मृत्यु रेट १३.८ है जब कि हमारे प्रदेश का १०.७ है। इंफेंट मार्टेलिटी रेट जब कि तमाम देश का १२७.१ है हमारे प्रदेश का १०४.२६ है। आप स्त्रियों की मृत्यु संख्या भी अगर तुलनात्मक दृष्टि से गौर करें तो सन् ५० में मर्दों की मृत्यु संख्या का प्रतिशत १४.२३ था तो स्त्रियों का १२.६८ था। इसी तरह उत्तरोत्तर स्त्रियों के डेथ रेट के अन्दर कमी होती चली गई है और सन् ५३ के अन्दर आदमियों की मृत्यु संख्या १०.४६ थी तो स्त्रियों की ९.२४ है। तो इस दृष्टि से आप गौर करेंगे कि इसमें इस प्रदेश की तरफ से जो प्रयत्न किया गया है उसमें हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि उसके अन्दर एक प्रगति हुई है और यह हमारा सौभाग्य है कि तमाम देश की तुलना में हमारे यहां जो प्रगति हुई है वह ऐसी नहीं है जिस पर कि हम अपना संतोष प्रकट न कर सकें। इसी प्रकार से मलेरिया से या अन्य प्रकार की महामारियों से जो यहां मृत्यु होती थी उसके अन्दर भी उत्तरोत्तर मृत्यु संख्या बराबर कम होती चली गई है। कुछ माननीय सदस्यों ने जिक्र किया कि लखनऊ के अन्दर हमारे बजट का अधिकांश व्यय होता है और देहातों की उपेक्षा की जाती है। कहा गया है कि देहातों के अन्दर बहुत शैयायें नहीं हैं। नारायणदत्त जी ने इसके लिये आंकड़े पेश किये कि ७ हजार पर एक बेड आकर वहां पड़ता है और शहरों में ५ हजार पर एक बेड आता है। इस तरह से देहातों की उपेक्षा की जाती है। मैं मानता हूं कि अभी तक की आबादी के लिहाज से जितने बेड्स आने चाहिये उतने बेडस की हमारे यहां कमी है लेकिन द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्दर जो हम करना चाहते हैं और जो अब तक किया गया है वह प्रगति धीमी थी यह सही है लेकिन ऐसा मानना पड़ेगा कि हमारे साधनों के अन्दर, हमारी सीमाओं के अन्दर हम उसको यह नहीं कह सकते कितना काफी है। यह एक बड़ा सवाल है। आप यह निर्णय करें कि हमको अपने प्रदेश की प्रगति को तेज करना है तो उसके लिये आपको बोझा अपने सर पर लेना पड़ेगा लेकिन जब कि आपकी नजर चुनाव के ऊपर है और हम स्वास्थ्य की रक्षा के लिये जनता से सहायता के लिये मांग करेंगे तो उस वक्त में आप यह कहेंगे कि जनता तो करों से दबती जा रही है। संसार की सोशल एकोनामी

[श्री बनारसी दास]

का एक ही आधार है कि वहां पर करों का प्रतिशत नेशनल इनकम से बढ़ता चला जा रहा है तभी वहां की जनता सरकार से ज्यादा सुविधाओं के लिये मांग कर सकती है । लेकिन हमारे देश के अन्दर सोशलिज्म की अजीब व्याख्या है । हम कम से कम कर सकते हैं लेकिन साथ ही स्वर्ग बनाना चाहते हैं । महामारियों को दूर करना चाहते हैं तो किसी प्रकार का भी कर जनता को न देना पड़े तो यह कैसे हो सकता है ? यह सही है जैसा कि कहा गया कि अभी हमारे यहां मेटर्निटी सेन्टर्स की कमी है । हम तो चाहते थे कि ५ ईयर प्लान में, एन० ई० एस० ब्लाक्स में ११०० और ५०० विभाग की ओर से चलाए जायं, अगर हम इस से भी ज्यादा कर सकें तो हम तो चाहते हैं और उससे हमें खुशी ही होगी लेकिन हमारे सामने इस वक्त प्रायर्टी फिक्स करने का सवाल है । हमारे श्री टीका राम जी कहते हैं कि यह साढ़े ७ करोड़ रुपया इस तरह से व्यय करना बेकार है, वह कहते हैं कि अच्छा खाना मिले, अखाड़े हों सेहत का सामान हो । अगर हम इस बजट को खत्म कर दें तो आप देखेंगे कि हमारे टीकाराम जी जो फूड प्रोडक्शन उद्योग, और सारे कामों के लिए कहते हैं तो हमें तो उनकी बात पर भी अमल करना है और साथ ही श्री उमाशंकर की बात पर भी अमल करना है । हमें तो खाने का भी इन्तजाम करना है और साथ ही अगर कोई बीमारी हो जाय तो उसका भी इलाज करना है । श्री रामसेवक जी ने कहा कि दवायें नहीं मिलतीं । पहले देहात की डिस्पेंसरीज के लिये हम १५ सौ रुपया साल देते थे लेकिन इस वर्ष वह रकम बढ़ा कर २५ सौ कर दी गई है और अगले साल से हम उसको ४,००० रुपये प्रति वर्ष करना चाहते हैं । अभी एक साहब ने कहा कि तमाम व्यय डाक्टरों के वेतन और इसटेंब्लिशमेंट पर होता है और दवाइओं का प्रबन्ध नहीं हो पाता ऐसे डाक्टरों को रखने से क्या लाभ है ! ऐसे डाक्टरों के पास भी लोग जा सकते हैं जिनके पास कन्सल्टेशन के लिए जाया जा सकता है चाहे उन के पास दवा न हो, वह मशवरे की फीस लेते हैं और प्रेसक्रिप्शन लिख देते हैं तो क्या यह सुविधा नहीं है कि योग्य डाक्टर रखे जायं और वह नुस्खे लिखें और जो लोग दवाओं का भार वहन कर सकते हैं वह बाजार से दवा लेकर इलाज उनसे करा सकते हैं । इस तरह से हम बराबर दवाओं की सहायता भी बढ़ाते जाते हैं । इसी तरह से अस्पतालों में जो मरीजों की डाइट पर व्यय होता है वह भी बढ़ाया गया है, हम चाहते थे कि वह और भी ज्यादा रखें लेकिन मुश्किल यह होती है कि किस मद से रुपया लाकर बढ़ावें । इसी तरह से मेटर्निटी सेन्टर्स के ट्रेनिंग कैडर को बढ़ाया गया है और केन्द्र भी बढ़ाए गए हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी आवश्यक अंगों पर विचार किया गया है । यह भी आक्षेप किया गया कि लखनऊ में मेडिकल बजट का अधिक रुपया व्यय किया जाता है । हमारे यहां लखनऊ, कानपुर, आगरा के मेडिकल कालेज हैं । यहां पर आवश्यकता को देख कर करीब करीब ४० लाख की व्यवस्था है और आगरा मेडिकल कालेज के लिए यहां से दस बारह ज्यादा की व्यवस्था है । तो यह जो लखनऊ, आगरा और कानपुर के जो मेडिकल कालेज हैं वह हमारे डाक्टरों के ट्रेनिंग सेन्टर हैं, वह केवल किसी स्थान के लिए नहीं हैं वरन वह तो सारे प्रदेश के लिए हैं । स्पेशलाइज्ड किस्म का इलाज सब जगह तो हो नहीं सकता, हमने अपने इन कालेजों में विशेषज्ञों का प्रबन्ध कर रखा है वह डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पर या हर जिले में उतना अच्छा नहीं हो सकता और न हम इतने स्पेशलिस्ट ही ला सकते हैं । लखनऊ में आयुर्वेदिक कालेज और होम्योपैथिक कालेज के कारण से भी व्यय अधिक होता है यह नहीं है कि लखनऊ की जनता से कोई खास रुचि है या कोई खास रियायत हम करते हैं । यह तो उस समुद्र की तरह है जिसका प्रभाव जिस तरह से तमाम जलवायु पर पड़ता है उसी तरह से हमारे इन मेडिकल कालेज से पूर्ण प्रदेश का लाभ होता है । आप कहें कि हिमालय की इतनी बुलन्दी क्यों है लेकिन वह हिमालय ही हमारे देश की समृद्धि पर हर प्रकार का प्रभाव डालते हैं और वह केन्द्र है हमारी बड़ी बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये । वह इसीलिए विशाल बना कर प्रकृति ने रखे हैं । इसलिए कोई भेदभाव की बात नहीं है ।

श्री राम सेवक जी ने बनारस की डिसपेंसरी का जिक्र किया। यह ठीक है कि वहां के लिए २० हजार रुपया रखा गया था लेकिन उस कार्य में देर हुई अब वह जरूर बन जायगा। अभी टेहरी-गढ़वाल की चर्चा श्री जयेन्द्र सिंह जी ने की कि टेहरी-गढ़वाल के अन्दर भी उस नीति पर अमल किया जाय। अगर आप वहां पर अस्पतालों की संख्या को देखें तो हमारे प्रदेश में सबसे अधिक है। वहां पर १४ माडर्न डिस्पेंसरीज और ४३ आयुर्वेदिक अस्पताल हैं। इस प्रकार से उनकी संख्या ५७ होती है जो संभवतः हमारे प्रदेश में कहीं भी नहीं है। यह कहा गया कि वहां पर मैटर्निटी सेंटर्स नहीं हैं डूंडा के अन्दर दो डिस्पेंसरी कम मैटर्निटी सेंटर्स मंजूर किये गये हैं जो शीघ्र खुलने वाले हैं।

यह भी कहा गया कि वहां पर तीर्थ यात्रियों के लिए क्या सुविधाएं हैं। यमनोत्री पर चूंकि यात्री कम होते हैं इसीलिए वहां पर यात्रियों की दृष्टि से, सुविधा की व्यवस्था की गयी है और वहां पर ३० हजार रुपये की व्यवस्था हुई है। यदि वहां यात्रियों की संख्या अधिक हो तो वहां पर अवश्य सरकार विशेष रूप से ध्यान दे सकती है।

अभी बहिनों की तरफ से एक सवाल पैदा किया गया कि लड़कों को सिखाने के लिए औरतों के अस्पताल में व्यवस्था की जा रही है। यह तो प्रगति का जमाना है। अभी विद्यावती जी कहती थीं कि यहां पर औरतों का कितना अनुपात होगा? जब आप बराबरी का दावा करती हैं, हर जगह फौज में आने के लिए, ऐडमिनिस्ट्रेशन में आने के लिए, तो वह तो प्रगति का जमाना है। इस प्रकार एक तरफ प्रगति की बात करना और दूसरी तरफ प्रतिक्रियावादिता की बात करना दोनों में सामंजस्य नहीं हो सकता। संसार में जो प्रगतिशील देश हैं वहां पर गायनाकालोजी के लिए किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होता। हमारे जो ज्यादा अच्छे प्रोफेसर्स हैं वह डाक्टर्स ही हैं और जितने काम्पलीकेटेड केसेज होते हैं लोग उनके पास मरीज ले जाना पसन्द करते हैं। मैं समझता हूं कि जितने नये काम होते हैं उनमें शुरू में विरोध होता है। मैं आशा करता हूं कि जो बहिनें यहां प्रगति का प्रतिनिधित्व करती हैं और जो इसमें आगे रही हैं वह स्त्रियों की तरफ, चूंकि यह परम्परागत विरोध रहा है कि इसका भी सामना करेंगी। उनको रास्ता दिखायेंगी। वह उनके लिए हितकर होगा। जिन बच्चों के कल्याण के लिए वह यहां बात करती हैं वह उनके भी हित में होगा। इस प्रकार की जो सुविधाओं की व्यवस्था सरकार करना चाहती है। वह उसमें सरकार की सहायता करें। रूढ़िवादिता और परम्पराएं हमेशा सामाजिक क्रांति के सामने आती हैं। लेकिन सामाजिक क्रांति के लिए उनका सामना करना हमारा एक जरुरी फर्ज हो जाता है।

अभी कहा गया कि यहां के आयुर्वेदिक कालेजों के डाक्टरों का वेतन-क्रम नहीं बढ़ाया गया। यह सरकार के विचाराधीन है और सदन को यह जानकर खुशी होगी कि जो गत साल में सरकार ने निर्णय किया था उसको जल्दी ही कार्यान्वित किया जायगा। सरकार शीघ्र वेतन निर्धारित करने के लिए आदेश देने वाली है जिसमें पी० एम० एस० टू० और ७०, और १२० का भी ग्रेड है। आप देखेंगे कि जितनी भी हमारी जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से प्रयत्न किया जा रहा है। अभी यहां माननीय सदस्यों की तरफ अडल्ट्रेशन की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। अडल्ट्रेशन से सरकार पूरी तौर से वाकिफ है। प्योर फूड ऐक्ट बना हुआ है। यदि आप उसके अन्दर प्रासीक्यूशन की तादाद देखें तो वह बराबर बढ़ती जाती है। इसके लिए इनकार नहीं किया जा सकता कि अडल्ट्रेशन हमारे प्रदेश में है। लेकिन प्रश्न यह है कि उसको कैसे दूर किया जाय? सब चीजों का इलाज कानून नहीं हो सकता। श्री राम जी लाल ने क्वेकरी के बारे में

[श्री बनारसी दास]

कहा। अभी बहुत से वैद्य हैं, बहुत से होम्योपैथ हैं, बहुत से नेचरोपैथ हैं। जब आप के यहां काफी तादाद में ट्रेंड डाक्टर हो जायंगे अगर आप उस वक्त में कोई इसके लिए लेजिस्लेशन लाना चाहें तो व्यावहारिक होगा। जहां तक अडल्ट्रेशन का सवाल है कानून हमारे बीच में मौजूद है। सजायें बराबर होती हैं। लेकिन इसके लिये यह काफी नहीं है जब तक उसके लिये हम लोकमत में जागृत नहीं करेंगे और जब तक इसको एक सामाजिक बुराई नहीं समझेंगे तब तक कानून, प्रोजीक्यूशन और दंड यह तमाम चीजें नाकाफी होंगी। तो यह बड़े दुःख की बात है कि हमारे देश के अन्दर अडल्ट्रेशन हो और हमारे यहां की जनता उसको बर्दाश्त करे। कानून के दायरे से बाहर निकल करके हमको लोकमत को जागृत करना पड़ेगा और तभी अडल्ट्रेशन को बन्द कर पायेंगे।

जहां तक दवाओं का सवाल है हमारे यहां इस उद्योग को तरक्की देने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है। हमारे यहां एक आयुर्वेदिक फार्मेसी है। इस पर करीब १० लाख रुपया इनवेस्ट करना चाहते हैं जिससे यह चीजें बनें। इस तरह और भी हमारे यहां जो फार्मेस्यूटीकल इंडस्ट्रीज हों उनको हम प्रोत्साहन देने के लिए ऋण देंगे, सहायता देंगे। इस दृष्टि से हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में फार्मेस्यूटीकल इंडस्ट्री बढ़े और उसका फायदा हमारे प्रदेश को पूरा पूरा मिले। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन का समय काफी लिया। मैं समझता हूं कि अगर हर व्यक्ति की बात का उत्तर दूं दो काफी समय लगेगा।

जहां तक मेटर्निटी सेन्टर खोलने की बात है तथा शैयायें बढ़ाने की बात है वह सब प्रश्न विचाराधीन है और आप देखेंगे कि जो पुस्तिका वितरित की गई है उसके अन्दर प्रत्येक जिले का ध्यान रखा गया है। कितने वहां पर चिकित्सालय हैं, कितने मेटरनिटी सेन्टर हैं, और अगले ५ वर्ष के अन्दर कितने कायम किये जाने हैं, इन सब पर विचार किया जा रहा है। और इस दृष्टि से आप देखेंगे कि आबादी की दृष्टि से, जिले की जन-संख्या की दृष्टि से, जिले के विस्तार की दृष्टि से, सब को ध्यान में रख कर, सीमित साधनों के होते हुये जितना कर सकते हैं, उतनी सेवा करने की कोशिश की जा रही है।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत—पूर्वी जिलों में मिडवाइफरी की ट्रेनिंग के लिये कुछ नहीं कहा मंत्री जी ने?

श्री बनारसीदास—बनारस के अन्दर एक ट्रेनिंग सेन्टर होगा और मौजूदा जो सेन्टर्स हैं जहां अब २० लड़कियां भर्ती की जाती हैं वहां ४० हुआ करेंगी। जहां तक शिक्षा के स्तर का सवाल है तो वह तो पहले से ही कम है मिडवाइफरी के लिये, नर्सरी के लिये जो निम्नतम योग्यता रखी गई है वही है और अगर उससे कम स्टैन्डर्ड रखेंगे तो कुछ लाभ नहीं होगा। आपके इलाहाबाद के अन्दर सेन्टर है, बनारस के अन्दर खोला जायगा तो कोई कमी नहीं होगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, मुझे यह कहना है जब कि मैंने पहले आपसे निवेदन किया कि हमारे दल के महज दो ही आदमी बोले, श्री उमाशंकर तथा नारायणदत्त तिवारी और इन लोगों ने कटमोशन मूव किया। दूसरा कोई नहीं बोला। आपने आज्ञा की कि हमारे पार्टी के ३, ४ आदमी बोल चुके हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इनको निकाल करके बता दें कि कितने हमारे आदमी बोले हैं। आपने मुझे झूठा बनाने की कोशिश की है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हू कि आपकी पार्टी के दो ही आदमी बोले हैं। विरोधी पार्टी के और लोग बोले हैं और मैं हर एक को मौका देता रहा। इसलिए मैंने कहा था कि ३, ४ आदमी बोल चुके हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मैं अपनी पार्टी की कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं कह चुका हूं कि दो आदमी आपकी पार्टी के बोले।

श्री उमाशंकर—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कोई, बहुत से लोगों को मालूम है, गुप्ता जी पर आक्षेप करने का इरादा कभी नहीं हो सकता। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं अपने दिल का भाव बतला दूं कि मैं तो आचार्य नरेन्द्र देव जी को गुरु मानता था और दो मेरे बड़े भाई हैं, गुप्ता जी और मोहनलाल गौतम। चाहे गुप्ता जी हों चाहे मेरे बाप हों या भाई हों, अगर कोई शिकायत हो तो मैं उनसे कहूं तो मैं समझता हूं कोई हर्ज नहीं। श्री बनारसी दास जी ने बताया कि इस अनुदान में कोई पक्षपात की बात नहीं हो सकती है। यह मैंने माना। मगर मेरे दिमाग पर जो असर पड़ा वह मैं कैसे छिपाऊं? बाजार गुसाईं का नाम आपने लिया। बाजार गुसाईं के लिये शासन से चिट्ठियां जा चुकी थीं कि वहां अस्पताल खोलो, सिविलसर्जन उस जगह पर मकान देखने गये थे। माननीय गुप्ता जी ने खुद बताया कि वहां की एडवाइजरी कमेटी ने मना कर दिया। सोचना चाहिये गवर्नमेंट को कि जब वह अस्पताल खोलना चाहती है तो क्या एडवाइजरी कमेटी उसको रोक देगी? सरकार ने कोई ऐसा तरीका नहीं रखा है कि जहां एडवाइजरी कमेटी निश्चय करे वहीं अस्पताल खुले। सूबे में मैं जानता हूं कि बहुत सी जगहों पर वैसे अस्पताल खोले गये होंगे जहां कि एडवाइजरी कमेटी ने कभी नाम भी नहीं लिया होगा। गवर्नमेंट ने जहाँ जरूरी समझा कि अस्पताल खोलना चाहिए, वहां खोल दिया। तो इस अस्पताल के बारे में जब गवर्नमेंट ने निश्चय कर लिया तब एडवाइजरी कमेटी के कहने से क्यों बन्द कर दिया। ऐडवाइजरी कमेटी ने ऐसा क्यों कहा, मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ी बात सुनिये, वहां एक यूनानी दवाखाना है, वह उनके हाथों में चलता था, उनके इशारे पर चलता था। वह चाहते थे कि उसको ग्रान्ट मिलती रहे हालांकि उनका यह भी काम पूरा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने उसके लिए मना किया। लेकिन जब गवर्नमेंट और हेल्थ मिनिस्टर साहब इस निश्चय पर पहुंच चुके थे, नक्शा देख कर के कि वहां अस्पताल का होना जरूरी है, तब उसके बाद वह अस्पताल बन्द हो गया। तो फिर मैं क्या कहूं? दूसरा अस्पताल जो है, ये दोनों अस्पताल उस क्षेत्र में हैं जहां से विरोधी दल के मेम्बर आये हैं? दूसरा अस्पताल परसरामपुर डिस्पेंसरी है जो डिस्पेंसरी आज दस वर्षों से काम कर रही है। जनता ने जो बिल्डिग उसके लिए दी थी वह बिल्डिग इस अस्पताल में बिल्कुल ध्वस्त हो गई। एक बार गवर्नमेंट ने निश्चय कर लिया था कि इस बिल्डिग को बनवायेंगे और इंजीनियर्स ने तमाम पैमाइश भी कर ली थी। उसका एस्टीमेट भी कुछ रुपयों का बनाया था। उसके बाद उसी बीच में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन चला, तो उस काम को रोक दिया गया और कहा गया कि यह रुपया इस काम में खर्च कर दिया जाता है, जैसे ही फुर्सत मिलेगी वैसे ही इस अस्पताल की इमारत बनायी जायगी। आज वह अस्पताल बिल्कुल बियावान मैदान में पड़ा हुआ है। इस पिछले बरसात में उसकी सारी बिल्डिग गिर पड़ी। उसके तीन मरीज मरते-मरते बचे जो कि उस समय वहीं थे। मैं बार बार दरख्वास्त करता रहा लेकिन जब गुप्ता जी ने कहा कि अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हो क्या? तब से मैंने कहना छोड़ दिया। डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी के बारे में मैंने बता ही दिया। आप इन्क्वायरी कीजिये कि कितनी जगह डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी ने सलाह दी है लेकिन वहां अस्पताल क्या चूरन बांटने वाला भी नहीं बैठाया गया।

आयुर्वेदिक कालेज देहरादून का जो है, उसके सम्बन्ध में मेरे पास रजिस्टर्ड कमेटी की एक लिस्ट आयी है, जिसमें बहुत से माननीय सदस्य इस सदन के हैं, जिलाधीश उसमें हैं और उसकी तारीफ भी कितने ही बड़े-बड़े आदमियों ने की है। यहां पर

[श्री उमाशंकर]

कुछ नयी खोज का काम भी हुआ है। एक पथरी का रोग होता है, मैं तो जानता नहीं, उसकी दवा उसने तैयार कर ली है, बगैर चीर फाड़ के ही वह कहते हैं उसको ठीक कर देंगे। टिंचर, आयुर्वेदिक का जो होता है उसके लिए वह कहते हैं, मेरे पास उन्होंने लिखा भी है कि वह उन्हीं की ईजाद है। अब ऐसे आयुर्वेद कालेज को यदि सहायता न दी जाय जिसके बारे में मुल्क के बड़े से बड़े लोगों ने तारीफ की हो तो मैं इसको क्या कहूं। मुझे जब समझाया जाता है कि इसका केवल एक कारण पार्टीबाजी है, चारों तरफ से जब मुझको घेर दिया जाता है और मैं यहां खड़ा हूं तो मैं कैसे न कहूं? आखिर मैं क्या कहूं? मैंने इसलिए कहा कि यह पार्टीबाजी का पुट है और मैं आपको बता सकता हूं। आप कहें तो मैं नाम पढ़ के सुना दूं। देहरादून म्यूनिसिपल बोर्ड ने एक नोटिस छपवाया है, उसने सरकार से प्रार्थना की है कि यह आयुर्वेद कालेज हमको दे दिया जाय, हम इतना रुपया खर्च करेंगे और सरकार इतना हमको मदद करेगी। उसके एक सवाल के उत्तर में रिजेक्ट किया गया है लाल बत्ती हो गई है। तो चारों तरफ से, जो कुछ समझा गया है उसका नतीजा यही निकलता है कि यह पार्टीबाजी की वजह से काम बिगड़ रहा है। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि आपका महकमा ऐसा है कि जो माता का काम करने वाला है और हम सब लोग, मरीज, जनता, इस विभाग के लड़के के समान हैं। लिहाजा आप किसी भी पार्टी का लिहाज किये बगैर मातृवत् कार्य शुरू कर दीजिए।

(श्री नारायणदत्त तिवारी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह कहा गया था कि एक ही आदमी कटौती का उत्तर दे देंगे। फिर भी अगर आप कुछ कहना चाहते हों तो थोड़ा कह सकते हैं।

श्री नारायणदत तिवारी—श्रीमन्, मैं इतना ही कहना चाहता था कि यह कहा गया कि इन्फेन्ट मार्टेलिटी के आंकड़े कहां से ले आये? मैं एक बुलेटिन, जो डाइरेक्टर मेडिकल हेल्थ सर्विसेज की ओर से जो इन्फार्मेशन बुलेटिन है, भेज चुका है। और दूसरी उसको सप्लीमेंट करने के लिये सेन्सेस रिपोर्ट की दो एक लाइनें पढ़ देना चाहता हूं। उसके पेज ८७ पर कहा गया है।

श्री बनारसी दास— मैंने आपको सन् ५४ के आंकड़े बताये थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैंने भी ५४ के ही आपको दे रखे हैं। वे आपके पास हैं, उठा कर देख लीजिये। तो सेंसस रिपोर्ट के पेज ८७ पर यह लिखा है, उसे भी सुन लीजिये।

> "The infant death rates are higher than the rates for males and females over 60 years old. It is evident that infant mortality and child mortality are the greatest wastes that we have in human life, being 38.5 percent of the total deaths in this State during 1941—50."

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९—चिकित्सा (लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा) के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९—चिकित्सा (लेखा शीर्षक ३८—चिकित्सा) के अन्तर्गत ३,७४,५५,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०--जनस्वास्थ्य (लेखा शीर्षक ३९--जन स्वास्थ्य) के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०--जन-स्वास्थ्य (लेखा शीर्षक ३९--जनस्वास्थ्य) के अन्तर्गत १,८९,८४,३०० रु० की मांग स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१--लेखा शीर्षक ६३--असाधारण व्यय तथा अनुदान संख्या ५०--लेखा शीर्षक ८५-क--राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत

†**श्री चन्द्रभानु गुप्त**--उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१--असाधारण व्यय (लेखा शीर्षक ६३--असाधारण व्यय), के अन्तर्गत ४९,०४,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०--राज्य व्यापार की योजनायें (लेखा शीर्षक ८५-क--राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं परपूंजी की लागत) के अन्तर्गत ३,९२,८९,०००रु० की मांग स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन विभागों का इन अनुदानों से सम्बन्ध है उस विभाग के विषय में और उसके कार्यों के विषय में आठ-नौ सालों से बराबर मुझे सदन के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है। मैं ऐसा समझता था कि कदाचित् हमारे बजट में एक ऐसा अवसर आ जायगा शीघ्रता के साथ जिससे इस विभाग के अनुदानों को मुझे सदन के समक्ष प्रस्तुत न करना पड़े। पिछले दो वर्षों में जब जब मुझे बजट को प्रस्तुत करना पड़ा मैंने ऐसी आशा प्रकट की कि कदाचित आने वाले वर्षों में हमें इस बजट को आपके समक्ष प्रस्तुत न करना पड़ेगा। परन्तु समय-समय पर जो प्रदेश में खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं और पदार्थों की हालत पैदा हुई, और केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर जिन नीतियों को बरता उनके कारण आज भी इस विभाग को अपना कार्य चाहे वह थोड़ी मात्रा में हो संचालन करना पड़ रहा है। यों तो मैं उन व्यक्तियों में से बराबर रहा हूं जो ऐसा समझते रहे हैं कि यदि हम समाजवादी व्यवस्था की तरफ वास्तविक ढंग से चलना चाहते हैं और नियंत्रण की तहत में कार्य करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो भले ही कोई वस्तु किसी समय में अधिक मात्रा में उपलब्ध हो, उस वस्तु या पदार्थ के सम्बन्ध में भी हमें काफी समय तक नियंत्रण रखना पड़ेगा। परन्तु जो नीतियों में परिवर्तन समय-समय पर हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं उन्हीं के कारण आज भी इस विभाग को अपने विभिन्न कार्यों का संचालन करना पड़ रहा है। पिछले वर्ष, जैसा हम सब जानते हैं, हम ऐसा अनुभव करने लगे थे जब खाद्यान्नों से करीब-करीब सब प्रकार के नियंत्रण हट गये थे, कि अब उनके वितरण इत्यादि के विषय में हमें कोई नयी नीति नहीं अपनानी पड़ेगी। परन्तु पिछले साल ही हमने देखा कि मार्च तक जब सब नियंत्रण खाद्यान्नों से हट गये थे उसके बाद एक नयी परिस्थिति अपने

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

प्रदेश में उत्पन्न हुई। गल्ले का अधिक उत्पादन हुआ। सरकार ने गल्ले की खरीदारी बन्द करदी। किसान गल्ले को अधिक समय तक अपने बीच में नहीं रख सका, और उसका नतीजा यह हुआ कि खाद्यान्नों की कीमतें बहुत घटने लगीं। बाजार में एक नया डिप्रेशन पैदा हो गया और उस डिप्रेशन ने किसान की जो ऐग्रीकल्चरल एकोनामी है उसको बिल्कुल असन्तुलित कर दिया, एक झगड़े में डाल दिया, एक परेशानी में डाल दिया। ये सब बातें हमारी नजरों के सामने गुजरी हैं। हमने स्वयं यह तय किया है कि जब कीमतें बहुत मात्रा में घटने लगीं और किसान को बहुत परेशानी होने लगी तो प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया। तब केन्द्रीय सरकार ने प्राइस सपोर्ट की पालिसी को अपनाया, और प्राइस सपोर्ट की पालिसी को अपनाते हुये यह निर्णय किया कि प्रदेशीय सरकारें जहां ऐसी व्यवस्था किसानों के बीच से गुजर रही हों, वहां एक बंधी हुई कीमत पर किसानों के गल्ले को खरीदना प्रारम्भ कर दें। उसी निर्णय के अनुसार प्रदेशीय सरकार ने गल्ले की खरीदारी प्रारम्भ की। जहां अप्रैल, मई और जून के महीने में यह कार्य प्रारम्भ हुआ, वहां उससे थोड़े ही दिनों बाद प्रदेश में बहिया आ गयी। फिर इस विभाग को गल्ला उन क्षेत्रों में भिजवाने के कार्य की जिम्मेदारी उठानी पड़ी जिनमें बहिया के कारण गल्ले का अभाव हो गया था। फिर बहिया के बाद वह जमाना आया कि जब गल्ले की कीमतें फिर से बढ़ने लगीं और काफी मात्रा में बढ़ने लगीं। कन्ज्यूमर्स की पुकार जगह जगह से आने लगी है। तब केंद्रीय सरकार के समक्ष सुझाव उपस्थित करते हुये उस गल्ले का वितरण एक निर्धारित मात्रा में तथा एक निर्धारित कीमत पर फिर से प्रारम्भ किया गया।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसी वित्तीय वर्ष में इन दो तीन वजहों से विभाग को अपने कार्य को फिर से संभालना पड़ा और उस कार्य को संभालते हुये गल्ले इत्यादि खरीदारी के कार्य शुरू करना पड़ा। कदाचित सदन के सदस्यों को इस बात का ज्ञान है कि इस नीति के तहत हमने ५२ हजार टन गल्ला, यानी गेहूं खरीदा और १५,००० टन ज्वार खरीदी उस बंधी हुई कीमत पर जिसे केंद्रीय सरकार ने निर्धारित किया। १० रुपये में गेहूं, ६ रुपये में चना, ११ रुपये में चावल, सवा छै रुपये में पैडी और ज्वार, तथा मेज ५ रुपये आट आने के हिसाब से खरीदी। उस समय जब गेहूं की कीमत घट रही थी। तो बुन्देलखंड अपने प्रदेश में एक ऐसा एरिया है जहां इस प्रकार का गेहूं पैदा नहीं होता था जिस तरह के गेहूं के खरीदने के लिये केंद्रीय सरकार ने आदेश दिये थे और उस क्षेत्र के निवासियों तथा उत्पादकों ने आग्रह किया तो हमने सदन के सदस्यों की राय को सामने रखते हुये केंद्रीय सरकार से आग्रह किया कि जहां सफेदा गेहूं के खरीदने के लिये नीति अपनाई उसमें बुन्देलखंड के लाल गेहूं को भी सम्मिलित कर लें। दुर्भाग्य से उन्होंने हमारे सुझाव को नहीं माना। इसलिये इस क्षेत्र के निवासियों और उत्पादकों को घाटा हुआ। लेकिन अब इस प्रांत के उत्पादकों को इस नीति के तहत में सहायता मिली है जिससे गल्ले की कीमत में स्थिरता आई और किसान कुछ संतोष से अपना माल बेचने लगे।

हम कहां तक प्राइस सपोर्ट की नीति को अन्ततोगत्वा सुधार पायेंगे, और इसके तहत में कार्य करते हुये हम आर्थिक नीति में सुधार कर पायेंगे, यह ऐसी बात है जिनके ऊपर में आखरी राय देने के लिये उद्यत नहीं हूं। लेकिन यह बात सत्य है कि क्षणिक जो भाव बढ़ रहे थे या घट रहे थे उस नीति के तहत में उत्पादकों और कंज्यूमर्स को सहायता प्रदान की गई है। जब कीमतें घट रही थीं और हमने खरीदारी प्रारम्भ की तो कीमतें ऊंची हुई और किसानों को अपनी पैदावार का जो एक मुनासिब कीमत थी, उसको प्राप्त करने का अवसर मिला। और जब कीमतें बहुत बढ़ने लगीं और जो गल्ला प्रादेशिक गोदामों में केंद्रीय सरकार का रखा हुआ था, उसका वितरण प्रदेश में प्रारम्भ हुआ तो उसने कीमत को स्थिर रखा। यह ऐसी बातें हैं जो हमारे सामने से गुजरी हैं हम सबका अनुभव है। इसीलिये इस नीति को अपनाने के लिये और इस तरह का कार्य सम्पादन करने के लिये यह विभाग कार्य कर रहा है। साथ में जैसा कि मैंने बतलाया कि उसने विपत्ति

के समय में जब गल्ला विभिन्न क्षेत्रों में नहीं था गल्ले का वितरण किया, और बहिय्या के जमाने में पूर्वी जिलों में करीब ४७,००० मन गेहूं और दस हजार मन ज्वार इन दस जिलों में भिजवाया। दो हजार टन चावल और गेहूं जो अमरीका से मुफ्त मिला था वह भी इन क्षेत्रों में वितरित किया। इस तरह से खरीदारी और वितरण का कार्य इस विभाग ने इस वर्ष में किया और साथ ही इस विभाग ने इन पदार्थों और वस्तुओं के वितरण की जिम्मेदारी को निभाने की चेष्टा की कि आज भी बहुत सी ऐसी वस्तुयें और पदार्थ हैं जिन के ऊपर फिर ये नियंत्रण जारी हो गया है। बिल्डिंग मैटीरियल अपने प्रदेश में उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है। जो कोटा बिल्डिंग मैटीरियल का केंद्रीय सरकार की तरफ से निर्धारित है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वह हमारी जरूरतों को देखते हुये बिलकुल नाकाफी है। उत्तरोत्तर प्रदेश में इमारतें बनती जाती हैं। गांवों में भी मकान बनाने की चेतना उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, और इसलिये स्वाभाविक है कि बिल्डिंग मैटीरियल की मांग अपने प्रदेश में अधिक बढ़े। और जब हमें अपनी बढ़ी हुई मांग के अनुपात से वस्तुयें और पदार्थ प्राप्त न हों तो उसके बितरण का और कोई तरीका नहीं हो सकता सिवाय इसके कि कोई नियंत्रित ढंग हो या नियंत्रण के तरीकों से उसको वितरित किया जाय, और इसलिये बहुत सी वस्तुओं का आज भी नियंत्रित ढंग से वितरण हो रहा है। बिल्डिंग मैटीरियल की आवश्यकता, जैसा कि मैंने बताई, अगर बढ़ती गई और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हम अपने आवश्यकताओं को पूरा करने की चेष्टा करते रहे तो हमारी आवश्यकता तो मौजूदा कोटे से पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि सीमेंट की जितनी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, आयरन और स्टील की जितनी आवश्यकता बढ़ती जा रही है उन कारणों की वजह से कि जो आज निर्माण इत्यादि की चीजें बन रही हैं, उनसे जो हालत पैदा हो रही है, वह एक गंभीर हालत है। अभी दो ढाई महीने से हम केंद्रीय सरकार से इस बात की चेष्टा करते रहे हैं कि हमारा जो सीमेंट का कोटा है प्रदेश के लिये वह बढ़ाया जाय।

(इस समय ४ बजकर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

कुल २९ या ३० हजार टन हमें प्रति क्वार्टर एलाट होता है और हमारी आवश्यकता प्रति क्वार्टर ४०,४५ और ५० हजार टन की होती है। तो यह स्वाभाविक है कि बहुत से स्थानों की मांग पूरी नहीं की जा सकती क्योंकि आज अधिक मात्रा में सरकार स्वयं काम करा रही है, स्वयं इमारतें बना रही है, बांध बनवा रही है, और बहुत से ऐसे आवश्यकीय कार्य करा रही है कि जिनको हमें प्राथमिकता देना है। और जब सरकार को इसी कोटे में से अपने कार्यों को प्राथमिकता प्रदान करनी पड़े तो यह स्वाभाविक है कि बहुत से स्थानों पर जनता की मांगें पूरी न की जा सकें। अक्सर सीमेंट के विषय में जगह जगह से शिकायत आती है और वह शिकायत जो होती है कि जहां सीमेंट की मांग है, और जितनी मांग है उतनी मांग सरकार के द्वारा पूरी नहीं होती है। लोग अक्सर ऐसी बात समझने लगते हैं कि प्रदेशीय सरकार ने जो सीमेंट फैक्ट्री बनाई है तो उसकी बनाई हुई सीमेंट ही प्रदेश में क्यों वितरित नहीं होती है? यह प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा क्यों नहीं करती है? इस सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह सीमेंट भी, जितनी हम पैदा करते हैं, हमारे कोटे में शामिल कर ली जाती है, जो प्रदेश के लिये केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित होती है। इसी तरह से आयरन और स्टील का विषय है। हमें ३,००० से ४,६०० टन प्रति क्वार्टर कोटा मिलता है और हमारा निर्धारित कोटा है ७,००० टन प्रति क्वार्टर। स्वाभाविक है कि इस दशा में हम अपनी सारी मांगें पूरी नहीं कर सकते हैं, उन्हीं हालतों में जिन हालतों में कि मैंने सीमेंट का जिक्र किया। क्योंकि सरकार के काम-काज काफी मात्रा में चल रहे हैं, बांध, इमारतें आदि बन रही हैं, और इसलिये जो हमारे सरकारी विभागों के काम हैं उनकी मांग हमें पहले पूरी करनी पड़ती है। इस विषय में भी हम केंद्रीय सरकार से लिखा पढ़ी कर रहे हैं, और हमारा बराबर उनसे यह निवेदन रहता है कि अगर हम अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना को पूरा करना चाहते हैं, और उसने जो हमने योजनायें रखी हैं उनको

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

पूरा करना चाहते हैं, तो हमारे कोटे को आपको दुगना करना पड़ेगा। ७,००० टन के कोटे को उन्हें बढ़ाना पड़ेगा। परन्तु केंद्रीय सरकार से समय-समय पर जो हमारे पास लिखा पढ़ी में बातें आती हैं उनमें यह कहा जाता है कि जितनी मात्रा में अभी तक आयरन एन्ड स्टील उपलब्ध है और जितने केंद्रीय सरकार के कार्य हो रहे हैं, और प्रदेशीय सरकारों के कार्य हो रहे हैं, उनको देखते हुये इस बात की संभावना नहीं है कि अगले ४,५ वर्षों तक हम कोटे में वृद्धि कर सकें। हां, यों तो एडहोक कोटा कभी-कभी मिल जाता है। हमसे यह बताया गया है कि कदाचित् केंद्रीय सरकार विदेशों से आयरन मंगाने की बात सोच रही है और जितनी कीमत यहां के आयरन एन्ड स्टील की है उससे ज्यादा कीमत उसकी होगी। केंद्रीय सरकार ने हमको दावत दी है कि यदि हम उसमें से हिस्सा लेना चाहें तो ले सकते हैं। इस विषय में केंद्रीय सरकार से लिखा पढ़ी हो रही है।

कोल डस्ट का विषय भी ऐसा है जिसमें समय-समय पर दिक्कत होती है। जितना कोटा हमारा है उतना कोटा हमको मिल नहीं पाता है। उसमें वैगन्स की दिक्कत होती है। जो हमारा अलाटमेंट ३४ हजार वैगन्स का है वह कभी २६ हजार कभी २५ हजार वैगन्स से बढ़ नहीं पाता है। इस सिलसिले में हमारा निवेदन केंद्रीय सरकार से बराबर रहता है। जितनी ईंटों की मांग हमारे प्रदेश में बढ़ी है और जितनी उनके निर्माण के लिये उसकी आवश्यकता है, और यदि उतनी ईंटें हमको तैयार करना है तो हमारे बीच में अधिक और मात्रा में वैगन्स आना चाहिये। तब कदाचित् हम पंचवर्षीय योजना के तहत में अपनी योजना पूरी कर सकेंगे।

लकड़ी का विषय भी गम्भीर होता जाता है। जितनी लकड़ी जंगल में पैदा होती है सब खप जाती है। लकड़ी लड़ाई में चूंकि बहुत इस्तेमाल हो चुकी है। ४ हजार टन लकड़ी सन् १९४९ में हमको मिला करती थी। अब वह २२ लाख २ हजार ५४–५५ में प्राप्त हुआ है। यह आंकड़े हमको आगाह करते हैं कि लकड़ी की व्यवस्था उत्तरोत्तर ऐसी होती जाती है कि जितने स्थानों पर हम लकड़ी देते रहे हैं उनको पूरी मात्रा में नहीं दे पाते हैं और उसकी मांग बराबर बढ़ रही है।

इसी तरह से साल्ट का जहां तक संबंध है उसमें साम्भर के लिये १४ जिलों में नियंत्रण कहा जा सकता है। वरना नियंत्रण हटाने की नीति हमारी थी और केंद्रीय सरकार की भी थी। केंद्रीय सरकार ने अभी तक इस विषय में कोई आदेश नहीं दिया है। इसलिये १४ जिलों में जहां पर सांभर साल्ट आता है वहां पर नियंत्रण के तहत में वह वितरित किया जाता है।

क्लॉथ के लिये भी हमने लाइसेंसिंग की पालिसी को अपनाया था, केंद्रीय सरकार को उसने स्वीकार किया था और वह नीति चल रही है। हम ऐसा अनुभव करते हैं कि कभी-कभी ऐसा समय आता है कि जब कपड़े की कीमत बढ़ जाती है। तो नियंत्रण रखने की इसलिये आवश्यकता है कि लाइसेंसिंग कपड़े के दुकानदारों का रहे। इसी वजह से इस नीति को हमने अपनाया है।

जहां तक मकानों का विषय है, जितने मकानों की आवश्यकता है उतने अभी तक बन नहीं पाये हैं। उनके ऊपर नियंत्रण रखने की नीति में हम कई बार घटाव कर चुके हैं क्योंकि अभी मकान उतनी संख्या में नहीं बन रहे हैं जितनी जरूरत है। पिछले वर्ष इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के तहत में मकान बने हैं, लेकिन जितनी संख्या में, जैसा कि आंकड़ों के देखने से पता चलता है, और अभी जितने मकानों की मांग है उतने मकान अभी तक विभिन्न शहरों में प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इसीलिये रेंट कंट्रोल ऐक्ट हमको संचालित करना पड़ रहा है जो इसी विभाग के तहत में चल रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो विभाग इन चीजों का संचालन कर रहा है वह विशेष परिस्थितियों में है, और जब तक वे परिस्थितियां परिवर्तित नहीं हो जातीं और जो कार्य हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में करना चाहते हैं वे आवश्यकीय रहेंगे, तब तक हमें नियंत्रण के तहत में चलना है, और हमें आशा है कि उन्हें ठीक तरह से चलाने में जनता का सहयोग और सहायता हमें मिलती रहेगी। मैं आशा करता हूं कि इस रूपरेखा को देखते हुये यह सदन हमें इस अनुदान की स्वीकृति देगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से अनुदान संख्या ४१ में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। इस अनुदान की संज्ञा "असाधारण व्यय" कही गयी है और वास्तव में जिन मदों से यह संबंध रखता है वे असाधारण ही हैं। जो आज रिपोर्ट हमारे सामने वार्षिक कार्य विवरण की है, उसमें पहली बार वास्तविकता को मानने की चेष्टा की गई है। पिछले वर्षों की रिपोर्टों की तुलना में हमें यह बात लगती है। इससे यह प्रतीत होता है कि आज कीमतों के नियंत्रण के संबंध में या जनता के जीवन से संबंध रखने वाली आवश्यक वस्तुओं के संबंध में कितनी असाधारण परिस्थिति हमारे सामने है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा है त्यों-त्यों हमारा सिविल सप्लाई विभाग केंद्रीय सरकार का एक पिछलग्गू विभाग होता जा रहा है। और वर्षों के साथ प्रांतीय सरकार को अपनी नीति चलाने का या हमारी भावनाओं को कार्यान्वित करने का अधिकार समाप्त होता चला जा रहा है। इस रिपोर्ट के पढ़ने से मुझे ऐसा लगता है कि लोहे, कोयले इत्यादि की स्थिति संतोषजनक नहीं रही। जो कोटा हमारे प्रदेश के लिये निर्धारित किया जाता है वह भी हमें नहीं मिलता है। लोहे का कोटा अप्रैल से जून ५५ तक ७६९१ टन नियत किया गया, और हमें मिला कुल ३,६५५ टन। जुलाई-सितम्बर ५५ तक ७,१८५ टन में ४,६२३ टन मिला। कोयला भी ३३,९६५ वैगन में कुल २६,५४३ वैगन मिला। सीमेंट के बारे में ३१ हजार टन पहले हमारा कोटा नियत था। हमारे प्रदेश की आवश्यकता ६० हजार टन की होते हुये उसे घटा कर २५ हजार टन कर दिया है। माननीय मंत्री जी अपनी रिपोर्ट के १० वें पेज को देखें तो मालूम होगा कि उसमें लिखा है "चुर्क में सीमेंट के उत्पादन में कमी हो जाने के कारण।" माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उत्पादन बढ़ रहा है। इन बातों से यह स्पष्ट है कि हमारी कोई नीति नहीं है कि किस प्रकार हमारे यहां ये बहुमूल्य आवश्यकतायें पूरी की जाने वाली हैं? मैं केंद्रीय सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं और प्रदेशीय सरकार से भी इस बात की मांग करता हूं कि वह इस प्रश्न पर किसी हालत में, केवल चुपचाप लिखा पढ़ी से ही नहीं बल्कि यदि आवश्यकता हो, और माननीय मंत्री जी को इस्तीफा भी देना पड़े, तो देकर हल करावें। ये बुनियादी आवश्यकतायें हैं। अगर भारत सरकार लाल गेहूं खरीदने की इजाजत नहीं देगी तो उसका नतीजा यह होगा कि हमारे प्रदेश की टैक्सेशन पालिसी और लोन्स पालिसी पर असर पड़ेगा। तो सारे बजट पर कीमतों के असंतुलन से असर पड़ता है। आप देखें कि होलसेल प्राइस का इन्डैक्स ८८.४ है और एग्रीकल्चरल प्राइस का ६९.२ है। यानी औद्योगिक मूल्य ८८.४ है सन् ४८ के मुकाबले में तो कृषि संबंधी वस्तुओं का उनसे १९.२ कम है। तो आज भी उस प्रकार असंतुलित प्राइस पालिसी के कारण कारखानों और खेती की पैदावारों में खाई बढ़ती जा रही है, यह ध्यान देने की बात है। इससे आपकी योजनाओं को नैतिक और आर्थिक बल नहीं मिल सकता है। तो फिर आप कैसे अपनी योजनाओं को पूरा करने में सफल होंगे और कैसे जनता का सहयोग आपको मिलेगा? इस संबंध में गुड़ की स्थिति जरा अच्छी बतलाई गई है। मैं चाहूंगा कि गुड़ की कीमत की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाय क्योंकि इस समय गन्ना अधिक हुआ है, और मिलें सारा गन्ना पेर नहीं सकती हैं। गुड़ अधिक मात्रा में बन रहा है। अगर प्राइस के संबंध में भारत सरकार से ठीक समय से बातचीत नहीं करली गई तो आप सोचिये कि काश्तकार को अन्ततोगत्वा कितना बड़ा नुकसान होने वाला है? तो इस वर्ष गुड़ की समस्या और वर्षों से भी विकट होने वाली है।

दो एक बातें और हैं जिन्हें मैं कहना चाहता हूं। लोहे और फौलाद की कमी के कारण यही नहीं है कि हमारे कोटे में कमी हो गई है, बल्कि यह भी एक कारण है कि भारत सरकार ने एक समझौता उद्योगपतियों से किया है कि लोहे और स्टील की बढ़ी हुई कीमत उद्योगपति अपने कारखानों को बढ़ाने में लगावेंगे। मैं इस समझौते की भर्त्सना करता

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हूं और यह समझता हूं कि इस समझौते ने भी आज लोहे और फौलाद की कमी को बढाने में बहुत अधिक हाथ बटाया है। मैं जानना चाहूंगा कि प्रदेशीय सरकार ने उस समझौते के बारे में क्या नीति अपनाई है, और क्या अपनी राय वहां व्यक्त की ? कोयले के बारे में जैसा माननीय गुप्ता जी ने बतलाया कि उन्होंने कोल कमिश्नर से बात की। बातें उन्होंने शायद अवश्य की हों। मैं नहीं कहता कि इस मामले में वह प्रयत्नशील नहीं रहे, लेकिन मैं उनका ध्यान कमोडिटी कन्ट्रोल कमेटी की रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य सरकारों को स्टेट कोटे के अन्दर कोयले को एक क्लास कनज्यूमर्स से दूसरे क्लास में स्टेट में कोयला बांटने का अधिकार मिलना चाहिये। "The State Governments may be given the powers to divert coal within one class to consumers and within the State quota." मैं जानना चाहूंगा कि उन्होंने इस अधिकार को प्राप्त करने की क्या चेष्टा की है ? इसी प्रकार से नमक का प्रश्न है। बाढ़ के समय में पूर्वी जिलों में नमक नहीं पहुंच पाया। और हर जगह नमक की कमी अनुभव की गई। हर समय रेलवे के वैगन्स की कमी की बाबत कहा गया जब कि रेलवे के अनुसार १७ हजार वैगन्स बढ़ाये गये हैं। लेकिन फिर भी वैगन्स की कमी की बात हर समय हमारे सामने आती है। मैं जानना चाहूंगा कि प्रदेशीय सरकार ने वैगन्स की कमी को पूरा करने के लिये क्या प्रयत्न किया है, क्या नीति उसने अपनाई है जिसकी वजह से आप नमक तक नहीं पहुंचा पाये ? नमक के नौमिनी सिस्टम को खत्म करने के बाबत सिफारिश कमोडिटी कंट्रोल कमेटी ने की थी, लेकिन कोई भी ध्यान उस पर नहीं दिया गया। उसकी वजह से बड़ी असुविधा हो रही है।

एक दूसरी सिफारिश लोहे, कोयले, सीमेंट, कपड़े वगैरा के बारे में थी। उसके लिये कमोडिटी कंट्रोल कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि प्रदेश में हर चीज के लिये एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिये और उसकी रिपोर्ट को असेम्बली के सामने आना चाहिये। मैं नहीं जानता कि ऐसी कोई कमेटी यहां है या नहीं ? अगर है तो उसकी कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आयी। इस बारे में कमोडिटी कंट्रोल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के पेज ३४ पर इस प्रकार से लिखा है--

"For some of the important commodities, such as cotton textiles, iron and steel, and coal, it may be advisable to have separate advisory committees. It would be a good idea of a summary of recommendations of the Central and State Advisory Committees and the action taken thereon is placad before the respective Legislatures once every year."

यह सन् ५३ की सिफारिश है लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ है।

एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज इस वर्ष से सरकार के हाथ में आये जा रहे हैं। अगर आप उसको देखें तो आपको मालूम होगा कि उनमें रजिस्ट्रेशन जिस तत्परता से बढ़ रहा है उस तत्परता से लोगों को स्थान नहीं मिल रहा है। सन् ५० में जब कि रजिस्ट्रेशन ३ लाख २१ हजार था, १ लाख ४३ लोगों को स्थान मिला। लेकिन सन् ५४ में जब कि रजिस्ट्रेशन ३ लाख १९ हजार हुआ, सिर्फ ३५,४८१ लोगों को ही स्थान मिला! इस प्रकार १ लाख व्यक्तियों को जगहें कम मिलीं। जब कि ज्यादा स्थान मिलने की आशा होनी चाहिये थी लोगों को इतनी कम जगहें मिली हैं। इसलिये आप को इन एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज के वर्किंग को देखना है। जो अधूरे बेकार हैं, और जो पूर्ण रूप से बेकार हैं उनकी आपको सर्वे करानी चाहिये। क्योंकि अभी हमारे सामने बेकारी के संबंध में कोई परिभाषा ही नहीं है, उसके आंकड़े ठीक होने चाहिये।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान संख्या ५० में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, स्वयं माननीय नियोजन मंत्री जी ने कहा कि इस विभाग का भार उनके कंधों पर पिछले ८ वर्षों से है। बड़े मजबूत कंधों पर यह भार है ! इस बार और वर्षों से कम रकम इस विभाग में रखी गयी है। मैं चाहता यह था कि इसमें बहुत बड़ी रकम मांगी जाती। लेकिन मैं यह नहीं समझ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पाया कि बड़ी रकम क्यों नहीं मांगी गयी ? अगर माननीय नियोजन मंत्री जी कोई कानून विधान सभा में बाजारों को रेग्यूलेट करने के लिये, ऐग्रीकल्चर कमोडिटीज को रेग्यूलेट करने के लिये नहीं लाना चाहते हैं तो फिर कम से कम इतना तो अपने हाथ में रखते कि जो करोड़ों मन अनाज किसानों का सस्ते दामों पर बिक कर उसी अनाज को एक दो ही महीने के बाद दुगने भाव पर बेचा जाता है, उसका बन्दोबस्त सरकार को करना चाहिये था। यह मेरी समझ में नहीं आया क्यों नहीं पिछले वर्ष ५२ हजार टन के बजाय ५ या १० लाख टन अनाज खरीदा गया ? अगर इतना गेहूं खरीद लिया गया होता तो उत्तर प्रदेश की सरकार का क्या बिगड़ जाता ? वह पैसा केन्द्रीय सरकार देने को तैयार थी, उसके सारे बोझ को केन्द्रीय सरकार उठाने को तैयार थी। बाजरा, ज्वार, गेहूं, हर चीज की खरीद में सारे रुपये को बर्दाश्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार तैयार थी। तो फिर उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या लगता था जो उसने किसानों की कमर को तोड़ने से नहीं बचाया ? जहां ज्वार ५ रुपये मन बिका वहाँ इस वक्त १२–१३ रुपये मन पर है। जहाँ १०–८ रुपये मन पर गेहूं बिका आज उसका भाव १५–१६ रुपये मन है। और इसी तरह से जो चना ६ रुपये मन था उसका भाव इस समय १२ रुपये मन है। खरीफ की फसल पर चावल जो ११ रुपये मन का था वह चावल २३–२४ रुपये मन पर है। अगर सरकार ने १०, ५ लाख मन टन खरीदकर अनाज रक्खा होता तो मैं समझता हूं कि किसानों का भला होता, बाजार नहीं बिगड़ता और सरकार का इस वक्त जो बेचने का तरीका है उसमें वह मुनाफा उठाती है उसमें भी सरकार को मुनाफा ही होता, और बजाय इसके कोई नुकसान होने का अन्देशा होता मुनाफा ही मुनाफा सरकार का होता। सरकार के घर में पैसा बचता। किसान के घर में जो पैसा बचता वह भी सरकार के घर में ही जाता और कंज्यूमर के घर में जो पैसा बचता वह भी सरकार के ही घर जाता। लेकिन इन बनियों के घर में जो पैसा जा रहा है तो वह किसके घर में जा रहा है ? क्या नियोजन मंत्री ऐसा चाहते थे ? मैं नीयत पर हमला करना नहीं चाहता। दोनों में एक बात होगी, या तो अदूरदर्शिता थी या नीयत में गड़बड़ी थी। नीयत की बात मैं कहता नहीं लेकिन यह अदूदरदर्शिता ऐसी अदूरदर्शिता थी जो बहुत मंहगी पड़ी और मैं समझता हूं कि ८, १० वर्ष से जिस मजबूत कन्धों और योग्य आदमी के हाथ में यह शासन हो उसको कम से कम इस बात को समझाना चाहिये था। मुझे अफसोस है कि यह बात नहीं समझी गई। बहुत ही होशियारी के साथ नारायणदत्त जी ने चीजों की तारीफ की। मैं पूछता हूं कि यह क्यों नहीं इस रिपोर्ट में लिखा गया कि इस वक्त किस भाव में कौन सा अनाज बिक रहा है ? सारी रिपोर्ट को पढ़ने की कोशिश की...

श्री बनारसीदास––वह तो मालूम ही है, इसलिये नहीं लिखा।

श्री गेंदासिंह––आप ऐसा कह सकते हैं लेकिन अगर मैं शुबहा करने लगूं तो मेरे ऊपर दोष देंगे। इन होर्डर्स के लिये आप कंज्यूमर्स की कमर तोड़ना चाहते हैं, प्रोड्यूसर की कमर तोड़ना चाहते हैं इस बीच वाले को बचाने के लिये। आगे हिस्ट्री बतायेगी कि किसकी कमर टूटी है।

प्राइस सपोर्ट पॉलिसी के बारे में मैं क्या उम्मीद करूं कि नियोजन मंत्री, उनके डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी कुछ अमेरिका और इंगलैन्ड से भी सबक लेंगे कि किस तरह से वहां प्राइस सपोर्ट की जाती है, किस तरह खरीदनेवाले और किसानों को सब्सीडी दी जाती है। कितने अरबों डालर और स्टर्लिग खर्च किये जाते हैं। २३ और २७ परसेंट जो वहां किसान हैं उनके लिये अरबों डालर और स्टर्लिंग खर्च किये जाते हैं, और यह यू० पी० की सरकार कितना खर्च करती है। इसकी कोई भी चर्चा रिपोर्ट में नहीं। कितना गुड़ सरकार ने खरीदा। किसान मरने जा रहा है। बाराबंकी से लेकर मेरठ तक किसान आज त्राहि-त्राहि कर रहा है। गन्ने के

[श्री गेंदासिंह]

मामले में फुलसिंह जी जो यहां बैठे हैं वे मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे लेकिन मैं कहता हूं कि वह बतायें सहारनपुर, मेरठ, देहरादून, मुजफ्फरनगर का किसान कहां छाती पर हाथ रक्खे नहीं बैठा है। गन्ना उसका सूख रहा है। जून तक किसी हालत में फैक्टरीज बन्द न हों तब जा कर काम चलेगा।

रेलवे की बात कही जाती है। किन-किन चीजों में रेलवे की बात सुनें। कोयला, नमक, सीमेंट, लकड़ी या अनाज किस-किस में सुने। अनाज में सुनें, लोहे में सुनें, हर चीज में रेलवे की बात कही जाय। उत्तर प्रदेश की सरकार आखिर इतनी नाबलिग क्यों है कि वह केन्द्रीय सरकार के सामने अपने आवाज को नहीं रख सकती, और उस में इतनी भी ताकत नहीं है। अभी इस सदन में यहां की सरकार ने कहा कि हमारी बात केन्द्रीय सरकार नहीं सुनती। उसने जो कुछ कोयला बाढ़ पीड़ित इलाकों को दिया, उनको कुछ खबर है इसकी कि कितना कहाँ पहुंचा, कितना बस्ती में पहुंचा, कितना गोरखपूर में पहुंचा, कितना देवरिया में पहुंचा, आजमगढ़ में पहुंचा? जितने मिलने थे उनको मिले, जहां ५७ पहुंचने थे वहां ७ वैगन पहुंचे हैं। मैं कहता हूं कि क्यों नहीं पहुंचे, किसकी यह जिम्मेदारी है? आप हमें बतायें कि हमें क्या करना चाहिए, अगर सरकार असमर्थ है तो वह हमें बताये कि क्या करना चाहिए? आखिर आप नेता हैं जनता के, आप हमें बतायें।

श्री अध्यक्ष—वह कहेंगे कि "लखनऊ चलो" के बजाय "दिल्ली चलो"।

श्री गेंदासिंह—वह कुछ कहें तो, लेकिन वह तो बीमारी को छिपाने वाले हैं। होगा क्या? बीमारी बढ़ेगी और टी० बी० हो जायगी। वह यह तो नहीं करेंगे कि बीमारी थोड़ी है तो पहले ही डाक्टर के पास पहुंच जाय ताकि थोड़े में ही आरम्भ में इलाज हो जाय, लेकिन वह थोड़े में ही इलाज नहीं करेंगे तो बीमारी तो बीमारी है वह तो बढ़ेगी, और फिर रुक नहीं सकती। जब अनाज खरीदते नहीं तो आप देखें कि सारे सूबे में, पहाड़ों में या बाराबंकी के पूरब में, सब जगह अनाज के भाव किस बुरी तरह से बढ़े हैं। आखिर सिविल सप्लाई विभाग का काम यही तो है कि सस्ता होने लगे तो कीमत गिरने से वह रोके, और मंहगा होने लगे तो वह कीमतों को ऊपर जाने से रोके। लेकिन वह तो न कीमतों को गिरने से ही रोक पाया और न चढ़ने से। खरीदने में भी किन लोगों को खरीदने का अख्तयार दिया गया और सीधे किसानों से ही सरकार ने क्यों नहीं खरीदा, एजेंटों को क्यों मुकर्रर किया गया? और उनको एजेंसी दी गई कि जिनके बारे में अच्छी राय भी जनता की नहीं थी। फिर उसके बाद अब सस्ता गल्ला केवल ५ कबाल टाउन्स में ही क्यों दिया जा रहा है? क्या इसलिए कि कारपोरेशन्स के चुनाव होने वाले हैं? क्या हमेशा चुनाव पर ही ध्यान रहता है? यह मैं कहूं और हमेशा वह इसी चीज को सूघंते रहते हैं। दूसरी जगहों में भी अनाज की महंगी है, मैं भूख मरी की चर्चा इस वक्त नहीं करूंगा लेकिन जहां अनाज की कीमत बढ़ने के कारण लोग मुसीबत में हैं वहां अनाज क्यों नहीं पहुंचाया जाता?

थोड़ा सा मैं भी नामिनी के बारे में कह दूं। नमक कर को लेकर गांधी जी ने बड़ा भारी अन्दोलन किया था। अभी श्री नारायणदत्त जी ने बताया कि नामिनी क्या हैं। जिन १४ जिलों में नमक का कंट्रोल है वहां क्या हालत है, और वहां वह एक अभिशाप है। लेकिन जहां कंट्रोल नहीं है वहां सब ठीक है। अभी मैं इटावा जिला और मुरादाबाद जिला गया, वहां मैंने नमक का भाव पूछा तो मालूम हुआ कि ५ पैसे से ६ पैसे सेर तक नमक आसानी से मिल जाता है। लेकिन जब हम उन जगहों में जाते हैं जहां उसका कंट्रोल है तो उन बदकिस्मती जिलों में वही नमक ८ पैसे सेर से कम नहीं मिलता। मैं तो मंत्री जी से कहूंगा कि मुमकिन है मैं उनको बदनाम करने को कहता होऊं, वह ऐसा समझें, लेकिन क्या कभी उन्होंने स्वयं बाजार में जाकर किसी से नमक का भाव मालूम किया है कि क्या

भाव वहां बिक रहा है ? नामिनी करते क्या हैं ? वह नमक मंगा लेते हैं और वह जो थोड़े से लाइसेन्स होल्डर हैं जो बहुत पुराने होने के कारण चले आते हैं वह उनको दो चार बोरे देकर बाकी सब नमक ज्यादा दामों पर उन लोगों को देते हैं जिनके पास लाइसेन्स भी नहीं है, और इस तरह से हजारों बिना लाइसेन्स के नमक बेच रहे हैं। न पुलिस वाले पकड़ते हैं, न कोई अफसर पकड़ता है, और न मार्केटिंग विभाग का कोई जा कर देखता है कि क्या हो रहा है और आम तौर से वह लोग ८ पैसे सेर बेच रहे हैं। कानून ताक पर रखा हुआ है।

मैं एक मिनट और चाहूंगा। मैं लोहा और सीमेंट के बारे में जरूर कह देना चाहता हूं। अगर माननीय नियोजन मंत्री जी यह समझते हैं कि हमारे यहां सचमुच मकानों की कमी है तो कम से कम मकानों के लिए लोहा और सीमेंट का बन्दोबस्त तो करें। लोहा और सीमेंट लोगों को मिल सके। जिस लोहे का भाव १८ रुपये तक आ गया था आज वही ३१ रुपये में बिक रहा है।

मकानों की कमी है, और मैं मानता हूं कि नियंत्रण की जरूरत है। लेकिन मैं बहुत अदब से नियोजन मंत्री जी से कहूंगा कि उनके बारे में मेरी राय बड़ी गड़बड़ है। वह हर छोटे-छोटे मकान के अलाटमेंट में अपना हाथ डालते हैं। उनको यह नहीं चाहिए। अगर वह ऐसा करना शुरू करते हैं तो जो उनके इर्द-गिर्द बैठने वाले हैं वह हर जगह शुरू कर देते हैं। इससे बड़ी बेचैनी है और इस कदर बेचैनी है, मैं उसका खुद भुक्तभोगी हूं। अगर वह इसका प्रमाण मांगेंगे तो मैं प्रमाण पेश कर दूंगा।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपके द्वारा मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उनके पास जो उत्तर प्रदेश का नकशा है उसमें बुन्देलखंड का कोई स्थान है या नहीं ? मैं ऐसा मानता हूं कि जहां तक राज्य की व्यापारिक योजनाओं का संबंध है, उत्तर प्रदेश के नकशे में बुन्देलखंड का कोई स्थान नहीं है, और न वह उसमें चित्रित है।

प्राइस सपोर्ट स्कीम जब चलायी गयी थी तो मैंने अर्ज किया था कि बुन्देलखंड में लाल गेहूं के लिये आपने क्या किया ? लाखों किसान उस बुन्देलखंड के त्रस्त हैं। उनकी कीमतें असाधारण रूप से गिरती जा रही हैं। लेकिन उसके उत्तर में यह कहा गया कि हमने केंद्रीय सरकार को लिखा था, और यह भी लिखा था कि लाल गेहूं के खरीद के लिये रुपया दिया जाय। मैं उनसे विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कंटिजेंसी फंड नहीं है ? वह केवल अरजेंट और अनफोरसीन चीजों के लिये, जो परिस्थितियां एकदम से पैदा हो जायं, उनको मीट आउट करने के लिये वह कंटिजेंसी फंड बनाया गया है। आप वह रुपया बिना लेजिस्लेचर की मंजूरी के निकाल सकते थे और लाल गेहूं की खरीदारी कर सकते थे, जब कि बुन्देलखंड का किसान परेशान था और आपको इस बात की सूचना भी दी जा चुकी थी, और आपको स्वयं यह मालूम भी था। लेकिन आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और बराबर यह कहते रहे कि केंद्र को लिखते रहे, लेकिन उन्होंने लाल गेहूं के खरीदने की कोई योजना स्वीकार नहीं की। उसके साथ-साथ मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आइन्दा अगर ऐसी परिस्थिति भयंकर रूप से फिर सामने आये तो आप कृपा करके इस बात का ख्याल रखें।

जहां तक प्राइस सपोर्ट स्कीम के संबंध में जो खरीद के केंद्र खोले गये थे उनके संबंध में मैं दो एक बातें कह देना चाहता हूं। बुन्देलखंड और खास तौर से हमीरपुर जिले में गेहूं की खरीद के लिये केवल चार मंडियां खोली गयी थीं। मैंने माननीय मंत्री जी को याद दिलाया था कि राठ इतनी बड़ी मंडी है, जहां इतनी बड़ी मिकदार में गल्ला आता है वहां पर दूकान खोलनी चाहिये खरीदारी करने के लिये। लेकिन वहां पर भी दूकान नहीं रखी गयी। अतः

[श्री तेजप्रताप सिंह]

अब आगे इस बात का ख्याल रखा जाय। दूसरे इस संबंध में जो सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं वह किसानों के दृष्टिकोण से कहना चाहता हूं। इस स्कीम में गल्ले की खरीदारी का काम इतनी देर में शुरू किया गया था कि करीब-करीब ६०,७० प्रतिशत किसान अपना गल्ला बेच चुका था। वह दस रुपया मन गेहूं के ६ रुपये मन चने और साढे पांच रुपये मन ज्वार के लिये जो नियत किये गये थे वह किसान को नहीं मिल सके। वह व्यापारियों को मिला। इंटरमीडियरीज को मिला। अगर प्राइस सपोर्ट स्कीम में किसानों को फायदा पहुंचाना है तो इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिये था कि ऐसे मौके पर मंडियों में खरीद शुरू करें जब कि वह गल्ला न बेच चुके हों, बल्कि गल्ला आना शुरू ही हुआ हो। छोटे किसान अपना गल्ला खलिहान में रखता है और वहीं से बराबर गाड़ी से जाता है बड़ी शीघ्रता से क्योंकि उसकी जरूरतें बड़ी रहती हैं, और तंगी के कारण गल्ला फौरन बेच डालता है।

दूसरी बात स्टोरेज के बारे में आपसे कहना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि स्टोरेज पर साढ़े तीन रुपया प्रति मन के हिसाब से क्यों खर्चा पड़ रहा है? क्योंकि आप देखते हैं कि जो गल्ला खरीदा है गेहूं १६ रुपये मन हमारे कबाल टाउन्स की मंडियों में मिल रहा है। आखिर १० रु० मन का खरीदा हुआ गेहूं है उस पर क्यों इतना ज्यादा खर्चा हुआ कि वह १६ रु० मन से बिक रहा है? तो मैं चाहता हूं कि आइन्दा इन बातों पर ख्याल रखा जायगा और विशेष कर बुन्देलखंड के बारे में।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में यह तो कहना कुछ अनुचित होगा कि नारायणदत्त जी ने या श्री गेंदासिंह जी ने जानबूझ कर ऐसी बातें कहीं जिससे कि अर्थ का अनर्थ हो जाय। किन्तु स्पष्ट बात यह है कि आज भी जो कोई उत्तर प्रदेश से अच्छी तरह परिचित होगा वह कदापि यह नहीं कहेगा कि हमारा प्रदेश केंद्रीय सरकार के सर पर बैठकर ऐसा क्यों नहीं कर लेता कि सीमेंट, आयरन स्टील और इन चीजों की जो भी हमारी आवश्यकता है, वह बराबर पूरी होती रहें। कई दृष्टियों से श्रीमन्, हम काफी पिछड़े हुये हैं। जो चीजें बहुत ही अहम हैं जैसे आयरन स्टील या सीमेंट या कोयला ये तीनों चीजें हमारे यहां पैदा नहीं होतीं। आयरन स्टील के बारे में दो एक कारखाने ही हैं। इनमें इतना भी फब्रीकेशन नहीं होता जिससे हमारे प्रदेश की मांग पूरी की जा सके। जब हमको दूसरे प्रदेशों पर निर्भर करना है तो कैसे हम कह सकते हैं कि हमारी आवश्यकतायें पूरी हो जायं। मैं माननीय खाद्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं, वह उद्योग मंत्री भी हैं, उनको यह सोचना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश को इस प्रकार दूसरे प्रदेशों पर आश्रित रहने का कारण क्या है? हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम दूसरे प्रदेशों को देकर अपनी जरूरतें अच्छी तरह से पूरी कर सकें। केवल कपड़ा बनता है और कपड़ा भी मान लीजिये कि ३० लाख गज हम बनाते हैं, तो करीब २५ लाख गज दूसरे प्रदेशों से लेकर अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। करीब-करीब औसतन हर साल १५० करोड़ रुपया हमारे प्रदेश से सामान खरीदने के लिये बाहर जाता है। तो जब व्यापारिक संतुलन हमारे विपरीत हो उस परिस्थिति में कैसे अपनी जरूरत भर लोहा, कोयला, सीमेंट यहां प्राप्त कर सकते हैं, और बिना कंट्रोल तथा नियंत्रित योजना के खरीद कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि हम कदापि नहीं कर सकते हैं।

कमोडिटी कंट्रोल की बात कही। ठीक है, यदि प्लान्ड इकोनोमी होगी तो ऐसा कोई समाजवाद नहीं है जिसमें बिना कंट्रोल के काम चल सके। जहां कहीं भी किसी प्रकार का नियोजन होता है वहां पर सब चीजें और प्रदेश में निर्माण हुई सब चीजें खिचकर सरकार के पास चली जाती हैं। सीमेंट नहीं देंगे, कोयला नहीं देंगे, आयरन नहीं देंगे, जो भी देंगे वह गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग्ज को देंगे। नियोजन में यह करना पड़ता है। वेस्टर्न जर्मनी में ऐसा ही है, चाहे किसी को कुछ करना हो, लेकिन उसको नहीं देंगे, पब्लिक को नहीं देंगे, पब्लिक को दिक्कत हो जो कुछ भी हो, गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग्ज को ही पहले माल जाना चाहिये। उत्तर प्रदेश में

बहुत बड़ा काम हो रहा है जिसमें सीमेंट, कोयला सब चाहिये। साथ ही इनकी बड़ी खींच हो रही है। बुद्ध जयन्ती के सिलसिले में जितना काम हो रहा है शायद उनकी उतनी मांग को उत्तर प्रदेश पूरी नहीं कर सकता और यह कमी होना नितान्त आवश्यक है। मैं यह निवेदन भी कर दूं कि गल्ले के दाम के बारे में कई चीजें एक साथ जोड़ दी जाती हैं। अन्न मंत्री इसको स्वीकार करें कि यह स्थिति उचित नहीं है, वह भी फंस गये हैं। आखिर कौन सी ऐसी एकोनामी होगी, गल्ले को सस्ता कर दें या मंहगा कर दें. कच्चे माल के दाम मंहगे या सस्ते रहें। दोनों चीजें मेल कहां खायेंगी? कहीं न कहीं विशस सर्किल बनता जायगा जिसमें गल्ला सस्ता होगा? तो जो चीज ज्यादा पैदा होती है वह ज्यादा सस्ती करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में कच्चे माल का दाम अब भी उत्पादन के माल से कहीं अधिक पड़ रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि और देशों के इस चीज के उदाहरण को लेकर २ सवा २ करोड़ का हर साल जो खर्चा करते हैं चीजों के दाम के संतुलन में यदि वह ऐसा न करें, कुछ ६ महीने, ८ महीने इनको छोड़ दें, देखने दें, इनको अपने आप समानान्तर आने दें, तो उससे उत्तर प्रदेश की ही नहीं मंत्री जी की भी समस्या हल हो जायेगी।

श्री राजनारायण––श्रीमन्, जिस तरह से सरकार का सारा ढांचा दोषपूर्ण है और जनहित में नहीं है उसी तरह से यह खाद्य और रसद विभाग का ढांचा भी पूर्णतः दोषपूर्ण है। माननीय मंत्री जी सही है आठ वर्ष से इस विभाग का कार्य सम्पादन कर रहे हैं, मगर यदि देखा जाय तो जब इन्होंने कम्पलसरी प्रोक्योरमेंट आफ ग्रेन किया तब भी सरकार की नीति विफल हुई थी। जब लाइसेंस देना शुरू किया और लाइसेंस होल्डर्स के जरिये गल्ले की खरीद की, तब भी वह नीति विफल रही, और जो जो नीति सरकार के सामने हमने प्रस्तुत की थी बाद में उसी नीति की सत्यता सबके सामने आयी। आज भी प्राइस सपोर्ट की नीति जो सरकार लेकर चल रही है श्रीमन्, देखा जाय किसी विशिष्ट संज्ञा का प्रयोग मानव समाज के लिये होता है या मानव समाज किसी विशेष व्यवस्था के लिये पैदा किया जाता है? माननीय मंत्री जी को बहुत बुनियादी तौर से इसको समझना चाहिये। इसको देखा जाय श्रीमन्, सरकार की यह नीति, प्राइस सपोर्ट की नीति भी क्या बिलकुल विफल नहीं रही है? दस रुपया मन गेहूं किसानों से खरीद करके आज उन्हीं को १६ रुपये और १८ रुपये मन देना यह सरकार की नीति को ठीक बताता है, या सरकार की नीति की असत्यता को प्रमाणित करता है? इसको माननीय मंत्री जी को समझना चाहिये और उन्हें यह स्वतः स्वीकार करना चाहिये। जितने उत्पादक हैं और जितने खरीदने वाले हैं, आज सब सरकार की इस नीति के भुक्तभोगी है। सरकार यह कह सकती है जैसा कि माननीय परिपूर्णानन्दजी ने अपना मत दिया कि अगर हम न खरीदते तो हो सकता था कि उनको दस के बजाय ८ ही मिलता। लेकिन किसान की विवशता का नाजायज फायदा सरकार कैसे ले सकती है? यह सही है कि जब तक कि पैरिटी स्थापित नहीं होगी 'इन बिटवीन दी इन्डस्ट्रियल प्रोड्यूस ऐंड ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस' तब तक कोई काम ठीक से चल नहीं सकता है। यदि सरकार अपने क्षेत्र में सजग है तो सरकार को किसान के दैन्य भाव को नाजायज तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिये। सही माने में किसान के अपने प्रोड्यूस की उतनी कीमत सरकार की ओर से होनी चाहिये जितनी कि अन्य वस्तुओं के मूल्यों में उसको संतुलित कर सकें, सन्तुलित रख सकें। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने सीमेंट की बात कही। सरकार की ओर से भी बात कही गई। मगर मैं जानता हूं प्रांतीय सरकार सीमेंट प्रोड्यूस कर रही है। तो प्रांतीय सरकार के द्वारा जो सीमेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी कीमत अन्य दूसरे जो सीमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी कीमत से ज्यादा क्यों हो? क्या आज यह सरकार बता सकती है कि चुर्क की सीमेंट जो आती है वह दूसरी जगहों के सीमेंट से सस्ती है? अगर आप देखेंगे तो दो रुपये तक उसके दाम की बोरी बढ़े हुये हैं। इस तरीके से श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि चाहे वह मकान का सवाल लें, चाहे वह लोहे का सवाल लें, चाहे वह सीमेंट का सवाल लें, चाहे अन्य किसी रसद का सवाल लें, सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि

[श्री राजनारायण]

अपने प्रदेश की जनता की आवश्यकता को पहचानें और उस आवश्यकता की पूर्ति को संतुलित भाव में उसकी पूर्ति कराने की कोशिश करें। लेकिन सरकार की यह नीति नहीं रही है, सरकार हर समय अराजकता वादी नीति अख्तियार करती चली जाती है और जिस समय एक क्षण के लिये यदि टेम्पोरेरी मेजर अख्तियार करती है और उस टेम्पोरेरी मेजर को एडाप्ट करके कभी कभी वह चाहती है कि हम दिखायें कि इससे फायदा हो रहा है। मगर इनदी लांग रन (आगे चलकर) फायदा नहीं होता है, नुक्सान में जाकर के यह परिणाम हो जाता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि अब वह जरा शांति से बैठें, और बैठकर के पूर्ण रूपेण जो व्यवस्था है उसमें बुनियादी तब्दीली करने की कोशिश करें वरना अगर छू छाप करके चलने की कोशिश करेंगे तो इसी तरह से अहित होता रहेगा और कोई कल्याण नहीं हो पायेगा।

श्री गेंदासिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता हूं कि अन्न मंत्री जी क्या कहेंगे, वह मुझे मालूम ही नहीं, उनके स्थान पर माननीय परिपूर्णानन्द जी ने जो कुछ कहा वही जवाब देने की एक बात है .....

श्री अध्यक्ष---सबका जवाब आप दे सकते हैं। कटमोशन पर तो सबने भाग लिया है।

श्री गेंदासिंह---माननीय परिपूर्णानन्द जी कहते हैं कि कैसे केंद्रीय सरकार के सिर पर लात देकर के चलने को कहते हो। अरे, सिर पर लात दे कर चलने को मैं नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं कि केंद्रीय सरकार के सामने सही तस्वीर तो हमारी रखी जाय। जब यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में धन धान्य सब पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है, और यह कोई आज की बीमारी नहीं है, यह तो जब सारे देश में अन्न पर कंट्रोल था और राशन का बन्दोबस्त था, और जब मद्रास और बम्बई में गांवों में भी अनाज पहुंचाने की व्यवस्था हुई थी, तब भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जब तक उससे लड़ाई झगड़ा करने की नौबत नहीं आ गयी उसने शहरों के अलावा गांव की परवाह नहीं की। और मैं उनके सामने उस बुलेटिन को पेश कर दूंगा, सारे देश की फीगर्स इसमें मौजूद हैं।

नारायणदत्त जी को कहा गया कि वह कंट्रोल की निन्दा करते हैं। हम कंट्रोल की निन्दा नहीं करते हैं बल्कि जिस प्रकार का वह कंट्रोल है उसकी निन्दा करते हैं। कंट्रोल इसलिये करिये कि जब किसी चीज की कमी हो तो लोगों को वह उपलब्ध कराइये। यहां यह व्यवस्था है कि जब किसी चीज का कंट्रोल हो जाता है तो वह उपलब्ध होने वाली हो तो भी हमारे सामने नहीं रहती। मैंने बिल्कुल सीधे-सादे शब्दों में यह कहा था कि नमक का कंट्रोल १४ जिलों में है, लेकिन वह किस भाव में वहां बिक रहा है इसको देखिये ? माननीय परिपूर्णानन्द जी जरा बतायें कि सिसवा बाजार में जो उनका क्षेत्र है वहां नमक ८ पैसे सेर बिक रहा है या ५ पैसे सेर जो कंट्रोल रेट है। अगर वह मेहरबानी करके साफ कह दें कि वहां ५ पैसे सेर नमक बिक रहा है तो मैं डुग्गी कर के पिटवा दूंगा। मैं डरवाता नहीं हूं, लेकिन वे जरा कहें तो कि ५ पैसे सेर वहां नमक बिक रहा है। नहीं मिल रहा है। तो ऐसे कंट्रोल से बिना कंट्रोल के अच्छा। जिन मजबूत हाथों में कंट्रोल देकर के हम चाहते हैं कि वह चीज हमें उपलब्ध हो ठीक कीमत पर, और वह उपलब्ध हो ड्योढ़ी कीमत पर तो ऐसे कंट्रोल से क्या लाभ ? मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि आज तो थोड़ा काम है कंट्रोल का और बड़े योग्य हाथों में है तो उस योग्यता का परिचय दिया जाय और मैं परिपूर्णानन्द जी से भी चाहूंगा कि वे भी सहायता करें। एक छोटी सी कमेटी बना दें जिसमें परिपूर्णानन्द जी भी रहें और राजनारायण जी भी रहें और अगर मुझे भी रखें तो बड़ी मेहरबानी होगी। और पहली यात्रा होगी परिपूर्णानन्द जी के क्षेत्र में और वहां देखा जाय सीमेंट का भाव कि कितने में बोरी मिलती है, ५ रुपये ६ आने में या ८ रुपये में। नमक, कोयला, लकड़ी किस भाव पर वहां बिक रहा है। फिर फैसला हो।

***श्री चन्द्रभानु गुप्त**--अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि श्री गेंदासिंह जी पिछले महीने से जब से यह खबर निकल गयी है कि चुनाव अब होने वाले हैं, तब से उनका वह संतुलन जो मुझे बताया जाता था थोड़ा विलीन सा होता जाता है, और हर एक दृष्टिकोण को सामने रखते हुये वह अपने भाषणों में कदाचित् उस असंतुलित भाषा का परिचय देने लगे हैं जिससे वह जिस गद्दी पर बैठे हुये हैं उससे बहुत वर्षों से बंध से गये हैं। जैसे केंद्रीय सरकार से हम लड़ें क्यों नहीं, और हमने जो कुछ किया वह क्यों किया? इन विषयों की चर्चा में नहीं समझता हूं कि कैसे वह इस सदन में करते हैं? आखिर यदि हम नियंत्रण इस प्रदेश में चला रहे हैं और केंद्रीय सरकार ने चला रखे हैं, तो क्या वह चाहते हैं कि यह प्रदेशीय सरकार अपने प्रयास से उनको हटा दे? आखिर जो योजना प्रदेशीय सरकार बना रही है उनका ध्येय एक ही है कि वह योजनायें पूरी हों। जिनको हमने तैयार किया है उनको हम पूरी करना चाहते हैं और उनको पूरा करने के लिये हम समझते हैं कि उन साधनों की कमी के कारण हमें नियंत्रण रखना है तो मैं नहीं समझता कि प्रादेशिक सरकार चाहे कितना ही बड़ा कार्य कर ले वह उनको हटा नहीं सकती है, और न अपने ढंग से संचालित करने का प्रयास कर सकती है। यदि लोहे पर, सीमेंट पर और कोयले पर नियंत्रण हमें इसलिये रखना आवश्यक है कि उस मात्रा में उनका उत्पादन नहीं हो रहा है जिस मात्रा में जरूरत है, तो क्या वह यह समझते हैं कि जो हमारा विधान बना है, जिसके तहत में हम कार्य करना चाहते हैं उसके विरुद्ध कार्य करने लगें। हां, जहां तक इधर के बैठने वालों का संबंध है इस देश का विधान उनके सहयोग से बना है। भले ही उसके बनाने में विभिन्न मत रहे हों, और यदि हम ऐसा समझते हैं कि जो विधान बना है, जिसमें केंद्र ने बहुत से अधिकार ले रखे हैं, तो केन्द्र को वह अधिकार नहीं लेने चाहिये थे तो इसका दोष अधिक मात्रा में उनका ही है। क्योंकि जब विधान तैयार हो रहा था तब उनके साथी भागते रहे, उनके नेता भागते रहे, और विधान बनाने वालों को तरह-तरह के नाम लेकर संबोधित करते रहे। आज जो विधान है उसके तहत में हम नहीं कह सकते हैं कि आइरन पर जो कंट्रोल लगा है, सीमेंट पर जो कंट्रोल लगा है, और जो नई व्यवस्था रखी है जिसमें अधिक कीमत से मुनाफा होने वाला है, वह विकास के कार्यों में न लगाया जाय, यह निरर्थक है, बेकार है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह के भाषणों को देना और अपनी जरूरतों को व्यक्त करना यह सिद्ध करता है कि वह असलियत से मुंह मोड़ना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--आप समय बढ़ाना चाहते हैं?

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दस मिनट के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि सदन की बैठक का आज समय दस मिनट के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उन्हें आपत्ति है कि हमने गल्ले की खरीदारी जारी क्यों नहीं रखी। जब हमने गल्ले की खरीदारी प्रारम्भ की तो उस समय हमारे पास पैसा नहीं था। केन्द्रीय सरकार से बातचीत करके और सलाह करके हमने केन्द्रीय सरकार के पैसे से खरीदारी प्रारम्भ की इसलिये कि कीमतें अपने संतुलित रास्ते पर आ जायं और यदि वह संतुलित रास्ते पर आने लगें तब भी हम खरीदारी जारी रखें, और फिर उसे घटते हुए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

मूल्य की हालत में बेंचे। और फिर सदन के सामने उस घाटे के सिलसिले में आयें और तब गैदरसिंह जी उस पर टीका टिप्पणी करें, आलोचना करें। जरूरत के समय एक नयी व्यवस्था में खरीदारी करें तो हम दोषी, और अधिक समय तक करें और घाटा दिखायें तो हम दोषी! तो इस तरह की नीति और इस प्रकार की परम्परा आलोचना करने की, मैं नहीं समझता कि कहां तक हमें उस तथ्य की ओर ले जाती है जहां वे हमें ले जाने की चेष्टा करते हैं? और जहां वे स्वयं जाना चाहते हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि यह सदन नियंत्रण के विरुद्ध रहा? क्या यह सत्य नहीं है कि उधर बैठने वाले व्यक्ति नियंत्रण के विरुद्ध रहे? उसके बहुत से दोषों को मैं मानता हूं लेकिन हममें से बहुत से व्यक्ति ऐसा मानते थे और हैं कि अगर हमें इस देश में समाजवादी व्यवस्था कायम करनी है, जैसा कि हमने निश्चय किया है, तो हमें इस नियंत्रण के दौर दौर से गुजरना पड़ेगा, उसके दोषों के होते हुए भी हमें उससे गुजरना पड़ेगा। और जब तक दोष हमारे समाज में रहेंगे, जब तक हमारा चरित्र ऊंचा नहीं उठेगा तब तक समाज का चरित्र ऊंचा नहीं उठता है। तब तक वह हटेंगे नहीं क्योंकि दोष समाज का है, और वह दोष जगह-जगह जहां हम हैं, प्रकट होते हैं। तो यह उनका कथन कि सरकार को इस समय गल्ला खरीदने की और खरीदारी करने की आवश्यकता थी और नहीं थी, के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इसका आभास तक नहीं था कि गल्ले की कीमतें बढ़ेंगी। कौन जानता था कि फ्लड्स आयेंगे? और यदि हम यह मान कर चलें कि फ्लड्स जब तक आते रहेंगे तो मैं निवेदन करूंगा कि हमें नियंत्रणों को ऐसी हालत में रखना पड़ेगा, रखना ही चाहिये। मैं तो ऐसे आदमियों में से हूं कि जो हमेशा इस बात को सामने रखने की बात सोच कर चलते हैं कि कहीं फ्लड्स न आ जाय, कहीं कोई बात न हो जाय! इसलिये नियंत्रण की हमें बहुत आवश्यकता है। लेकिन माननीय सदस्यों ने चाहा, केन्द्रीय सरकार ने चाहा, और उसको अधिकार था, उसने नियंत्रण हटाये। आज केन्द्र ने हमें एक समस्या सुलझाने को दी और उसको सुलझाने का हमने प्रयास किया। यह कहना कि हमने खरीदारी जारी क्यों नहीं रखी यह कोई दूरदर्शिता की बात नहीं थी। एक खास परपज के लिये हमने प्राइस सपोर्ट को चलाने का कार्य आरम्भ किया था, और उसमें हमें सफलता मिली। ताहम मैं इस सदन में बताना चाहता हूं कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की तहत में हम एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग बिल की योजना तैयार कर रहे हैं। उसे भी हम लाना चाहते हैं, और साथ में हम वेयर हाउसिंग स्कीम भी चलाना चाहते हैं। जिसकी तहत में हम गल्ले की खरीदारी करके उसको जमा रक्खेंगे और कोआपरेटिव संस्थाओं के तहत में उसकी बिक्री करेंगे। इसमें बढ़ी हुई कीमत पर बेचने से जितना फायदा मिलता है उसका पूरा-पूरा फायदा किसानों को दिया जायगा। ऐसी हमारी योजना है और उसको हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम उन योजनाओं को, जिनसे कि किसानों का अधिक से अधिक फायदा हो, विचार नहीं करना चाहते हैं या उनको चलाना नहीं चाहते हैं।

उन्होंने नमक का जिक्र किया कि वह कहीं-कहीं ज्यादा कीमत पर बिक रहा है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अब नमक बहुत से स्थानों से आता है कि जहां कोई नियंत्रण नहीं है और यह सब को एक्नोमी के तहत में बिक रहा है। सिर्फ १४ जिले ऐसे हैं जो सांभर लेक के साल्ट से जुटे हुये हैं और वहां पर भी बाहर का, समुद्र का नमक आ सकता है और बिकता है, तो मैं नहीं समझता कि जब नमक के ऊपर से कंट्रोल हट गया है, और जब नमक, यदि कहीं उसकी कीमत बढ़े तब अगर नियंत्रण न हो तो इसमें सरकार के ऊपर दोष मढ़ना किसी प्रकार से न्यायसंगत नहीं है। अब १४ जिलों में सांभर का नमक बिक रहा है। लेकिन हम उस नियंत्रण को भी हटाने जा रहे हैं और उसकी मूवमेंट को हटाने जा रहे हैं। हमने उस पहली नीति को अपनाया नहीं है। डिकंट्रोल की नीति के अन्तर्गत कार्य करना हमने आरम्भ किया है। उस नीति के तहत में जो ढांचा बनाना चाहते हैं वह कार्य उसके तहत में किया जा रहा है, और उसको बदल दिया है। यदि

यह सदन यह निर्णय करता है कि सारे पदार्थों के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिये, और केन्द्रीय सरकार को उनके बारे में अधिकार है और वह अधिकार प्रदेश को प्रदान करता है, और यह समझते हुये भी इसमें दोष है, दिक्कतें हैं, और परेशानी हैं, तो अवश्य यह सरकार उसके ऊपर विचार करने के लिये तैयार रहेगी कि अमुक वस्तु के ऊपर नियंत्रण रखना है और उसके वितरण करने का प्रबन्ध करेगी ।

बुन्देलखंड के एक भाई ने लाल गेहूं के बारे में बताया कि वह खरीदा नहीं गया । हमारा यह प्रयास था, लेकिन जहां तक केन्द्रीय सरकार लाल गेहूं के सम्बन्ध में खरीदने की इजाजत दे दे परन्तु केन्द्रीय सरकार ने हमारी बात को नहीं माना जो कि आज १६, १५ या १४ रुपये में बिक रहा है । वह केन्द्रीय सरकार ने कीमत निर्धारित की थी, हमने नहीं । उसकी आज्ञा से ही हम अपने प्रदेश में गेहूं रख रहे हैं । उसकी कीमत को केन्द्रीय सरकार ने ही निर्धारित किया है । हमारा उस पर अधिकार होता तो अवश्य उसकी कीमत को बढ़ाते । यही नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार से हमने आग्रह किया और आग्रह करते हुये यह निवेदन किया । उन्होंने कहा कि सारे देश में जो गेहूं इस समय बिक रहा है, और जो आज मंडियों में कम से कम क़ीमत पर बिक रहा है, उसी कीमत को हम रखना चाहते हैं और उसी भाव पर वे सारे देश में भेज रहे हैं । तो आज प्रदेशीय सरकार को दोषी ठहराना कि यह सरकार नफा कर रही है यह सत्यता से परे है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है ।

अन्त में यह निवेदन करता हूं कि जो अनुदान मैंने सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किये हैं उनको यह सदन स्वीकार करेगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१—लेखा शीर्षक ६३—असाधारण व्यय के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१—असाधारण व्यय (लेखा शीर्षक ६३—असाधारण व्यय), के अन्तर्गत ४९,०४,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०—राज्य व्यापार की योजनायें (लेखा शीर्षक ८५-क—राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत), के अन्तर्गत एक रुपये की कमी की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—१२
विपक्ष में—३९ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०—राज्य व्यापार की योजनायें (लेखा शीर्षक ८५-क—राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत), के अन्तर्गत ३,९२,८९,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ५ बज कर ११ मिनट पर सोमवार, १२ मार्च,१९५६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ;
९ मार्च, १९५६ ।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३४ पर)

वर्ष	हरिजन विद्यार्थियों को दी गई सहायता	पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दी गई सहायता
	रु०	रु०
१९५२-५३	३०,६७८	८,०९७
१९५३-५४	३१,०५५	६,७९४
१९५४-५५	३५,९०१	१०,३८१
१९५५-५६	३७,३११	१३,०२४
योग ..	१,३४,९४५	३८,२६६

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४० पर)

तालिका

नाम विद्यालय	धन प्रदान किया गया
	रु० आ० पा०
१—प्रतापगंज जे० टी० सी०	४४६ ० ०
२—हायर सेकेन्ड्री स्कूल, प्रतापगंज	५,१२२ ७ ०
३— ,, खुदौली	१,६५० ० ०
४— ,, कुंवरपुर	१,६७० ० ०
५— ,, शम्भू गंज	३,४१० ४ ०
६— ,, मुगंरा बादशाहपुर ..	२,८१५ २ ०
७— ,, बदलापुर	७,४६६ ६ ०
८— ,, रतनपुर	२,६०६ १४ ०
६— ,, केराकत	५,६०६ ४ ०
१०— बी० आर० कालेज, जौनपुर	११,६५८ ७ ०
११—हायर सेकेन्ड्री स्कूल, कजगांज	२,६८७ ० ०
१२— ,, चक्के	३,६०५ ० ०
१३— ,, जलालपुर ..	२,२५६ ८ ०
१४—मोहम्मद हसन कालेज, जौनपुर ..	३,७४८ १२ ०
१५—टी० डी० कालेज, जौनपुर	११,८७२ ३ ०
१६—हायर सेकेन्ड्री स्कूल, पाली सुबासपुर ..	२,०३० ० ०
१७— ,, जमालपुर	२,५७७ ८ ०
१८— ,, जंघई	६,७६६ ४ ०
१६— ,, समोधपुर	१०५८६ ७ ०
२०— ,, बरसटी	२४५१ ८ ०
२१— ,, मेहरावां	२,२२८ ० ०
२२— ,, हा० से० स्कूल, जम्हुआई ..	२५७८ १ ०
२३— ,, रामपुबैजापुर ..	५८६ २ ०
२४—राज कालेज, जौनपुर	१२८२२ ८ ०
२५—हा० से० स्कूल, नीभापुर	१२३७ ८ ०
२६— ,, डोभी	६४४३ १२ ०
२७— ,, सिंगरामऊ	६५६१ १५ ०
२८—बी० एन० बी०, मड़ियाहूं	८८६० १२ ०

नाम विद्यालय	धन प्रदान किया गया		
	रु०	आ०	पा०
२९—हा० से० स्कूल, मछलीशहर	२२४३	०	०
३०— ,, रेहारी	२९७०	०	०
३१— ,, खुटहन	२९१०	१०	०
३२—हायर सेकेन्ड्री स्कूल, पटीनरेन्द्रपुर. . ..	७२५३	१२	०
३३— ,, ,, सूरतपुर पेसारा ..	१०८७	८	०
३४—आर० डी० एम० कालेज, जौनपुर ..	२९४८	१२	०
३५—हा० से० स्कूल, तेजीबाजार	५४६५	०	०
३६—हा० से० स्कूल, गुलालपुर	२७९४	८	०
३७—हा० से० स्कूल, नेवढ़िया	१५३०	०	०
३८— ,, सुजानगंज	१४३८	१२	०
३९—सैन्टथामस शाहगंज	९१४	१२	०
४०—सार्वजनिक मुगंराबादशाहपुर	१५३९	१३	०
४१—हा० से० स्कूल, सराय हरखू	१००००	०	०
४२—यस० पी० इन्टर कालेज, शाहगंज ..	४७०९	११	०
योग ..	१,७८,०१२	०	०
जनपद परिषद, जौनपुर	४०,३३५	१३	०

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२५९ एल० ए०—१९५६—७९६।